मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई 2014 सत्र

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2014

(16 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 6]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2014

(16 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय **(डॉ.सीतासरन शर्मा**) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निलंबित किये गये कर्मचारियों के संबंध में

1. (*क्र. 1037) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बिजावर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर जनपद पंचायत बिजावर के कितने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक निलंबित करने के आदेश दिये गये हैं? कृपया निलंबित किये गये कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं उन पर लगाए गये आरोपों की जानकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों के स्पष्टीकरण की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत बिजावर के अंतर्गत कार्यरत उन समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम, पदनाम बताएं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की गई हो एवं उस शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ग) क्या यह सही है कि कर्मचारियों पर लगाये गये आरोप सामान्य किस्म के हैं और बदला लेने की नियत से लगाये गये प्रतीत होते हैं? (घ) क्या अधिकारियों की इस निरंकुश कार्यप्रणाली को नियंत्रण में रखने की व्यवस्था करेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बिजावर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर 02 पी.सी.ओ. एवं 06 पंचायत सचिव सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है. जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''अ'' में है. (ख) †संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार. (ग) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) प्रश्नांश ''ग'' अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जबलपुर क़ॉलेज के डीन डॉ.साकल्ले की हत्या हो गई है.गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं, उनको बयान देना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय-- आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नकाल हो जाने दें. मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- यह बहुत गंभीर मामला है. व्यापम मामले में हत्यायें होना शुरू हो गई हैं, यदि शासन ध्यान नहीं देगा तो यह ॠृंखला बढ़ती जायेगी.इस मामले की जांच भी सीबीआई से होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय -- पाठक जी आप प्रश्न करें. पाठक जी के अलावा जो बोला जायेगा वह रिकार्ड में नहीं आयेगा.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश(ग) का उत्तर "जी नहीं" " शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता "आया है इससे कुछ और प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं. कृपया उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति प्रदान कीजिये.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--(xxx)

श्री सुदर्शन आर्य-- अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से हमारे प्रश्न आते हैं. उसमें इस तरह समय जाया कर रहे हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री बहादुर सिंह चौहान-- डीन की हत्या हो गई तो इस मामले को प्रश्नकाल के बाद में रखें. अभी क्यों रख रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- पाठक जी आप अपना प्रश्न करें.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक -- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश (क) के साथ में संलग्न प्रपत्र (अ) में क्रमांक 6 पर श्री शिवदयाल अरजरिया का उल्लेख है यह निलंबन न्यायसंगत नहीं हुआ है, इसके साथ ही सभी निलंबन न्यायसंगत नहीं हुये हैं. मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या इसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जायेगी.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं .

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में जैसा कि संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया है कि 8 कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होने के कारण उनके निलंबन की कार्रवाई या अन्य प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाईयां की गई है. माननीय सदस्य ने जैसा प्रश्न किया है यदि इसमें कोई कार्रवाई विधि विरुद्ध हुई हो या अधिकारी ने अपने अधिकार के विरुद्ध की हो या उससे ज्यादा की है तो बता दें हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे. जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई है, उनको अकारण परेशान किया गया है तो हम उनको न्याय दिलायेंगे.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर के प्रपत्र 'ब' में सरल क्रमांक 5 पर श्री वीरेन्द्र गौतम सचिव के निलंबन का कारण रोजगार सहायक की भर्ती में अनियमितता दर्शाया गया है. जबकि 30 जून की प्रश्नोत्तर के पेज क्र. 27 सरल क्र. 40 में उत्तर 'घ' में बताया गया है कि श्री वीरेन्द्र गौतम का निलंबन इंदिरा आवास के 35 हजार रुपये हड़पने के दोषी पाये जाने के कारण किया गया है. एक ही सचिव को निलंबित करने के दो अलग अलग कारण 30 जून और आज की प्रश्नोत्तरी में दर्शाये गये हैं. इससे प्रतीत हो रहा है कि वहां जनपद में गड़बड़ी है. मेरा माननीय मंत्रीजी से प्रश्न है कि क्या जनपद के सीईओ को हटाकर जांच संपन्न करायी जायेगी और नया सीईओ वहां पर पदस्थ किया जायेगा?

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, प्रकरण का परीक्षण करा लेंगे. यदि ये कर्मचारी दोषी होंगे और अधिकारी ने कार्रवाई की होगी तो उचित है.

अवैध निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अन्तर्राज्यीय चेक पोस्टों पर कार्य करना.

2. (*क्र. 1276) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 24 अन्तर्राज्यीय चेक पोस्टों पर स्थित एकीकृत जांच चौकी में निजी सुरक्षा का कार्य एल्सामैक्स कंपनी को, आई एल एफ एस ने दिया है? एल्सामैक्स ने इन जांच चौकियों का कार्य सबलेट कर उन निजी सुरक्षा को दिया जो ए डी जी पी इण्डस्ट्रियल सिक्यूरिटी एवं प्रायवेट सिक्यूरिटी के कार्यालय में विधिवत नियमानुसार पंजीकृत नहीं है? (ख) क्या यह सत्य है कि निजी सुरक्षा एवं इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी का कार्य बिना ए डी जी पी कार्यालय से वैध प्रमाण-पत्र एवं रजिस्टर्ड के बिना नहीं किया जा सकता है? क्या एल्सामैक्स कम्पनी ने प्रदेश के 24 एकीकृत जांच चौकी का कार्य सबलेट पर आई एल एफ एस से लेकर पुनः सबलेट उन कंपनियों को किया जो कानूनन वैध एवं पंजीकृत नहीं हैं? अगर हैं तो दस्तावेज कंपनीवार उपलब्ध करायें? (ग) क्या प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' उल्लेखित कंपनियां जिनके पास वैध लायसेंस नहीं हैं उनकी जांच क्या कार्यालय ए डी जी पी (निजी सुरक्षा / इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी द्वारा कर ठेका देने वाली एवं ठेका प्राप्त करने वाली कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी दण्डनीय कार्यवाही करेगा? समय-सीमा दें? (घ) क्या यह सत्य है कि एकीकृत जांच चौकी का ठेका एम पी आर डी सी ने आई एल एण्ड एफ एस को दिया. आई एल एण्ड एफ एस ने एल्सामैक्स को एवं एल्सामैक्स ने अन्य अवैध निजी सुरक्षा एजेंसियों को? अगर हां, तो कब तक दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हां. वर्तमान में 07 एकीकृत जांच चौकियों का वाणिज्यिक संचालन किया जा रहा है जिन पर सबलेट की गई सभी निजी सुरक्षा एजेन्सी पंजीकृत हैं. (ख) जी हां. सबलेट की गई सभी एजेंसी पंजीकृत हैं. दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ग) सभी एजेंसी पंजीकृत हैं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (घ) कोई अवैध निजी सुरक्षा एजेंसी नहीं होने से दण्डनीय कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आई एल एफ एस कंपनी जिसको सारी वसूली के एग्रीकृत पंजीकृत ठेके दिये गये, उसमें आई एल एफ एस ने एल्सामैक्स को सबलेट किया. क्या एल्सामैक्स के पास सिक्योरिटी लायसेंस है? अगर है तो मुझे उसकी प्रति उत्तर के साथ प्राप्त नहीं हुई है. या उसका नंबर बता दें या प्रति दे दें. दूसरा, जब एल्सामैक्स के पास ही सिक्योरिटी लायसेंस नहीं है तो फिर वह किसी दूसरे के पुनः सबलेट कैसे कर सकती है? और जिस दूसरे एन पी एस सिक्योरिटी को सबलेट किया है, तो जब उसको सबलेट ठेका दिया गया, तब उसके पास लायसेंस नहीं था. यह बात 15 जून 2013 की है. बाद में प्रश्न लगने के उपरान्त उसको 24.06.2014 को लायसेंस दिया गया.

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गंभीर है. ये अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट हैं. इन पर विभाग द्वारा एमपीआरडीसी के साथ कंपनी द्वारा हस्तांतरित अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु दिया है. माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या सबलेट का अधिकार है तो सबलेट करने का प्रावधान नियमों में नहीं है. माननीय सदस्य और भी जानकारी चाहेंगे कि उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं

है. उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है. पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसकी परमिशन दी जाती है. अगर आप हमसे कोई रिकार्ड मांगेगे तो उसकी कॉपी दे दूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है मैं वह ही प्रस्तुत कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आप मंत्रीजी से बात कर लीजिए वे उपलब्ध करा देंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- यह जो त्रुटि हुई है उसमें किसी न किसी को दंडित किया जायेगा या नहीं ?

श्री बाबूलाल गौर--अध्यक्ष महोदय, अभी त्रुटि का प्रश्न ही नहीं है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है. जब उसके पास एक साल पहले सिक्योरिटी लायसेंस नहीं था.

अध्यक्ष महोदय-- वह कह रहे हैं कि जो भी पेपर्स चाहिए वह आपको दे देंगे और आपके पास जो कागजात हैं वह मंत्रीजी देख लेंगे. आज की तारीख में त्रुटि की बात नहीं उठ रही है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- मेरे पास दस्तावेज हैं. आप अनुमति दें तो मैं पटल पर रखने को तैयार हूं.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं. आप मंत्रीजी से मिल लीजिएगा. उनको कागज दीजिएगा. वह कह रहे हैं कि और कुछ आपके पास उपलब्ध हो तो वह दीजिएगा.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – कागज गलत होंगे तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर तैयार हैं कि संबंधित बोर्ड आफ डायरेक्टर या जो भी कंपनी के अधिकारी होंगे उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाह करेंगे.

श्री बाबूलाल गौर – आपने अभी कागज तो दिया नहीं है..

अध्यक्ष महदोय – अभी यह काल्पनिक प्रश्न है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – नहीं, इमेजनरी नहीं है मेरे पास में कागज हैं आप चाहें तो मैं अभी दे सकता हूं.

श्री बाबूलाल गौर – आप कागज दे दें. हमने गलत अगर अनुबंध की शर्त की होगी तो हम कार्यवाही करेंगे लेकिन अभी कोई डाक्यूमेंट ही हमारे पास में नहीं है.

सार्वजनिक मार्ग हेतु जमीन आवंटन के संबंध में

3. (*क्र. 2140) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कुक्षी विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत डही में शिक्षक कालोनी व जमरापुरा में 200 से अधिक परिवार निवासरत हैं? यदि हां, तो यह परिवार वहां कब से निवास कर रहे हैं एवं क्या इन्हें मताधिकार प्राप्त है? (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा उल्लेखित कालोनियों के आस-पास भूमि अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो क्या कालोनियों के प्रवेश मार्ग के लिये सार्वजनिक मार्ग / रास्ते के लिये स्थान रिक्त छोड़ा गया है? (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर नहीं है तो, क्यों कारण स्पष्ट करें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) यह सही है कि कुक्षी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत डही में मतदान केन्द्र क्रमांक 117 में अनुभाग-1 जमरापुरा एवं अनुभाग-5 शिक्षक कालोनी में मतदाओं के नाम दर्ज होकर मताधिकार प्राप्त है. (ख) जी नहीं. उल्लेखित कालोनी में प्रवेश करने के लिये पृथक् कातरखेड़ा रोड उपलब्ध है. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मैंने प्रश्न किया था कि क्या यह सही है कि कुक्षी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत डही में शिक्षक कालोनी व जमरापुर में 200 से अधिक परिवार निवास करते हैं, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है. उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी को जो जानकारी दी है. उसमें उन्होंने डही नगर पंचायत क्षेत्र में शिक्षक कालोनी में 200 से अधिक परिवार कब से निवास करते हैं वह जानकारी इन्होंने नहीं दी है, दूसरा पुलिस विभाग के द्वारा जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है जबकि अध्यक्ष महोदय 1970 के दशक में डहरिया परिवार से पुलिस विभाग ने वह जमीन अधिग्रहित कर ली थी. उसके बाद में जो कातरखेड़ा रोड़ से बताया है कि वहां से रोड जाता है उन कालोनियों में तो कातरखेड़ा रोड से पुलिस विभाग का कोई भी रोड नहीं जाता है.

श्री बाबूलाल गौर – माननीय अध्यक्ष महदोय, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि यह सही है कि कुक्षी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत डही में मतदान केन्द्र क्रमांक 117 में अनुभाग-1 एवं अनुभाग – 5

शिक्षक कालोनी में मतदाताओं के नाम दर्ज होकर मताधिकार प्राप्त है एवं ख में जी नहीं. उल्लेखित कलोनी में प्रवेश करने के लिए पृथक कातरखेडा रोड उपलब्ध है. यह चाहते हैं कि पुलिस की जो जमीन है उसमें से भी उनको रास्ता दिया जाय. अगर इनके पास में आने जाने का रास्ता नहीं होता तो हम विचार करते.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी गलत है वहां पर उस कालोनी में पुलिस विभाग से जाने का कोई रोड नहीं है. माननीय मंत्री जी को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह गलत है.

अध्यक्ष महोदय – आप सही जानकारी उपलब्ध करा दें.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – अगर मैं जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा तो क्या वह वहां पर रोड देंगे क्योंकि वहां पर 3 हजार परिवार उससे प्रभावित होंगे और वह सब आदिवासी परिवार हैं.

श्री बाबूलाल गौर – माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही नहीं है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहां का विधायक हूं और वहां से मेरा आना जाना बना रहता है. यह 3 हजार आदिवासी परिवारों की बात है. सदन में अगर मुझे गलत जानकारी देंगे तो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर क्या कहूंगा.

अध्यक्ष महदोय – उसकी दूसरी प्रक्रिया है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – प्रक्रिया अलग है तो जानकारी इनके विभाग के अधिकारी गलत दे रहे हैं तो मंत्री जी सुनिश्चित करें कि अगर वह गलत जानकारी दे रहे हैं तो कोई कार्यवाही करें.

अध्यक्ष महोदय – अगर आपको गलत जानकारी लग रही है तो आप लिखकर दें प्रश्न एवं संदर्भ समिति है उसके लिए.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – मंत्री जी बोलें सदन में कि वह कार्यवाही करेंगे अगर गलत जानकारी है तो.

श्री बाबूलाल गौर – बिल्कुल सही जानकारी है और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

भितरवार विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत

4. (*क्र. 2078) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन-कौनसी सड़कें कहां से कहां तक हैं? इन सड़कों पर 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब निर्माण या मरम्मत कार्य किस-किस ठेकेदार / एजेन्सी से कितनी लागत से कराये गये हैं? उक्त सड़कों की अलग-अलग भौतिक स्थिति क्या है? (ख) क्या नयागांव से डबरा व्हाया चीनौर रोड की हालत जर्जर है? क्या इस रोड को लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरण की कार्यवाही कब से की जा रही है? इतने समय तक हस्तांतरण न हो सकने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? कब तक लोक निर्माण विभाग को इसका हस्तांतरण कर दिया जावेगा? क्या म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ग्वालियर इस रोड का निर्माण करायेगा स्पष्ट करें? (ग) क्या यह सही है कि चीनौर से भितरवार व्हाया करईया, डबरा भितरवार रोड से मेंहगांव व्हाया वागबई-चरखा-गडाजर-पचौरा एवं बनवार से पार इन सड़कों की हालत जर्जर एवं आवागमन योग्य नहीं है एवं दुर्घटनाएं हो रही हैं? इन सड़कों का कब तक निर्माण करा लिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्वालियर जिले भितरवार विधान सभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी हां, वर्तमान में डबरा व्हाया चीनोर रोड का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है इस मार्ग के लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. वर्तमान में प्रकरण प्रमुख अभियंता लो. नि. वि. के निर्णय हेतु विचाराधीन है निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी. यदि लो. नि. वि. द्वारा अधिपत्य नहीं लिया जाता है तो आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु मार्ग का संधारण का प्राक्कलन पुनः तैयार कर निविदा कार्यवाही पूर्ण कर संधारण कार्य कराया जावेगा. (ग) जी नहीं, केवल चीनोर से करईया मार्ग भारी वाहनों के यातायात से क्षतिग्रस्त है. करईया से भितरवार मार्ग आवागमन योग्य है. डबरा भितरवार रोड से मेहगांव व्हाया बागवई-चरखा-गडाजर-पचौरा मार्ग निर्माणाधीन है एवं बनवार से पार मार्ग संधारण अवधि में संधारित किया जाकर आवागमन योग्य है. अत: चीनोर से करईया मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग आवागमन योग्य हैं इसलिये ऐसी स्थिति नहीं है कि मार्ग आवागमन योग्य नहीं हैं एवं दुर्घटनाएं हो रही है. चीनोर से भितरवार व्हाया करईया सम्पूर्ण मार्ग का उन्नयन का प्रस्ताव विचाराधीन है. निर्णय उपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी. निर्माणाधीन मार्गों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

श्री लाखन सिंह यादव – माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपका संरक्षण बहुत आवश्यक है. प्रश्न में जिन सड़कों का उल्लेख है यह भिरतवार विधान सभा क्षेत्र कि वह सड़कें हैं जो तीन विधान सभा क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं. भितरवार, डबरा और करैरा . माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की महत्ता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि मेरे प्रश्न क के उत्तर में मंत्री जी ने करीब 66 सड़कों का उल्लेख किया है जिसमें से 56 सड़कें मेरी विधान सभा से संबंधित हैं. इसमें जो जानकारियां दी गई हैं वह काफी असत्य जानकारियां दी गई है. जैसे भौतिक और वित्तीय स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है. मैं यहां पर इन 56 सड़कों में से एक दो उदाहरण बताना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – आप सीधे प्रश्न कर लें.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं. यह प्रश्न इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 साल से मैं इन 56 सड़कों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहा हूं. इन सड़कों की लड़ाई में एसडीएम ग्वालियर, भितरवार से लेकर कलेक्टर ग्वालियर, कमिश्नर ग्वालियर, प्रभारी मंत्री ग्वालियर और यहां तक कि संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा जी, इनकी राजनीति की शुरुआत ही इन सड़कों को लेकर हुई है. अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार 4 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, क्या कारण है कि इन सड़कों का आज तक निराकरण नहीं हो पा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 3 सड़कों का उल्लेख करना चाहता हूं. पहली, एबी रोड नया गांव से डबरा व्हाया चीनोर होते हुए 50 कि.मी. की यह सड़क है.

अध्यक्ष महोदय - दूसरी बताएं, उस पर भाषण मत दीजिए.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं. उसमें जो विसंगति है वह तो बता दूं.

अध्यक्ष महोदय - आप पहले तीन सड़कों का उल्लेख तो कर दीजिए.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह 50 कि.मी. की सड़क है, इसमें विसंगति यह है कि ये सड़कें लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं. जब इन सड़कों में टूट फूट होती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह लोक निर्माण विभाग का है. जब लोक निर्माण विभाग से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है. इसमें 2 कि.मी. सड़क कहीं लोक निर्माण विभाग की है, 4 कि.मी. सड़क कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है. यह सड़क पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है. इसमें लगातार 3 वर्ष से बहुत पत्राचार हुआ है. इसमें जो प्रोसेस हुआ है, जो कि अंतिम दौर में है. मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इसको लोक निर्माण विभाग में स्थानांतरित करने के आज ही आदेश प्रसारित करेंगे क्या? दूसरा, भितरवार से हरसी और भितरवार से डबरा, संसदीय कार्यमंत्री जी को इन सड़कों का पूरा ज्ञान है. मैं चाहता हूं कि

आप इनका उन्नयन कराएंगे कि नहीं? तीसरा, करईया से चीनोर और करईया से भितरवार, यह 39 कि.मी. की सड़क है.

अध्यक्ष महोदय - आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अब पूरी 56 सड़कें कहां तक गिनवाएंगे?

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं इन तीन सड़कों की ही बात कर रहा हूं. मैं 56 सड़कों की बात ही नहीं कर रहा हूं. मैं यह चाहता हूं कि इन सड़कों का आज ही आदेश हो जाय, जिससे ये लोक निर्माण विभाग में स्थानांतरित हो जायं. यह कार्य बिल्कुल फाइनल स्टेज पर रखा हुआ है.

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) - अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 50.20 कि.मी. लंबी यह सड़क है और अलग-अलग टुकड़ों में बंटी हुई है. कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग का है, कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, फिर कुछ लोक निर्माण विभाग का है, फिर कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा है. ऐसे अनेक टुकड़ों में सड़क बंटी हुई है. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपने नियम हैं. उसके ऊपर हैवी ट्रेफिक है और निश्चित रूप से वह सड़क डेमेज हो गई है, खासतौर से जो लोक निर्माण विभाग के हिस्से में आती है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेंटिनेंस तो वर्ष 2013 तक का इसमें हो चुका है. इसलिए यह सड़क कहीं अच्छी भी है और कहीं गड़बड़ भी है. एक बात अवश्य है कि 50 कि.मी. लंबी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सामान्यतः नहीं बनती है. हमें इसे भारत सरकार को भेजना पड़ेगा. फिर उतनी चौड़ाई भी करना होगी और हमारे नॉर्म्स के हिसाब से उतनी चौड़ी सड़क नहीं बन सकती है. इस कारण से मैंने अभी लोक निर्माण मंत्री से चर्चा की है कि इस सड़को हम लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर देते हैं. लोक निर्माण विभाग इसे अपने अधीन लेकर निर्माण कार्य करवाएगा.

अध्यक्ष महोदय - वे तीन सड़कों की बात कह रहे हैं?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, यह सड़क तीन टुकड़ों में है.

श्री लाखन सिंह यादव- अध्यक्ष महोदय, एक तो एबी रोड़ नयागांव से डबरा व्हाया चीनोर ये है 50 किलोमीटर की,दूसरा डबरा से भितरवार और हरसी से भितरवार होते हुए और तीसरी भितरवार से करईया , ये तीन रोड़ हैं.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, पीएमजीएसवाय (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) की जहां जहां जिस हिस्से में सड़के होंगीं उसके बारे में माननीय मंत्री से बात हो गई है. लोक निर्माण विभाग को लिखेंगे और ये हम PWD को हस्तांतरित कर देंगे. PWD इन तीनों सड़कों को बनवा ले.

श्री लाखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय क्या इसके आज ही आदेश हो जायेंगे? ..धन्यवाद मंत्री जी.

जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में

5. (*क्र. 913) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनांक 5-4-2014 को आकस्मिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से अवकाश पर थे एवं स्वस्थ्य नहीं होने पर भी दिनांक 5-5-2014 को अपने कर्तव्य पर उपस्थिति दी? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में क्या जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने अवकाश की अवधि में वित्तीय कार्य करने हेतु अधिकृत थे? यदि हां, तो किस नियम एवं आदेश के तहत बतावें? (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के संदर्भ में जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि में दिनांक 12-4-2014 को राशि रुपये 32,45,315 का मनरेगा में वित्तीय भुगतान किया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य/योजना में भुगतान की गई? (घ) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (घ) यद्यपि मजदूरों की समय पर मजदूरी भुगतान तथा सामग्री भुगतान की दृष्टि से एफ. टी. ओ. जारी किया गया है. तथापि कलेक्टर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर क्या कार्यवाही की स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है.

श्री प्रहलाद भारती—अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि घायल CEO, 5-4-2014 से एक महीने तक लगातार 5.5.2014 तक मेडिकल अवकाश पर रहे थे. ..(ख) के उत्तर में भी मंत्री जी ने माना है CEO जनपद पोहरी अवकश की अवधि में वित्तीय कार्य ...

अध्यक्ष महोदय—आप सीधे प्रश्न पूछें.

श्री प्रहलाद भारती—**इसके बाद** (क) में भी उन्होंने माना है कि मेडिकल अवकाश पर थे और उस अवधि में भी राशि का भुगतान किया है.(ख) में उन्होंने आधी चीज मानी है आधी नहीं मानी है. (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि " यद्यपि मजदूरों की समय पर मजदूरी भुगतान तथा सामग्री

भुगतान की दृष्टि से एफ.टी.ओ. जारी किया गया है. तथापि कलेक्टर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर क्या कार्यवाही की स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय, ढाई महीने हो गये, तब से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कलेक्टर महोदय ने CEO अरविंद शर्मा के स्थान पर अजीत तिवारी को प्रभार दिया गया था? तथा अरविन्द शर्मा जो पुराने थे जो मेडिकल अवकाश पर थे उन्होंने लाखों का भुगतान क्यों किया? क्या यह गलत नहीं था.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के लिए जब मैं ब्रीफिंग कर रहा था तो मुझे भी कुछ लगा तो हमने जांच के आदेश दे दिये हैं और जो कुछ भी जांच का निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी.

श्री प्रहलाद भारती – अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है, जांच की जरूरत भी नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को हटाने की क्या आज ही सदन में घोषणा करेंगे.?

अध्यक्ष महोदय—बस हो गया.

श्री प्रहलाद भारती—अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं, जब तक जांच हो, ढाई महीने हो गये, पूरे पेपरों में आ रहा है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, जांच करा लेंगे और कोई अनियमितता होगी तो कार्यवाही भी करेंगे.

सीधी जिले में स्वीकृत कार्य

6. (*क्र. 2206) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के एवं अन्य मदों से वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक सीधी जिले में कुल स्वीकृत कार्यों की सूची कितने कार्य पूर्ण हुए आज की स्थिति में अधूरे कार्यों की सूची कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए? (ख) प्रश्न "क" उपरोक्त अवधि में मनरेगा योजना के तहत सीधी जिले में कितने कपिलधारा कूप स्वीकृत हुए पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी? अपूर्ण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण क्यों नहीं हुए? (ग) प्रश्नांक "क" विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के एवं अन्य मदों से वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक सीधी जिले में कुल स्वीकृत कार्य 21399 जिसमें से पूर्ण 11091 एवं अपूर्ण / प्रगतिरत 10308 कार्य जिले द्वारा प्रतिवेदित हैं. मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग पर निर्भर है. सम्पूर्ण कार्यों की सूची www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है. (ख) उत्तरांश "क" की अवधि में मनरेगा योजना के तहत सीधी जिले में 1395 कपिलधारा कूप स्वीकृत हुए, 583 पूर्ण एवं 812 अपूर्ण / प्रगतिरत हैं. शेष प्रश्नांश की जानकारी उत्तरांश "क" अनुसार. (ग) जिला सीधी में मनरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सीधी में 5072, विधान सभा क्षेत्र सिहावल में 4771, विधान सभा क्षेत्र धौहनी 2131 एवं विधान सभा क्षेत्र चुरहट में 1990 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना प्रतिवेदित है.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में भी दिया है मनरेगा योजना के तहत 21399 कार्य सीधी जिले में स्वीकृत हैं. जिसमें से पूर्ण कार्य 11091 एवं अपूर्ण कार्य जो प्रगतिरत हैं वे 10308 हैं. एक तो हम मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि अधूरे कार्य कब तक पूरे कर लिये जायेंगे उसकी समयावधि बतायें. दूसरा, क्या यह अनियमितता नहीं है कि वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी कई वर्षों से मनरेगा का काम संचालित है और सीधी जिले में काफी भ्रष्टाचार हुआ है. मंत्री जी बतायें कि क्या यह अनियमितता नहीं है? और अनियमितता है तो क्या मंत्री जी उसकी उच्चस्तरीय कमेटी से जांच करायेंगे.? तीसरा, कई जगह मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है. जब क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जाते हैं तो कई जगह कपिल धारा में जो कूप निर्माण हुआ है या कई जगह मनरेगा के तहत सड़कों का निर्माण हुआ है , सीधी जिले में कई जगह शिकायतें मिलती हैं. तो क्या मजदूरी का भुगतान 15 दिवस या एक महीने के अंदर करा दिया जाएगा. दूसरा अपूर्ण कार्य कब तक पूरे होंगे और जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है इसकी जांच किससे करायेंगे और कब तक कहायेंगे ?

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, तीन बातें हैं, एक तो अपूर्ण कार्य पूर्ण करवाना. दूसरा, महात्मा गांधी रोजगार ग्यारंटी योजना मांग आधारित योजना है जिसमें लेबर मांग करते हैं और लेबर की जैसी जैसी मांग होती है .उसी के आधार पर काम पूर्ण किए जाते हैं. अध्यक्ष महोदय, इन वर्षों में काम तो स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन उतनी श्रमिकों की संख्या नहीं रही है, जो जाबकार्डधारी थे, इसलिए इसमें इतना विलंब हुआ है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि समय सीमा में और जल्दी से जल्दी यह काम पूर्ण हो जाएं, दूसरी बात भुगतान की है. अब तो हमने बहुत आधुनिक और बहुत ही सुव्यवस्थित सिस्टम मनरेगा का सिस्टम कर दिया है तो जैसे जैसे हमारी इन्ट्री होती है, वैसे ही हम राशि का भुगतान करते जाते हैं. यदि इन्ट्री हो गई होगी और राशि का भुगतान नहीं हुआ होगा तो हम आपके लिए एक सप्ताह में पूरी की पूरी राशि का भुगतान करवा देंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें भारत सरकार से राशि समय पर प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हम दूसरी योजना से राशि का पुनर्वियोजन करके या उसको ट्रान्सफर करके भुगतान करवा देते हैं, बाद में हम राशि को उसमें समायोजित कर लेते हैं. ऐसा भी होता है, इस कारण से हो सकता है विलंब

हुआ हो. जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार की हमें कोई शिकायत नहीं मिली है. यदि तथ्यपरक शिकायत माननीय सदस्य करेंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने समय सीमा मजदूरी भुगतान की सुनिश्चित नहीं की है?

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह मैं कह रहा हूं, जिनका मूल्यांकन हो गया होगा, उनका एक सप्ताह में मजदूरी का भुगता कर देंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, अधूरे कार्य कब तक पूरे किए जाएंगे?

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, अब कई योजनाएं चल रही हैं, उसी का कुआं है, उसकी को कपिलधारा में खोदना है, अब वह परिवार नहीं खोद पा रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने स्वीकृति दी, मेढ़ बंधान है, कपिलधारा के कुएं हैं, नंदन फलोद्यान हैं, उसमें टीएससी से कन्वर्जन से शौचालय भी बन रहे हैं, खेल मैदान भी बन रहे हैं, शमशान भी बन रहे हैं, अनेकों प्रकार की उपयोजनाएं चल रही हैं, कुछ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ के अपूर्ण हैं, जैसे जैसे श्रमिक मिलते जाएंगे, वैसे वैसे काम को पूरा करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—बैठिए, बहुत प्रश्न हो गए हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल—अनियमितता की बात रह गई है. माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वह कभी सीधी जिले में आकर इन योजनाओं को देख लें?

अध्यक्ष महोदय-- बात हो गई है. बैठ जाईये.

प्रश्न संख्या (7)—श्री गिरीश भंडारी--(अनुपस्थित)

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, वैसे भंडारी जी अनुपस्थित हैं, यदि आप अनुमति देंगे तो इसमें एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, बैठिए.

श्री गोपाल भार्गव—मुकेश जी यह उनसे लिखवा लेते तो आप अधिकृत हो जाते और यह कहने की आवश्यकता नहीं होती.

प्रश्नसंख्या(8)--

विधान सभा क्षेत्र राजपुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार

8. (*क्र. 1758) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजपुर, जिला बड़वानी में पिपरी बुजुर्ग से बिलवा डेव मार्ग जो 13-10-2006 को स्वीकृत हुआ, जिसमें 49 लाख रुपये आहरित होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण है? राशि आहरित होने की तिथियां भी बताएं? (ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त अपूर्ण निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) राशि आहरित करने के बाद भी कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों से राशि कब तक वसूली जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधान सभा राजपुर, जिला बड़वानी में पीपरी बुजुर्ग से बिलवा मार्ग 13-10-2006 को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत किया गया. जिसमें रुपये 49 लाख आहरित कर दिनांक 3-11-2007 को कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र के आधार पर पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है. राशि आहरित होने की तिथियों की जानकारी †संलग्न प्रपत्र-1 में दर्शित है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार पूर्ण किया जा चुका है एवं कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र †संलग्न प्रपत्र-2 पर दर्शित है. (घ) कार्य की पूर्णता का परीक्षण कराया जा रहा है. राशि आहरित करने के बाद कार्य पूर्ण नहीं पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं अपने इस प्रश्न में आपका संरक्षण चाहता हूं. यह बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़क है. यह 2005 से अभी तक उसको आर.इ.एस. विभाग इसको बना चुका है. यह जिस सड़क से संबंधित मेरा प्रश्न है, वह बिलवा डेव से पिपरी बुजुर्ग काजल माता होते हुए 2005 में 24.91 लाख रूपए खर्च करना बताया गया है बड़वानी में अधिकारियों के द्वारा, उसके 6 महीने बाद इसी सड़क में आर.इ.एस. ने मनरेगा के अंतर्गत 49 लाख रूपए की सड़क बनाना बताया है, 13.10.2006 की तारीख का मैंने इसमें उल्लेख किया है, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सड़क 3.11.2007 को बन चुकी है. अध्यक्ष महोदय, एक बार इस सड़क पर 24.91 लाख रूपए, दूसरी बार 49 लाख रूपए निकल चुके हैं, तीसरी बार 17 लाख रूपए निकल चुके हैं. सड़क नहीं बनी है. मैं भी इस हाउस का चौथी बार सदस्य हूं. आपका ई.ई.आर.इ.एस. उन्होंने सड़क की पूर्णता का जवाब दे दिया कि सड़क पूर्ण हो गई है. उसका सर्टीफिकेट उन्होंने जारी कर दिया है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया प्रश्न पूछें.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि काम बिलकुल नहीं हुआ है, तीनों बार में काम नहीं हुआ है. क्या ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने तीन तीन बार एक एक काम की राशि निकाल चुके हैं, उनको दंडित करने हेतु आज आप हाउस में घोषणा करेंगे?

या फिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको हमारे पर कितना विश्वास है, सड़क नहीं बनी है...

अध्यक्ष महोदय- आप पहले उत्तर तो ले लें.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दिलवायें क्योंकि बड़वानी जिला पूरे हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार में नम्बर-वन चल रहा है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि तीन तीन बार राशि निकाल ली गई लेकिन सड़क नहीं बनी है. यह विषय यदि ऐसा है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो गंभीर है. हम यहां पर राज्य स्तर के अधिकारी से उसकी जांच करा लेंगे और कोई दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे.

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन से जांच करायी जाएगी, क्या हमारी उपस्थिति उसमें रखी जाएगी? ध्यान तो हम दिलायेंगे, नहीं तो क्या होता है,एकाध बार लोकल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यह हो चुका है कि वे दूसरी सड़क बता देते हैं, पिपरी बुजुर्ग से पाटला तक की सड़क बता देते हैं

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न आ गया है, आप बैठ तो जाएं, आप मंत्री जी से उत्तर तो लें.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह नयी परम्परा बन जाएगी. मैं सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ, मैं यहां से अधिकारी भेज के पूरी सड़क की वीडियोग्रॉफी करवाऊंगा और

उसके बाद मैं खुद देखूंगा और यदि गड़बड़ी उसमें पायी जाएगी तो माननीय सदस्य को यही बैठा के मैं कार्यवाही करुंगा.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बता दें.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, अब हो गया.

श्री बाला बच्चन—माननीय मंत्री जी, वहां के लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली है कि यह सड़क बताओ और 51 हजार रुपये इनाम पाओ. माननीय अध्यक्ष महोदय,2005 का मामला है और अभी 2014 चल रहा है. समय-सीमा बतलाइये.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, बात हो गईमाननीय आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप दूसरे सदस्यों का समय जाया न करें

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, जांच की समय-सीमा बता दें.

अध्यक्ष महोदय – इतना क्लीयर उत्तर आ गया है, इसके बाद में भी आप संतुष्ट नहीं है(व्यवधान) आप दूसरे माननीय सदस्यों का समय जाया मत करिये.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा आपको बतलवाना पड़ेगा. माननीय मंत्री जी, समय सीमा आप बतायें(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बिना अनुमति के जो बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जाएगा.

श्री बाला बच्चन-- (X X X)

प्रश्न संख्या-9 –(अनुपस्थित)

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

मिलावटी पेट्रोल पंप की जांच

10. (*क्र. 1811) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम-मंदसौर-नीमच जिले में किन-किन कंपनियों के कितने-कितने पेट्रोल पंप कहां-कहां संचालित है. फर्म के नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर मिलावटी पेट्रोल, डीजल का उपयोग किया जाता है, इस संबंध में विभाग द्वारा जांच के नाम पर महज खाना-पूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा पेट्रोल पंप की कब-कब, किस-किस दिनांक को, किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई. गत 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी देवें तथा जांच के दौरान इन पेट्रोल पंपों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि उक्त जिलों के सभी पेट्रोल पंपों पर नियमानुसार पीने का पानी, हवा पंप शेड, शिकायत पेटी, शिकायत रजिस्टर आदि की सुविधा होना अनिवार्य है? यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा है और किन-किन पर नहीं, सम्पूर्ण जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (कुंवर विजय शाह) : (क) रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में बीपीसी, एचपीसी, आईओसी, एस्सार आईल एवं रिलायन्स कंपनी के क्रमश: 36, 43, 79, 8 एवं 7 पेट्रोल पम्प संचालित हैं. फर्म की नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. (ख) जी नहीं. निरीक्षण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. (ग) पेट्रोल पंपों पर ऑइल कंपनी के गाइडलाईन अनुसार पीने का पानी, हवा पंप, शेड एवं शिकायत रजिस्टर की सुविधा रखी जाती है. इन सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, रतलाम-मंदसौर और नीमच जिले में पेट्रोल और डीजल पम्पों पर मिलावटी जांच करने को लेकर के मात्र खानापूर्ति की जाती है .अधिकारियों की मिलीभगत से पेट्रोल पम्पों की जांच ठीक ढंग से नहीं होती है. रतलाम-मंदसौर और नीमच जिलों में 01 जनवरी 2012 से मात्र 4 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं उसमें भी चेतावनी देकर के छोड़ा गया. उसमें एक जावरा का पुलिस विभाग का पेट्रोल पम्प भी शामिल है. 9 पर जो कार्यवाही हुई है वह बहुत सूक्ष्म कार्यवाही हुई है. किसी से 1 हजार रुपये दण्ड लिया गया, किसी से 2 हजार रुपये लिये गये, किसी से 5 हजार रुपये लिये गये, कुल मिलाकर के रतलाम-मंदसौर और नीमच जिले में 9 पेट्रोल पम्पों पर 187000/- रुपये का सम्मन शुल्क, अर्थ दण्ड 2010 से अब तक किया गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विभाग की ओर से परिशिष्ट- अ और ब में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मेरा सुझाव के साथ प्रश्न है कि मिलावटी पेट्रोल और डीजल की जांच कम्पनियों में जाकर उसकी परीक्षण और वेरीफिकेशन होता है. खाद्य विभाग के अधिकारी उसका नमूना ले लेते हैं और जांच आयल कम्पनियां करती हैं. आयल कम्पनियां एक या दो हो सकती हैं. आयल कम्पनी के अलावा क्या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेन्सी से आप नमूने लिये हुए पारदर्शिता के आधार पर जांच करवाने के निर्देश जारी करेंगे?

कुंवर विजय शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि खाद्य विभाग जो प्रकरण बनाता है वह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है. कलेक्टर को हम पुटअप करते हैं और कलेक्टर के न्यायालय में वह प्रकरण चलते है. कलेक्टर्स को हम आज निर्देश भी दे रहे हैं कि कोई भी प्रकरण 3-4 महीने से ज्यादा पेंडिंग न रखें.

और अगर तीन चार माह से ज्यादा वह पेंडिंग रखते हैं तो उसकी सूचना मध्यप्रदेश शासन, खाद्य विभाग को दें कि यह इस कारण से पेंडिंग है. यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है . दूसरा हमने हर खाद्य अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि तीन और चार माह में अनिवार्य रूप से हर पेट्रोल पंप पर जाकर जांच करें और जो ऐसा नहीं करेगा हम उस पर कार्यवाही करेंगे. तीसरा प्रश्न जो आपने किया है कि कई बार यह शिकायतें आती हैं कि मिलावटी पेट्रोल पंप की शिकायत आने के बाद हम सैम्पल लेते हैं, नमूना लेते हैं और नमूने को इंडियन ऑइल कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कंपनी है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है, इनको हम भेजते हैं लेकिन कई माननीय सदस्यों का विधायक जी सहित यह कहना है कि वही ऑइल कंपनी माल सप्लाई करती हैं और वहीं पर आप सैंपल चैक करते हैं. लेकिन हम लोग उन पर शंका जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि पूरी भारत सरकार और हमारी ऑइल कंपनियाँ पूरी तत्परता और पूरी ईमानदारी से निरीक्षण,परीक्षण करती हैं. लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारी सरकार शुद्धता के लिए कटिबद्ध है कि मिलावटी पेट्रोल मध्यप्रदेश में नहीं बेचा जाये इसलिए मैं यह निर्देश आज जारी कर रहा हूं कि जब भी मिलावटी पेट्रोल पंपों की या डीजल की शिकायत होगी तो केवल ऑइल कंपनियों में चैक नहीं किया जाएगा. अब एक अलग कंपनियों की मेरे पास लिस्ट है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, एक ऑइल कंपनी को हम सैंपल भेजेंगे और अनिवार्य रूप से यह 17 कंपनियां जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं इनमें भी हम सैंपल चैक कराकर ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय , एक प्रश्न जन सुविधाओं से संबंधित है. मूलभूत सुविधायें पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलती हैं . 173 पेट्रोल पंप रतलाम,मंदसौर, नीमच जिले में स्थापित हैं....

अध्यक्ष महोदय--- आपके प्रश्नों का उत्तर आ गया है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था नहीं है,हवा भरने की व्यवस्था नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उदारतापूर्वक पानी की व्यवस्था के लिए एनाउंस कर दें.

कुंवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनियों को जो निर्देश हैं ऑइल पेट्रोल पंप पर, उसमें पानी का उल्लेख नहीं है लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूं और सभी माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे, अगर कोई पेट्रोल पंप पर जाता है और उसको पानी भी न मिले तो बड़ी दुर्भाग्यजनक बात होगी. हम मध्यप्रदेश शासन से यह निर्देश जारी करवा रहे हैं कि अगर वह मध्यप्रदेश में पंप चलाता है तो उसको अनिवार्य रूप से पीने का पानी जनता को मुहैया कराना पड़ेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद.

ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य

11. (*क्र. 2177) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र महिदपुर के अन्तर्गत कितने ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, दिनांक 1-1-2009 से दिनंक 1-6-2014 तक स्वीकृत किये गये हैं? लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्यपूर्णता दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या उपरोक्त कार्य को समय-सीमा में पूर्ण किये गये हैं तथा शासन के निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता अनुसार हैं? (ग) क्या शासन द्वारा समय-सीमा में उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं होने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (घ) शासन उपरोक्त कार्यों में से पूर्ण कार्यों का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे, समय-सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधान सभा क्षेत्र महिदपुर अन्तर्गत दिनांक 1-1-2009 से 1-6-2014 तक 13 ग्राम पंचायत भवन, 4 सामुदायिक भवन, 18 सांस्कृतिक भवन, 1 बीआरसी भवन एवं 1 जनपद पंचायत भवन विस्तार सहित कुल 37 कार्य स्वीकृत किये गये. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार. (ख) स्वीकृत कार्यों में से 17 कार्य विलंब से पूर्ण हुए एवं शेष कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये गये. जी हां. (ग) निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 8 कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार से 2 प्रतिशत राशि काटी गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तथा जिन कार्यों में निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है वहां 17 कार्य विभिन्न कार्यों से समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुये हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम 14 अनुसार. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार. कार्य निर्माणाधीन है.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा वर्ष 2009 से 2014 के बीच में विधानसभा में कितने पंचायत भवन ,कितने सामुदायिक भवन, कितने सांस्कृतिक भवन स्वीकृत किये गये इसके बारे में पूछा गया. विभाग ने कहा कि कुल 37 कार्य स्वीकृत किये गये थे उसमें से 20 कार्य पूर्ण हो गये

हैं. मात्र 17 कार्य अपूर्ण हैं .मैं पूछना चाहता हूं कि जो 8 कार्यों की एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है, उन्होंने कहा है कि ठेकदार से 2 प्रतिशत की राशि काट ली गई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके पर कार्य 25 से 50 परसेंट हुआ है और विभाग द्वारा भुगतान कर दिया गया है और जो कार्य हुआ है उसकी दीवालें फट चुकी हैं. फाउंडेशन जो चार फीट,सात फीट खोदना था....

अध्यक्ष महोदय--- आप अपना प्रश्न करिये.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, 37 कार्यों में से 8 कार्य जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किये गये, क्या माननीय मंत्री जी इन 8 कार्यों की जाँच 1 माह में उच्च स्तरीय समिति बनाकर करवा लेंगे.

श्री गोपाल भार्गव--- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुए हैं तो हम एक अधिकारी से जाँच करा लेंगे और सदस्य को अवगत करवा देंगे

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, एक माह में जाँच करवा लेंगे?

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, एक माह में जाँच करवा लेंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- धन्यवाद मंत्री जी.

आश्रय शुल्क जमा कराए बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट को अनुमति देना

12. (*क्र. 1875) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि प्रदेश में शहरी सीमा के बाहर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आश्रय शुल्क का प्रावधान करने के लिये राज्य शासन द्वारा नए एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी भोपाल व इन्दौर जिले में पुराने नियमों से निर्माण अनुमतियां दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश ''क'' के तहत भोपाल व इन्दौर जिले में एसडीओ द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रोजेक्ट के लिये पुराने नियमों के अनुसार अनुमतियां दी गई हैं? प्रोजेक्टवार, अनुमति जारी करने वाले एसडीओवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश ''क'' व ''ख'' के तहत क्या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एसडीओ को कॉलोनी विकसित करने के लिये अनुमति देने का अधिकार है? यदि नहीं, तो एसडीओ ने अनुमतियां किस नियम के तहत जारी की? (घ) क्या प्रश्नांश ''ख'' व ''ग'' के तहत नोटिफिकेशन के बाद अनुमतियां जारी करने वाले एसडीओ के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या और कब?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61 में संशोधन किया गया है. उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में नियम बनाये जाने प्रक्रियाधीन है. नियमों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है. अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही वर्तमान में अंतिम चरण में होकर प्रक्रियाधीन है. (ख) जी नहीं. शेष जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार. (ग) जी नहीं. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 धारा 61 में संशोधन के उपरान्त विहित प्राधिकारी को पृथक से घोषित किये जाने का प्रावधान है. शेष जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार. (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण हैं, सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि शहर के बाहर के जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उसमें अब आगे से जब तक आश्रय शुल्क जमा नहीं होगा तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी . यह सरकार का नोटिफिकेशन है और इसके पीछे सरकार का भाव जहाँ राजस्व प्राप्त करना है उसके साथ-साथ निम्न वर्ग के लोगों को मकान मिल सके उसकी व्यवस्था करना है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बोला गया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. सभी जगह पर आश्रय शुल्क जमा कराये बिना परमीशन नहीं दी गई .पर माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मई के पेपर में सब जगह छपा था, माननीय मंत्री जी के मार्फत भी छपा था कि बिना आश्रय शुल्क के भी सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में अनुमति दे दी गई है. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे मामले की वे जाँच कराएँगे और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने कि बिना आश्रय शुल्क के अनुमति दे दी है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग ने पत्र लिखा है अभी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है और यदि आश्रय शुल्क जमा कराए बिना या कोई विधि विरुद्ध इस प्रकार की अनुज्ञप्तियाँ दी होंगी, इस प्रकार की स्वीकृतियाँ दी होंगी, तो हम उसकी जाँच करा लेंगे और ऐसी अनुज्ञप्तियाँ हम निरस्त कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है.

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष महोदय, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और यह जाँच कब तक हो जाएगी और क्या जाँच में हमें भी शामिल करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- पहले जाँच तो हो जाए. मंत्री जी, कोई समय सीमा दे सकते हैं.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, जाँच कम से कम दो महीने में क्योंकि सारे प्रदेश की जानकारी एकत्रित करना पड़ेगी. दो महीने में पूरी जाँच कराकर और उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उससे हम अवगत करा देंगे...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ. आपकी सारी बात तो हो गई.

श्री विश्वास सांरग-- अध्यक्ष महोदय, हमें शामिल करवा दीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- वह उन्होंने नहीं कहा...(व्यवधान)..

विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था गुना में अनियमितताएं

13. (*क्र. 670) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला गुना ने वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., गुना के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध धांधली व धोखाधड़ियों की जांच कराई थी? (ख) क्या जांच में धांधली एवं धोखाधड़ी पाई जाने पर उक्त प्रकरण में पुलिस अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने का निर्णय लिया गया था? (ग) यदि पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का निर्णय लिया गया था तो क्या एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी? (घ) यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई तो क्यों नहीं कराई गई तथा अब कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) जी हां. (ग) एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना केन्ट, गुना को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था. (घ) थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत में दर्शित तथ्य प्रक्रिया के उल्लंघन से संबंधित हैं. इसमें कोई भी अपराधिक कार्यवाही करने योग्य पर्याप्त आधार नहीं है. शेष का प्रश्न नहीं उठता.

श्रीमती ममता मीना-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि गुना जिले में विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित गुना, के अध्यक्ष के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दो साल से चल रहा है और अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि हाँ यह धोखाधड़ी का मामला है और इसमें धोखाधड़ी हुई है, जाँच हुई है और इसमें एफ आई आर दर्ज होना चाहिए. लेकिन बाद में ऐसा भी उसमें आया कि जाँच कराई गई और केंट थाने में अपराध ही दर्ज नहीं किया. जबकि कलेक्टर ने 1.7.10 को जाँच प्रतिवेदन बुलवाया और एस पी को भी लिखा कि हाँ जाँच में जो पुराने अध्यक्ष हैं, वह पूरी तरह से धोखाधड़ी पाई गई.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्न करें.

श्रीमती ममता मीना-- मेरा प्रश्न यही है कि पूर्व में विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने प्लाट आवंटन किया था, उसने धोखाधड़ी की है अपने रिश्तेदारों को प्लाट आवंटित कर दिया था और कलेक्टर महोदय ने उसमें जाँच भी बिठाई थी. जाँच प्रतिवेदन में यह पाया गया था कि यह दोषी हैं और एस पी को उन्होंने लिखा था कि इसमें अपराध दर्ज कराना चाहिए.लेकिन दो साल से प्रकरण दर्ज करने के लिए जाँच चल रही है और प्रकरण दर्ज करने के लिए कलेक्टर साहब ने लिख भी दिया लेकिन अभी तक जाँच नहीं हुई है. मैं एक बात और कहना चाहती हूँ मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा, मेरे यहाँ प्रश्न लगाने के बाद शायद कल एफ आई आर दर्ज हुई है.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनियमितता के कारण 5 तारीख को एफ आई आर दर्ज कर दी गई है, माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ. उस पर कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- एफ आई आर दर्ज हो गई है.

श्रीमती ममता मीना-- अध्यक्ष महोदय, इतनी लेट हुई है यह भी एक विषय है.

अध्यक्ष महोदय-- अब हो गया.

प्रश्न संख्या-- 14 (अनुपस्थित)

कपिलधारा योजना में कूप निर्माण

15. (*क्र. 1983) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कपिलधारा योजना के तहत कितनी पंचायतों के हितग्राहियों को कूप निर्माण का लाभ मिला है? नाम बतावें? (ख) कितनी पंचायतों में कपिलधारा के तहत कूप निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितनी पंचायतों में अपूर्ण कार्य हैं, नाम सहित बताएं? (ग) जिन हितग्राहियों का कूप निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके मजदूरी और सामग्री का भुगतान हुआ है या नहीं? यदि नहीं हुआ है, तो कारण बताएं? (घ) क्या सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में सीतामऊ एवं गरोठ दोनों विकासखण्डों में एक समान वर्षा होने के बाद भी कूप निर्माण की अनुमति के पृथक-पृथक नियम अपनाए जा रहे हैं? क्या सीतामऊ में तीन हितग्राही मिलकर एक कूप निर्माण व गरोठ में एक हितग्राही को एक कूप निर्माण का लाभ मिल रहा है? इसका कारण स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कपिलधारा योजना के तहत जनपद पंचायत, सीतामऊ को 107 एवं जनपद पंचायत, गरोठ (सुवासरा) की 22 ग्राम पंचायतों में 2500 हितग्राहियों को लाभ मिला. प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सुवासरा विधान सभा में जनपद पंचायत, सीतामऊ एवं गरोठ (सुवासरा) में 129 ग्राम पंचायतों में 2105 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 74 ग्राम पंचायतों में 395 कार्य अपूर्ण हैं. प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) जिन हितग्राहियों के कूप निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी मजदूरी और सामग्री का नियमानुसार भुगतान जनपद पंचायत स्तर से ई.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से सतत् रूप से कराया जा रहा है. (घ) मनरेगा अधिनियम, 2005 दिशा-निर्देश 2013 के अध्याय 7 के बिन्दु क्र. 7.2 के अनुसार केन्द्र सरकार जलबोर्ड के अद्यतन आंककलन के अनुसार जिन क्षेत्रों को सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है. वहां कृषक समूह द्वारा कूप से पानी की सहभागिता करने पर कम से कम 3 कृषकों को समूह में कूप का लाभ दिया जाने का लेख किया गया है. जनपद पंचायत, सीतामऊ अतिदोहित / डार्क एरिया घोषित होने से नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को समूह में कूप स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा गरोठ जनपद पंचायत अतिदोहित क्षेत्र घोषित नहीं होने से व्यक्तिगत हितग्राहियों को पात्रतानुसार कूप हेतु लाभान्वित किया जा रहा है.

श्री हरदीप सिंह डंग-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी भी मंशा वही है कि गरीबों को पूरा न्याय मिले और सबकी मंशा यही रहती है कि गरीबों को न्याय मिले. इस न्याय के मंदिर में मैं आज कपिल धारा के कुँए की बात करने जा रहा हूँ, आँकड़ों के खेल में जरूर इसमें लिख कर के कुछ भी दे दें कि यह काम हो चुका है और यह पेमेंट हो चुका है. यह कार्यवाही चल रही है. मेरा यह निवेदन है कि जो यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई है इतने बड़े पन्नों की, इसको इकट्ठे करने में कम से कम इसमें 15 दिन लगे, पर वास्तव में अगर इसकी जाँच हो जाए तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि जो इन्होंने बता दिया कि काम कंपलीट है और इनको भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है. जबकि इनके कुँए खुदे 4 साल हो गए, इन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, पति ने

अपनी पत्नी के सब गहने गिरवी रख दिए और इनको अभी तक आज तक इनको कोई पेमेंट नहीं हो पाया है. जिला अधिकारी...

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न क्या है.

श्री हरदीप सिंह डंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि नंदू भाई पिता रामलाल ने 17.1.2012 को जन-सुनवाई में आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि इनको पेमेंट दे दिया जाये परन्तु आज तक इनको पेमेंट नहीं हुआ है. इनकी जमीन गिरवी रखी हुई है. प्रदीप,हरिशंकर, जगदीश, गोपाल, रोशनलाल जी. मैं आपको सबूत दे रहा हूं.

मेरा प्रश्न यह है कि यह जो जानकारी दी गई है इन मजदूरों को पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है इसकी जांच की जाये. इसमें लिखा है कि पेमेंट हो चुका है और कार्यवाही की जा रही है.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी योजना है और बिखरी हुई है एक-एक ग्राम पंचायत में यह योजना है. एक करोड़ से ज्यादा जॉब कार्डधारी मजदूर मध्यप्रदेश में हैं. जहां का माननीय सदस्य बता रहे हैं वहां पर कुछ भुगतान रुका हुआ हो तो वे मुझे लिखकर दे दें कि कहां-कहां कितना भुगतान रुका हुआ है हो सकता है आपने पहले जिले में लिखकर दिया होगा अब यहां लिखकर दे दें. हम प्रयास करेंगे कि इनके क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं जिनकी सीसी जारी हो गई होगी या फिर जिनके मस्टर जारी हो गये होंगे उनके जॉब कार्ड के आधार पर उनकी एमआईएस हो गई होगी तो एक सप्ताह के अन्दर उनका हम भुगतान करवा देंगे. अब यदि किसी ने बगैर स्वीकृति के काम करवा लिया होगा तब फिर ऐसा संभव नहीं हो पायेगा. लेकिन यदि स्वीकृति है और बाकायदा उसका मूल्यांकन होता रहा है और जॉब कार्डधारियों की उसमें इंट्री है तो निश्चित रुप से एक सप्ताह में उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा.

श्री हरदीप सिंह डंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जो प्रश्न उठ जाते हैं उनका तो पेमेंट हो जाता है. मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ. मेरा निवेदन है इसका उत्तर मंत्रीजी न दें. मेरा प्रश्न है कि विधान सभा में जो प्रश्न उठ जाते हैं उनको तो पेमेंट हो जायेगा. जो मजदूर विधायक के पास नहीं आ पाते हैं और अधिकारी के चक्कर काटते रहते हैं. मैं चाहता हूं कि सभी की जांच हो जाये और सभी को पेंमेंट हो जाये.

प्रश्न संख्या 16

मनरेगा अंतर्गत राशि का दुरूपयोग

16. (*क्र. 2183) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में मनरेगा के तहत आवंटित राशि के दुरुपयोग के संदर्भ में कतिपय अधिकारियों के दोषी पाये जाने की सूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास है? (ख) यदि हां. तो उन अधिकारियों के नाम बताएं? (ग) उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीहोर जिले में मनरेगा के तहत आवंटित राशि के दुरुपयोग के संदर्भ में वन विभाग के 13 अधिकारियों / कर्मचारियों के शिकायत की सूचना प्राप्त है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के कॉलम क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 कॉलम क्रमांक 4 से 11 तक में अंकित है.

श्री शैलेन्द्र पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली है, लेकिन माननीय मंत्रीजी द्वारा जो उत्तर दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ. यह मामला सीहोर जिले के बुदनी विधान सभा क्षेत्र का है जो कि सदन के नेता का गृह विधान सभा क्षेत्र है. यह मामला तीन साल पहले का है. शासन के द्वारा 13 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है उसमें अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है यह कार्यवाही कब तक हो जायेगी यह बतायें ?

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अन्तर्गत जहां नोडल डिपार्टमेंट फारेस्ट था वहां हमने फारेस्ट को राशि दे दी है. जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उसकी जांच वन विभाग कर रहा है इसके लिये मैं माननीय वन मंत्रीजी से भी अनुरोध करुंगा. शीघ्रातिशीघ्र जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी.

अध्यक्ष महोदय—जल्दी जांच हो जायेगी.

श्री शैलेन्द्र पटेल—अध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये हैं और पांच साल में तो सरकार बदल जाती है.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना चाहता हूँ. मंत्रीजी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि 13 वन अधिकारी प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये हैं यह आपने तीन साल पहले कहा है आपका कार्यकाल पांच साल का है. आप कम से कम समय सीमा तो बता दें कि कब तक जांच करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मुकेश नायक जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं पहले श्री शैलेन्द जी को प्रश्न पूछ लेने दीजिये.

श्री शैलेन्द्र पटेल—अध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये हैं मंत्रीजी समय सीमा बतायें कि कितने दिनों या महीनों में यह कार्यवाही पूरी होगी.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, 90 दिनों में संपूर्ण जांच पूरी करेंगे इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

परिवारों की जानकारी आनलाईन पर अपडेट करने बावत्

17. (*क्र. 1445) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त परिवारों के समग्र आई.डी. (एस.एस.एस.आई.डी.) बनाने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण होकर परिवारों की जानकारी निर्देशानुसार शासन के पोर्टल (ऑन लाईन) पर अपडेट कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक सर्वे कार्य पूर्ण कर जानकारी पोर्टल पर डाली जावेगी? (ख) जिन जिलों में सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है, क्या उन जिलों में सर्वे की ऑन लाईन एन्ट्री का कार्य पूर्ण होकर नागरिकों को समग्र आई.डी. उपलब्ध कराए जा रहे हैं? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में कार्य पूर्ण होकर समग्र आई.डी. प्रदान किये जा रहे हैं व नागरिकों को आसानी से आई.डी. प्राप्त हो सके, इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)—(क) प्रश्नांकित दिनांक तक समग्र पोर्टल पर अपडेट की गई, जिलेवार जानकारी संशोधित परिशिष्ट "अ" अनुसार है. यह एक निरन्तर प्रक्रिया है. (ख) कार्यवाही प्रचलित है.

श्री सुदर्शन गुप्ता:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का मामला है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। प्रदेश सरकार द्वारा समस्त परिवारों के समग्र आई. डी. का सर्वे कराया गया हे। किन्तु ऑन लाईन पर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। इसलिये सरकार की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि कई क्षेत्रों में यह सर्वे आई डी अपडेट नहीं नहीं हुए हैं, तो यह जब तक अपडेट नहीं हो जाते हैं तो तब तक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिलता रहे। पिछले छः सात महीने से अपडेट नहीं होने के अभाव में जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :-आपका प्रश्‍न क्या है।

श्री सुदर्शन गुप्ता:- अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने समस्त परिवारों का जो सर्वे कराया है, उसके अपडेट नहीं होने के कारण जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जब तक यह अपडेट नहीं हो जाते हैं, तब तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता रहे।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजनाओं में ध्रुवीकरण न हो, पारदर्शिता बनी रहे, जनधन का दुरूपयोग न हो , इस दृष्टि से हमने समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया। यह सही है कि जितना अपटुडेट और जितना अद्यतन होना चाहिये और शतप्रतिशत लोगों की एंट्री उसमें होना चाहिये वह नहीं हुई है। हमने जिले के कलेक्टरों से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी स्थानीय निकायों से कहकर एट्रीं कराये, ताकि किसी भी योजना की राशि का डुप्लीकेशन न हो। इस बीच में मुझे भी जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें प्रविष्ट से वंचित रहे हैं, इस कारण से मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसको अभी मेनुअली भी करें, जिससे कि जो इससे वंचित लोग है जो अभी पोर्टल में नहीं आ पाये हैं उन्हें भी इसमें शामिल करें और शेष लोगों को पोर्टल के हिसाब से लाभ मिलता रहे।

श्री सुदर्शन गुप्ता:- अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है कि पिछले छ: सात महीने से सभी क्षेत्रों में इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आई डी कोड के अभाव में नहीं मिल पा रहा है। तब तक मंत्री जी आदेश दे दें कि समग्र आई डी कोड के अभाव में उनको लाभ मिलता रहे।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रदेश में घूमता हूं, अपने जिले में क्षेत्र घुमता हूं। अभी दो दिन पहले मैंने अपने अधिकारियों से कहा था कि ऐसे विषये जैसे किसी को स्कालरशिप नहीं मिली, किसी का राशन कार्ड नहीं बना और भी अनेक प्रकार की समस्या है। इसलिये अनेक प्रकार की जो समस्या है। इसलिये मैंने कहा है कि अभी इस प्रक्रिया को भी चलने दें और जो दूसरी प्रक्रिया है जो पूर्व में चलती थी, उसको भी चलने दें। किसी भी वंचित को चाहे वो निराश्रित हो, पेंशनधारी हो, चाहे कोई भी हो उसका हक नहीं मारा जाना चाहिये, उसी महीने उसको समय पर राशि मिलना चाहिये ।

श्री सुदर्शन गुप्ता:- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह ऐसा आदेश दे दें कि जब तक नयी प्रक्रिया अपडेट नहीं हो जाती तक पुरानी परम्परा जारी रहे।

अध्यक्ष महोदय:- आपका उत्तर लगभग आ गया है।

श्री गोपाल भार्गव:- अध्यक्ष महोदय, छः महीने की प्रसव वेदना जो नया सिस्टम शुरू होता है उसमें कहीं न कहीं रहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छे भविष्य के लिये और पारदर्शी भविष्य के लिये थोड़ी बहुत परेशानी झेलना पड़ती है। लेकिन मैंने कह दिया है कि पूर्व कि प्रक्रिया भी जारी रहेगी। मैंने कह दिया है, यदि हमारी एट्रीं रूक जायेगी तो हम नहीं रूक जायेंगे। हम चाहते हैं कि उसमें शत प्रतिशत लोग उसमें शामिल हो जायें।

श्री सुदर्शन गुप्ता:- अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पूर्व की योजना का लाभ मिलता रहे।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, मिलता रहेगा।

प्रश्न क्रमांक :- 18 (अनुपस्थित)

परफार्मेंस गारंटी के कार्यों की स्वीकृति

19. (*क्र. 1996) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा को विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में परफार्मेंस गारंटी की राशि प्रदान की गई? (ख) यदि हां तो कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा द्वारा इस राशि से कौन-कौनसे कार्य, किन नियमों के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर स्वीकृत किये गये? (ग) प्रश्नांश "क" के संबंध में क्या परफार्मेंस गारंटी की राशि से कार्य स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को प्रदान किये गये हैं? यदि हां तो क्या जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा की सामान्य प्रशासन समिति से कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त किये गये हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) बालाघाट जिले की जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा को वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में निम्नानुसार राशि प्रदाय की गई:—

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बैहर	50.00	25.00	75.00
2.	बिरसा	50.00	25.00	75.00
3.	परसवाड़ा	50.00	25.00	75.00
	योग . .	150.00	75.00	225.00

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के क्रमांक एफ-2-4/2012/22/पं.-1, दिनांक 21-9-2012 तथा क्रमांक एफ-2-4/2012/22/पं.-1, दिनांक 18-1-2013 एवं पंचायत राज संचालनालय के क्रमांक/स्था./पं.रा./2013/2903, दिनांक 25-3-2013 में दिये गये निर्देश व नियम के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर स्वीकृत किये गये. (ग) जी हां. जनपद पंचायत, बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा की सामान्य प्रशासन समिति/सामान्य सभा से कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त किये गये है.

श्री संजय उईके:- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिये हैं, वह गलत हैं। आज ही के अतारांकित प्रश्न 2002 में वही प्रश्न सामान्य प्रशासन समिति के संबंध में पूछा गया था, दोनों जवाबों में बैठक की जानकारी अलग- अलग दी गयी है। इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो बैठक की जानकारी दी गयी है, वह गलत दी गयी है। उसी प्रकार जनपद पंचायत विदिशा की जानकारी जो मुझे देना चाहिये थी, वह वर्ष 2012-13, 2013-14 की जानकारी भी मुझे उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जिन अधिकारियों ने सामान्य प्रशासन समिति की बैठक से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और कब तक ?

श्री गोपाल भार्गव:- अध्यक्ष महोदय, मुझे उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन समिति की बैठक हुई है और उसी के अनुसार ये स्वीकृतियां हुई हैं और उनका अनुमोदन हुआ है। इस कारण से यह कहने का अधिकार नहीं बनता कि यह बैठकें नहीं हुई है और उसकी अनुपस्थिति में सीईओ ने कर दी है।

श्री संजय उईके:- अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2012-13 में बैहर में कोई बैठक नहीं हुई, बिरसा में वित्तीय वर्ष 2013-14 में कोई बैठक नहीं हुई है। यह जानकारी में उपलब्ध है।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, यदि बैठक का कोई रिकार्ड नहीं होगा, हम दिखवा लें।

श्री संजय उईके- जब बैठक हुई ही नहीं तो पिफर अनुमोदन कैसे हुआ।

अध्यक्ष महोदय:- रिकार्ड होगा तो उसको दिखवा लेंगे, नहीं होगा उसको भी दिखवा लेंगे।

मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत निर्माण कार्य

20. (*क्र. 1323) श्री कुंवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़क मार्गों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? चरणवार स्वीकृत सड़क मार्गों की लागत दूरी व स्थान की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार स्वीकृत सड़क मार्गों में कितने सड़क मार्ग निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिये गये हैं, उनके विवरण देवें? शेष स्वीकृत मार्ग जो विलंब से पूर्ण किये गये हैं, या किये जा रहे हैं, उनके ठेकेदार/कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) भविष्य में मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माण के प्रस्ताव विभाग के पास कितने लंबित हैं, उनको कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्माण कार्यों के सुपरविजन हेतु मात्र एक ही उपयंत्री पदस्थ है, ऐसी स्थिति में एक ही उपयंत्री द्वारा सड़कों पर किस प्रकार गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा रहा है? उपयंत्री के अभाव में मुख्यमंत्री सड़कों का कार्य गुणवत्ताविहीन एवं कार्यों के प्रस्ताव भी आवश्यकतानुसार तैयार नहीं हो रहे हैं? क्या शासन उपयंत्री की पूर्ति करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. विलंब से पूर्ण किये जा रहे सड़क मार्ग की एजेंसी के ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार नोटिस दिये गये हैं. (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रस्ताव विभाग के पास स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं. (घ) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के सुपरवीजन व गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रस्ताव तैयार करने हेतु 02 उपयंत्री कार्यरत् हैं. अत: उपयंत्रियों की कमी के कारण कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहे.

श्री कुंवरजी कोठार - माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तीन चरणों में अभी भी चल रही हैं उनके द्वारा प्रश्न-ख में माननीय मंत्री जी द्वारा जो जानकारी दी गई है. उसके अंतर्गत मैं जानना चाहता हूं कि कार्य पूर्ण करने की दिनांक क्या थी और विलंब से किये जा रहे कार्य के लिये कौन दोषी है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है. इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

श्री गोपाल भार्गव – माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कामों में विलंब हुआ है उनमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कार्यों को पूर्ण कराएं. ठेकेदारों को नोटिस दिये गये और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली है इसीलिये किसी को दोषी नहीं माना.

श्री कुंवरजी कोठार - माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटिस देने से काम नहीं चलेगा. अधिकारियों द्वारा क्या पेनाल्टी प्रपोज की गई है उसकी जानकारी सदन को दी जाए ताकि ठेकेदार चिंता से काम पूरा करे. चार साल से काम अधूरे पड़े हैं. ग्रामीण जनता परेशान है.

श्री गोपाल भार्गव – माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया होती है उसके लिये रिमाइंडर दिये जाते हैं. हम इसलिये ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर हमारी कार्यवाही पर स्टे न प्राप्त कर ले तो माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहते हैं कि पेनाल्टी लगाना उचित होगा तो

पेनाल्टी लगाई जाएगी या जो भी विधिसम्मत कार्यवाही होगी वह की जायेगी और सड़कें यथाशीघ्र उनके लिये पूर्ण कराई जाएंगी.

देवरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्राप्त प्रकरण

21. (*क्र. 2115) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधान सभा क्षेत्र के देवरी तथा केसली विकासखण्ड/जनपदों में मुख्यमंत्री आवास योजना के कितने प्रकरण प्राप्त हुये हैं? ब्लॉकवार बतायें? (ख) जनपद द्वारा कितने प्रकरण बैंकों को आवास ऋण मंजूर करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं? वर्षवार हितग्राहियों की कुल संख्या विकासखण्डवार बतायें? (ग) बैंकों ने कितने प्रकरण स्वीकृत किये हैं? स्वीकृत प्रकरणों में से कितने आवास निर्मित कराये गये हैं, विकासखण्डवार बतायें? (घ) क्या यह सही है कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत न करने से आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की इस विशेष योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या शासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा? जिलास्तर पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के प्रारंभ से, देवरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत देवरी विकास खण्ड/जनपद पंचायत में, 1428 प्रकरण एवं केसली विकासखण्ड/जनपद पंचायत में, 855 आवासीय ऋण प्रकरण प्राप्त हुए हैं. (ख) देवरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, विकासखण्ड, देवरी में, बैंकों में आवास ऋण मंजूर करने के लिए वर्ष 2011-12 में 145, वर्ष 2012-13 में 502 एवं वर्ष 2013-14 में 731, इस प्रकार कुल 1378 हितग्राहियों के प्रकरण प्रस्तुत किये गये एवं विकासखण्ड, केसली में, बैंकों में आवास ऋण मंजूर करने के लिए वर्ष 2011-12 में 190, वर्ष 2012-13 में 406 एवं वर्ष 2013-14 में 259, इस प्रकार कुल 855 हितग्राहियों के प्रकरण प्रस्तुत किये गये. (ग) देवरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, देवरी विकासखण्ड में मिशन के प्रारंभ से अब तक कुल 764 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं एवं इनमें से 388 आवास निर्मित हो चुके हैं. केसली विकासखण्ड में मिशन के प्रारंभ से अब तक कुल 547 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं एवं इनमें से 356 आवास निर्मित हो चुके हैं. इस प्रकार मिशन के प्रारंभ से अब तक देवरी विधान सभा क्षेत्र में कुल 1311 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए हैं. इनमें से 744 आवास निर्मित हो चुके हैं. (घ) उक्त बैंक शाखाओं द्वारा इस मिशन में, उन्हें आवंटित वार्षिक लक्ष्य की संख्या के बराबर आवासी ऋण प्रकरणों में ऋण वितरण किए जाने से, पात्रतानुसार एवं प्राथमिकता के क्रम में ग्रामीण आवासहीन इस मिशन में लाभान्वित हुए हैं. अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. तद्नुसार इस मिशन में, लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर प्रयास किए जावेंगे.

श्री हर्ष यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार की अभिनव योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की गई है. इसमें इतनी विसंगतियां हैं कि हितग्राही जनपद पंचायत के चक्कर काटते-काटते, बैंक के चक्कर काटते-काटते, पटवारी के चक्कर काटते-काटते उसे एक साल लग जाता है. उसका इतना व्यय हो जाता है. उसके बाद जब अंत में फाईल बैंक में पहुंचती है तो बैंक वाले वहां लटका देते हैं. बैंक वाले गारंटी चाहते हैं कि हमें गारंटी दें कि हमारा पैसा वापस करेंगे. हमारे जिले के पालक मंत्री हैं. मैं चाहता हूं कि ऐसे हितग्राहियों के लिये पट्टे की सुविधा और बैंक की गारंटी शासन लेगा क्या ? दूसरा प्रश्न है नगरपालिका के अंतर्गत 5 से 8 कि.मी. के दायरे के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मैं चाहता हूं कि 5 से 8 कि.मी. दायरे के लोगों को भी इसका लाभ मिले.

श्री गोपाल भार्गव – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पिछली केंद्र सरकार से बहुत ही कम आवास कुटीर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित हुए. 52 हजार गांव मध्यप्रदेश में और हमें 75 हजार कुटीरें मिली हैं. एक गांव पर डेढ़ कुटीर. इस कारण से हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की. मुझे कहते हुए खुशी है कि आज की तारीख में लगभग साढ़े तीन लाख से ज्यादा आवास कुटीरें बनकर तैयार हो चुकी हैं. इससे बड़ी राज्य के द्वारा प्रचलित कोई भी योजना देश के अंदर नहीं चल रही है. जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया इसमें यह आवश्यक है कि हम पहले पट्टा देते हैं भूमि का बनाने के लिये और उसके बाद जिलों में समन्वय समिति होती है बैंकर्स के साथ बैठक करके ऋण स्वीकृत करवाते हैं. ए.डी.ओ. और जनपद के सी.ई.ओ. वगैरह हैं. जिला पंचायत के अधिकारी वह इसके लिये स्वीकृति देते हैं बैठक करने के लिये जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कम संख्या में मिल रही हैं तो हमने इसका एक कोटा निर्धारित किया है क्योंकि हमारी भी सीमाएं हैं. इसमें बड़ी राशि राज्य के लिये भी देनी पड़ती है और इस कारण से हम इस योजना के लिये कोशिश कर रहे हैं कि इसे और ज्यादा विस्तारित स्वरूप दें क्योंकि राज्य में 36 लाख से ज्यादा आवासहीन अभी भी हैं और इस कारण से इस योजना में हम निश्चित रूप से प्रतिवर्ष जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें थोड़ा समय लगेगा. मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक परिधि बढ़ाने की बात है तो जब यह पूर्ण हो जाएगा उसके बाद करेंगे.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री गौरीशंकर शेजवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज सदन में 21 प्रश्न तक चर्चा कराई तथा माननीय गोपाल भार्गव जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 19 प्रश्नों का उत्तर दिया विधान सभा में शायद ऐसा रिकार्ड है नहीं.

अध्यक्ष महोदय—आपको धन्यवाद और उनको भी मेरी ओर से बधाई.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, डॉ.साकल्ले डीन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है वे व्यापम की घटना से भी जुड़े हुए थे इस पर हमारे दल के माननीय सदस्यों के द्वारा ध्यानाकर्षण दिया है कि इस पर चर्चा कराई जाये यह हम लोगों की मांग है.

अध्यक्ष महोदय—उस पर विचार कर लेंगे आप मेरे कक्ष में आकर के बात कर लें.

श्री सत्यदेव कटारे—आपका धन्यवाद.

नियम 267 (क) के अधीन विषय

(1) इन्दौर शहर में ध्वनि प्रदूषण होना

श्री सुदर्शन गुप्ता (इन्दौर-1)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है.

इन्दौर शहर में लगातार ध्वनी प्रदूषण बढता जा रहा है। जिसके कारण स्कूल–कॉलेज के विद्यार्थी, मरीज व उनके परिजन, वृध्द व्यक्ति, राहगीर, व्यापारी, सभी कार्यालयों के कर्मचारी व अधिकारी सहित नागरिक काफी परेशान है।

शहर में निकलने वाले राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जुलुसों में ध्वनी विस्तारक यंत्र व डी.जे. साउण्ड का खुलकर उपयोग होता है। इन कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु कई दिनों पूर्व से डी.जे. व अन्य ध्वनी विस्तारक यंत्र लगाकर गाडीयों से उपयोग किया जाता है। साथ ही शहर में निकलने वाली बारातों में बैंड, ढोलक व ताषों के माध्यम से ध्वनी प्रदूषण होता है, तथा शहर में धर्मशालाओं व मैरिज गार्डनों में भी देर रात तक ध्वनी विस्तारक यंत्र चलाने से उस क्षेत्र के रहवासी नियमित परेशान होते रहते हैं। इस प्रकार होने वाले ध्वनी प्रदूषणों से नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।

(2) रतलाम आदि जिलों में उद्योग का दूषित पानी जमीन में छोड़ा जाना.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है.

रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगो द्वारा उपयोग उपरांत दूषित जल को ट्यूबवेलो के माध्यम से लगातार जमीन में 300-400 फीट गहराई में छोड़ा जा रहा है जिससे लगभग क्षेत्र के 5 किलो मीटर की परिधि में रिहायशी इलाको में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इन ट्यूबवेलो का दूषित जल विभिन्न कॉलोनियों, विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में लगे ट्यूबवेलो में दूषित जल के रुप में निकल रहा है जिससे नागरिको को न चाहते हुए भी उद्योगो के विभिन्न रसायनो को पीना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्र के नागरिको में बीमारियों बढ़ती जा रही है। ज्यादातर उद्योगो में दूषित पेयजल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए मशीनरी तो लगी है किन्तु ज़्यादा खर्च के कारण ये उद्योगपति सिर्फ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही इन्हें चलाते है। जिसकी जांच की जाना अत्यंत आवश्यक है। रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिलो में औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त उद्योगो की जांच कर इस समस्या से जनता को राहत दिलाई जाए।

(3) मुरैना के थाना सुमावली में विद्युत तारों के टूटने से भैंसों की मौत होना.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है.

मुरैना 13 मई 2014 लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम रूअर मैना बसई थाना सुमावली अपनी दुधारू भैंसों को निजी ट्यूब बैल पर पानी पिलाने ले जा रहा था वहीं रास्ते में 11 के.व्ही. लाइन के तार टूटे पडे थे जिससे तारों के करेन्ट के प्रवाह से तीन भैंसों की मौत हो गई जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई श्री गुर्जर गरीब किसान है दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है अब उसके जीवन यापन की रोजी रोटी भी छिन गई गॉव के लोगों का कहना है कि विद्युत तार टूटने की सूचना सुमावली विद्युत उपकेन्द्र पर दो दिन पूर्व दी गई थी लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, श्री गुर्जर की डेढ़ लाख रूपये की भैंसों का अभी तक कोई शासन की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इस घटना से सभी किसानों में क्षोम प्राप्त है।

(4) नागदा में शासकीय भूमि पर कब्जा किया जाना

डा. रामकिशोर दोगने (हरदा) - माननीय अध्यक्ष महोदय,

नागदा तहसील में राजस्व अधिकारियों की सांठ–गांठ से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर करोडों रूपये मुल्य की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। अतिक्रमण करने की तत्काल शिकायत करने पर भी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण रोकने हेतू कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। विगत दिनों आदिम जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग छात्रावास इंगोरिया रोड नागदा जिला उज्जैन से लगी हुई लाखों रूपये की शासकीय गौचर भूमि सर्वे क्रं. 1386 पर अधिकारियों की सांठ–गांठ से गेट व दिवाल बनाकर किए गए अतिक्रमण कर लिया गया इसी प्रकार नागदा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 438 पर अवैध कब्जा कर दो मंजिला मकान बनाने की शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र क्रं. 1820/2013, भोपाल दिनांक 09/05/2013 में कार्यवाही करने हेतू आदेश जारी किए गए है ? परंतु जनहित में उपयोगी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभी तक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे की क्षैत्र की जनता में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

(5) सोनकच्छ के ग्राम पीपलरावां मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त होना

श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा (सोनकच्छ)--माननीय अध्यक्ष महोदय,

देवास जिले मे सोनकच्छ — पीपलरावां मार्ग पर पुलिया जानलेवा हो रही हैं । ग्राम दुदलाई से कुछ दुरी पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त हलत में है। लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ द्धारा कार्य में टालमटोली कर पुलिया के नीचे दो लोहे के एंगल लगाकर उसे गिरने से बचाया जा रहा हैं पुलिया पर अधिक दबाव होने से पुलिया पुरी तरह से दब चुका है। साथ ही रोड के ऊपर एक बडा सा गडढा हो गया है इसके कारण जान और माल का खतरा बना हुआ हैं। इस पुलिया से होकर गंधर्वपुरी पीपलरावां टोंकखुर्द पोलाय सहित करीब 100 से ज्यादा गांव जुडे है। ग्रामीणें यात्रियों में इस क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों द्धारा जान जोखिम में डालकर इस पुलिया पर से सफर करते हैं। उन्हे भय हैं कि किसी दिन यह पुलिया गिर न जाए।

(6) भिण्ड जिले के नारदेश्वर के मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना.

डॉ. गोविन्द सिंह(लहार)--माननीय अध्यक्ष महोदय,

भिण्ड जिले के लहार तहसील के ग्राम मडोरी में प्रसिद्व एतिहासिक नारदेश्वर (नारदा मंदिर) धार्मिक ग्रन्थों में लिखे अनुसार नारदमुनिजी ने सिंध नदी के किनारे तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस ऐतिहासिक एवं पवित्र मंदिर पर भिण्ड जिले के ग्राम मडोरी सहित गोहद तहसील के ग्राम इटायदा के सर्वे कमांक 841, 939, 945, 948, 949 एवं 841 कुल किता 6 रकबा 5.393 है0 एवं दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील के ग्राम गुमानपुरा में स्थित भूमि सर्वे नं0 505, 511, 512, 515,528, 529, 530, 532, 546, 590, 595, 596, 597, 598 एवं 607 कुल किता 15 कुल रकबा 5.18 है0, ग्राम बिजौरा के सर्वे नं0 313, 314, 315, 361, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 1.79 है0 ग्राम कुअंरपुरा के सर्वे नं0 45, 46, 48, 210, 233, 234, 235 कुल किता 7 कुल रकबा 6.356 है0 भूमि मंदिर की पूजा पाठ हेतु शासन की और से लगाई गई है राजस्व खाते में प्रबन्धक कलेक्टर के नाम से दर्ज है। परन्तु पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से इस मंदिर की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया हैं। मंदिर के महंत व पुजारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मंदिर की भूमि से अतिकमण हटाने एवं महंत को कब्जा सौंपने की मांग की गई एवं विधानसभा में भी शासन ने अनेकों बार आश्वासन दिया। आश्वासन के तहत केवल ग्राम इटायदा, गुमानपुरा एवं विजौरा की भूमि को कागजों में मंदिर का फजी कब्जा दिखाकर शासन को गुमराह किया है। अनेकों बार दतिया जिले के थाना डीपार एवं पुलिस अधिकारियों से भी शिकायतें की गई परन्तु अतिकमणकारी पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर फसल काट रहे हैं और अभी भी मंदिर की भूमि पर कब्जा किये हुए हैं। मंदिर की भूमि से कब्जा न हटने से मंदिर के महंत एवं पुजारी सहित सभी धर्म प्रेमी बन्धुओं में रोष व्याप्त है।

(7) सिंगरौली एवं सीधी जिले के आदिवासी विकास खण्ड परियोजना अन्तर्गत गंभीर अनियमितता

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,

सिंगरौली/सीधी जिले में संचालित आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत कुसमी, देवसर में विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि का सही उपयोग न किया जा कर गंभीर आर्थिक अनियमितायें की जा रही है, विभाग द्वारा न ही किसी कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है न ही क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को कार्यो की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की राशि के हो रहे दुरूपयोग से समूचे आदिवासी क्षेत्रीय जनता के व्यापक आक्रोश व असंतोष व्यापत है।

(8) **रीवा के ग्राम गुढ़वा के वार्ड 10 व 11 में नाली निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति.**

श्रीमती शीला त्यागी (मनगवां) -- अध्यक्ष महोदय,

रीवा जिले के तहसील मनगवां के ग्राम गुढ़वा के वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 की निकासी हेतु नाली का निर्माण न होने से घरों में पानी भर रहा है बस्ती में सड़क को सीमेंटेड किये जाने से सड़क मार्ग घर के लेबल से एक दो फीट तक ऊपर हो गई है । जिससे बरसात एवं अन्य अनुपयोगी गंदा पानी घरों में भर जाता है । इस कारण रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । लोग गंदगी के कारण बीमार पड़ रहे है । निर्माण न होने से ग्राम वासियों में रोष और आक्रोश व्याप्त है ।

11.41 बजे **ध्यान आकर्षण सूचना**

(1) शिवपुरी एवं विदिशा जिले में रावत जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र न दिया जाना.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) -- अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश में निवास करने वाली मीना (रावत) जाति जो मध्य प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23/4/97 चौवन दिनांक 02 अप्रैल क्र. 1997 की पिछड़ा वर्गो की सूची क्रमांक 21 पर पिछड़ा वर्ग में है वही केन्द्र सरकार के राजपत्र दिनांक 16 जून 1911 में पिछड़ा वर्ग की सूची में मध्य प्रदेश राज्य के लिये क्रमांक 19 पर मीना (रावत) देशवाली अधिसूचित किया गया है इस प्रकार मीना रावत जाति मध्य प्रदेश व केन्द्र की सूची में होते हुए भी शिवपुरी जिले में पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जिला प्रशासन की हठधर्मिता के चलते नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे मीना रावत जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ व शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ नहीं मिल रहा है इतना ही नहीं करेरा अनुभाग के कुशल चौहान निवासी दिहायला ने मीना (रावत) जाति का भारत सरकार के लिये प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया व आवेदक के पास मध्य प्रदेश राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होने के बाद भी पटवारी ने जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन में जबरन टीप लगवाकर दिनांक 31.05.2014 को आवेदन निरस्त कर दिया गया जिससे कुशल चौहान आई.आई.टी. परीक्षा में पिछड़ा वर्ग का लाभ लेने से वंचित रह गया इसी प्रकार विदिशा जिले की तहसील विदिशा शमशाबाद, बासौदा में मीना (मैना) रावत, देशवाली जाति के लोगों के पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं, जबकि सिरोंज एवं लटेरी तहसील में मीना जाति को 2002 से पूर्व में अनुसूचित जनजाति में थी, लेकिन भारत के राजपत्र दिनांक 8 जनवरी 2003 से विलोपित किया गया है उक्त तहसीलों में मैना जाति न तो अनुसूचित जनजाति के न ही पिछड़ा वर्ग की सूची में है। जिला कलेक्टर, विदिशा द्वारा मीना मैना रावत देशवाली जाति के पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य शासन को पत्र भी लिखा उस पर भी कोई निर्देश जारी नहीं किये गये इस प्रकार प्रदेश के शिवपुरी एवं विदिशा जिले में मीना मैना (रावत) एवं देशवाली जाति के पिछड़ा वर्ग होने के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने के कारण मीना, मैना, रावत एवं देशवाली जाति के समाज में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्रदेश में निवास करने वाली मीना (रावत) जाति जो म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र 23.04.97 दिनांक 02 अप्रैल 1997 की पिछड़े वर्गों की सूची क्रमांक 21 पर मीना (रावत) पिछड़े वर्ग में है वहीं केन्द्र सरकार के राजपत्र दिनांक 16 जून 2011 में सरल क्रमांक 19 पर मीना (रावत), देशवाली अंकित है।

यह सही नहीं है कि मीना (रावत) जाति के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे है। राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 21 में मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर) दर्ज है एवं कैफियत के कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रावत मीना की उपजाति है, जो ब्राम्हण नहीं है। ऐसे आवेदक जो यह प्रमाण पेश कर रहें है कि वह मीना की उपजाति रावत जाति के हैं तथा ब्राम्हण नहीं है, उनके मीना (रावत) जाति के पिछड़े वर्ग होने के प्रमाण पत्र शिवपुरी जिले में जारी किये जा रहे हैं।

शिवपुरी जिले के करेरा अनुभाग के श्री कुशल चौहान पुत्र श्री नवल चौहान निवासी दिहायला ने मीना (रावत) जाति का भारत सरकार के लिये प्रमाण पत्र हेंतु आवेदन किया था । आवेदक के द्वारा पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं आवेदक के पिता की सेवा पुस्तिका में मीना जाति होने का उल्लेख न होने के कारण दिनांक 31.05.2014 को आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया, परंतु आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 30.06.2014 को शपथ-पत्र व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर मीना जाति की उपजाति रावत होना बताया गया, तत्पश्चात् उसका जाति प्रमाण-पत्र क्र 2956/13-14/बी-121, दिनांक 30.06.2014 से जारी किया गया।

इस प्रकार से पूरे जिले में मीना (रावत) जाति के आवेदकों द्वारा मीना जाति की रावत उपजाति होने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहें हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति सूची 1976 में सरल क्रमांक 32 पर मीना केवल विदिशा जिले के सिरोंज सब–डिबीजन में ही अनुसूचित जनजाति मान्य थी, जिसे अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचिज जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 (भारत का राजपत्र दिनांक 8 ज़नवरी 2003) द्वारा अनुसचित जनजाति सूची से विलोपित किया जा चुका है।

राज्य शासन द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग की सूची 1984 (जो म0प्र0 राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1997 में प्रकाशित है) में सरल क्रमांक 21 पर मीना (रावत) देवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर) अधिसूचित है।

अतः मीना (रावत) जाति को विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलों में पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं।

जहॉ तक विदिशा जिले में मैना जाति का प्रश्न है मैना जाति के लोग जो मीना जाति के नहीं हैं उनको पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है। मैना जाति के ऐसे व्यक्ति जो मीना जाति के वास्तविक सदस्य हैं स्थानीय जॉच एवं पुष्टि उपरान्त मीना जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। इस संबंध में राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 28.02.2013 द्वारा कलेक्टर विदिशा को यह निर्देश जारी किये गये है कि विदिशा जिले में निवासरत मैना जाति के लोगों की जांच में यह पाया जाता है कि वह पिछड़ा वर्ग की सूची में सरल क्रमांक 21 पर दर्ज मीना जाति के लोग हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे। इस प्रकार सभी कार्यवाही शासन के नियम निर्देशों के अंतर्गत की गई है। अतः आम जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

जहॉ तक विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील में निवासरत मीना (रावत), देशवाली, मेवाती, मीणा के पिछड़ा वर्ग में शामिल न होने का प्रश्न है ? उक्त संबंध में राज्य शासन तथ्यपरक अनुसंधान कराकर समुचित निर्णय लेगा।

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष प्रकरण है इसलिये मैं आपका विशेष रूप से संरक्षण चाहता हूं. माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया तो ऐसे आवेदक, मैं कुशल चौहान की बात करना चाहूंगा . मंत्री जी ने कहा कि उस दिन प्रमाण पत्र नहीं था, मैने ध्यानाकर्षण में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक के पास मध्यप्रदेश राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पूर्व से था. जब मध्यप्रदेश राज्य का पहले से ही उसके पास में पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र था तो आप बतायें कि आप क्या सिद्ध कराना चाहते हो , किस तरह से सिद्ध करना चाहते हो, किस तरह से आप संतुष्ट होना चाहते हो कि आप पिछड़ा वर्ग के हो कि नहीं है ?

आध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्न पूछें.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह कहा है कि आवेदक प्रमाण पेश करे कि वह मीना की उप जाति रावत है. जबकि आपके प्रमाण पेश करने में एक क्लॉज यह भी है कि अगर पूर्व से परिवार या व्यक्ति के पास में पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है तो उसे मान्य करके पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनाया जायेगा. यहां तो आवेदक के पास ही मध्यप्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र था. दूसरी बात मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि राजस्व रिकार्ड में कहीं मैना जाति लिखा है, कहीं रावत लिखा है कहीं मीना लिखा है, अलग अलग स्टेटो में अलग अलग ढंग से लिखा है तो शासन किस तरह से दिशा निर्देश जारी करना चाहता है कि यह सिद्ध करने में कैसे सफल हो पायें कि यह मीना, मैना, रावत, देवाली एक ही जाति की हैं. या तो Encyclopedia of India की सूची आप भिजवा दें या फिर tribe And caste general provision of india , रसेल्स की और बहादुर हीरा लाल की जिसके आधार पर पूरी कार्यवाहियां होती हैं, आप इसको भिजवा दें. आखिर किस तरह से आप सिद्धी चाहते हैं. इसने पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होने के बाद भी government of india वाला प्रमाण पत्र निरस्त किया गया, क्या इसके लिये यह दोषी नहीं है ?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह से हैं यह तो सारा का सारा इसमें उल्लेख है. कौन कौन पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं. अगर आप कहें तो मैं रावत, मीना जाति की उप जाति जो ब्राह्मण नहीं वह सब मैं पढ़कर के सुना सकता हूं. मीना, सिरोंज तहसील में छोड़कर के इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है.

अध्यक्ष महोदय-- उसको आप मत पढें क्योंकि वह आ गया है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा- जहां तक सम्माननीय सदस्य ने एसडीएम के बारे में कहा है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरफेयर करना चाहता हूं. अध्यक्ष जी सवाल लंबे चोड़े उत्तर के जरूरत की नहीं है . जब एक नोजवान पिछड़े वर्ग का है और मध्यप्रदेश सरकार का पिछड़े वर्ग का बना हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो उसको माना क्यों नहीं गया यह सवाल है.

अध्यक्ष महोदय-- अब वह बात आ गई है. उसी का तो उत्तर दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- यही तो (XX) है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था वही नेता प्रतिपक्ष ने रिपीट किया. मेरा निवेदन है कि रिपीटेशन न करें. मैं जबाव नहीं दे रहा होता तो रिपीट होता तो अलग बात थी.

श्री रामनिवास रावत-- क्यों मान्य नहीं किया यह बता दें.

अध्यक्ष महोदय- उस मिस्टेक को रेक्टीफाइ कर लिया, रेक्टीफाइ हो गई न.

(XX) विलोपित

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, अभी भी वे फार्म नहीं ले रहे हैं. मुख्यमंत्रीजी 19 जून को शिवपुरी गये थे. वहां घोषणा करके आये थे कि सबके प्रमाण पत्र बनेंगे. वह एसडीएम कह रहा है कि मुख्यमंत्री बोले या विधायक प्रश्न उठाये. मेरी मर्जी मैं जब चाहूंगा आवेदन लूंगा, जब चाहूंगा तब बनाऊंगा. स्कूलों में प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं. वहां किसी के आवेदन की जरुरत नहीं है. स्कूलों के माध्यम से आवेदन आ रहे हैं. यह बता दें कि शिवपुरी जिले में कितने छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र बनाये.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- जिन्होंने आवेदन किया उन सबके बनाये गये.

श्री रामनिवास रावत-- कितने?

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- मैं, कोई संख्या लेकर थोड़े ही आया हूं.

अध्यक्ष महोदय-- इससे यह प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता. इस विषय में आप स्पष्ट निर्देश जारी कर देंगे क्या?

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- जी हां. कर देंगे.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए कि वह माना क्यों नहीं गया? जब म.प्र.राज्य का पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र था तो क्यों निरस्त किया गया. दूसरा, विदिशा में शमशाबाद, बासौदा और इन तहसीलों में राजस्व में मैना जाति अंकित है, उनके भी प्रमाण पत्र भी नहीं बनाये जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने उसका निर्देश दे तो दिया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसको और स्पष्ट करके भेज देंगे.

श्री रामनिवास रावत-- निर्देश तो कई बार हो गये हैं. मैं पहले भी विधानसभा में बात उठा चुका हूं. पहले भी मुख्यमंत्रीजी कह चुके हैं. विदिशा जिले के सिरोंज और लटेरी दो तहसीलें हैं वह

पहले एससी में थे, उनको हटा दिया. मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य शासन उसको कब तक पिछड़े वर्ग की सूची में ले आयेगा.

अध्यक्ष महोदय-- उत्तर आ गया है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, उसको राज्य शासन नहीं केन्द्र शासन लाता है.

श्री रामनिवास रावत-- वह केन्द्र की बात है लेकिन राज्य में आप करेंगे.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, या तो सवाल नहीं करें और यदि सवाल करें तो जवाब सुनें. आप सवाल करें और बैठ जायें. मैं जवाब दूंगा.

श्री रामनिवास निवास-- अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में अधिसूचित कौन करता है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, विदिशा जिले में जो हटाया गया है यह हमारे आदेश से नहीं हटा है. यह केन्द्र सरकार ने हटाया है. केन्द्र में आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किये जबकि कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हटाया है. मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार को तीन बार लिख चुकी है. माननीय शिवराज सिंह जी सरकार ने भी लिखा और उसके माननीय उमा भारती जी की सरकार में लिखा गया है. हां, हम एक स्मरण पत्र पिछली तारीखों में कर देते हैं वहां से आ जायेगा तो राज्य सरकार जोड़ देगी.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा उत्तर नहीं आया है. मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. मेरा उत्तर नहीं आया. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आपका उत्तर बिलकुल स्पष्ट आ गया है.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया. विधानसभा में प्रश्न लगाने का क्या मतलब है.

अध्यक्ष महोदय-- आपका क्या प्रश्न है?

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, आप यह बतायें कि एसडीएम ने क्यों निरस्त किया ?

अध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी, स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य शासन नियमों में परिवर्तन कर कि यदि कोई पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो मान्य किया जाये.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना यह है कि राज्य सरकार का पिछड़े वर्ग का जो प्रमाण पत्र था, उसको माना क्यों नहीं. यह सीधा सवाल था. मंत्रीजी ने उत्तर नहीं दिया है. वह बता दें कि क्यों नहीं माना?

अध्यक्ष महोदय-- बिना दस्तावेज देखे कैसे बता देंगे?

श्री रामनिवास रावत-- दस्तावेज हैं. मैंने ध्यानाकर्षण किस लिए लगाया.

श्री सत्यदेव कटारे-- वह बतायेंगे ना. मंत्री बैठे किस लिए है. दस्तावेज लेकर बैठे. आप इतनी सी बात बता दीजिए कि क्यों नहीं माना? आपका सर्टिफिकेट है. या तो वह फर्जी या फिर माना क्यों नहीं यह बताईये.

अध्यक्ष महोदय-- श्री यशपाल सिंह सिसोदिया...

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्षजी, सवाल का उत्तर तो आने दीजिए. अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसे चलना होगा. आप इतना सा उत्तर सरकार से दिलवा दीजिए कि क्यों नहीं माना.

श्री रामनिवास रावत-- प्रदेश की एक जाति के संरक्षण की अपील कर रहे हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, एसडीएम को जब इन्होंने रिन्यूवल के लिए दिया तो वहां पर एक शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर उन्होंने इनसे सारे अभिलेख मांगे. जब यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाये तो उसको निरस्त किया. जब इन्होंने पूरे अभिलेख प्रस्तुत कर दिये तो बना दिये. इतनी सी बात है.

अध्यक्ष महोदय-- अब आपकी बात आ गई है.

श्री रामनिवास रावत-- उत्तर नहीं आया. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, जब एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली उसके बाद मानने का क्या मतलब रहेगा. (व्यवधान) सरकार के उत्तर के विरोध में हमारा पूरा दल सदन से बहिर्गमन करता है.

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

धार जिले के लेबड़ से नयागांव तक फोरलेन सड़क निर्माण में दिये गये सुझाव का पालन न किया जाना.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (मंदसौर) – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है.

धार जिले के लेबड़ से नयागांव फोरलेन सड़क निर्माण कम्पनी की लापरवाही के चलते क्षेत्र के हजारों बेगुनाह नागरिक प्रतिदिन मौत के मुंह में समा रहे है जिसका मुख्य कारण ओवर ब्रिज पर लाईट का अभाव, चौराहे पर हाईमाक्स का अभाव, संकेतक का अभाव, सड़कों पर बड़े बड़े गड्डों, पुरानी सकरी पुलियाओं का उपयोग आदि जैसी अव्यवस्थाओं के चलते निरंतर इस मार्ग पर दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस संबंध सुधार की मांग 2008 से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा में एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसमें तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के साथ क्षेत्र के समस्त विधायको ने अपने अपने सुझाव निर्माण कम्पनी को दिए थे तथा माननीय तत्कालीन मंत्रीजी ने इन सुझावो पर अमल करने के निर्देश जारी किए थे किन्तु निर्माण कम्पनी द्वारा लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। जिसको लेकर क्षेत्र के नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) – माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सत्य नहीं हैं, कि लेबड नयागांव फोरलेन सड़क निरंतर निर्माण कम्पनी की लापरवाही के चलते क्षेत्र के हजारो बेगुनाह नागरिक प्रतिदिन मौत के मुंह में समा रहें हैं। लेबड़–जावरा फोरलेन मार्ग पर रतलाम स्थित दोनों रेल्वे ओवर ब्रिज पर लाईट चालू हैं एवं नामली रेल्वे ओवर ब्रिज पर विद्युत व्यवस्था की गई हैं, जिसमें संयोजन कार्य प्रगति पर हैं एवं जावरा–नयागांव फोरलेन पर अनुबन्ध में रेल्वे ओवर ब्रिज पर लाईट लगाने का प्रावधान नहीं हैं। जावरा–नयागांव फोरलेन चौराहों पर हाई मास्ट – (1) जावरा चौपाटी पर, (2) मंदसौर बायपास, (3) मल्हारगढ़, (4) नीमच जंक्शन, (5) मनासा जंक्शन (6) जावद जंक्शन तथा टोल प्लाजा माननखेड़ा, थड़ोद, एवं नयागाँव के पास दो–दो हाई मास्ट लगाये गये है। फोरलेन मार्ग पर आई.आर.सी. मानको अनुसार संकेतक लगाये गये हैं। फोरलेन मार्ग पर कोई गहरा गड्ढा नहीं हैं। अनुबन्ध के प्रावधानानुसार पुरानी पुलिया टू–लेन मार्ग के लिये निर्धारित मानकों अनुसार कैरेज–वे चौड़ाई 7.50 मीटर उपलब्ध होने पर ही यथावत् रखा गया हैं, फोरलेन मार्ग पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही एवं अनियंत्रित गति से वाहन चलाना एवं वाहन चालको द्वारा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन न करना है। म.प्र. विधान सभा द्वारा किसी कमेटी का गठन नही किया गया था। यह सत्य हैं, कि तत्कालीन माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा क्षेत्रीय विधायकों के साथ दिनांक 21/22 जुलाई 2012 को लेबड़–नयागाँव मार्ग का भ्रमण किया गया था। निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्रीजी को उक्त मार्ग के निर्माण के संबंध में कुछ सुझावों एवं कमियों से अवगत कराया गया, जिसमें 20 बिन्दु उल्लेखित थें। यह कहना असत्य है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी समस्या का समाधान नही किया गया है। इन बिन्दुओं पर निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं मे से 16 समस्याओं का समाधान पूर्ण किये गये हैं। 3 रखरखाव से संबंधित हैं, जो निरन्तर प्रक्रिया होकर निवेशकर्ता कम्पनी का सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि के दौरान रखरखाव करना दायित्व हैं। शेष 1 प्रगति पर हैं। फोरलेन मार्ग का निर्माण निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार/इंजीनियर की देख–रेख में किया गया हैं। फोरलेन मार्ग निर्माण के उपरांत आमजन को सहज, सुलभ, सरल मार्ग फोर लेन उपलब्ध हुआ हैं, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश की कोई स्थिति नहीं हैं।

समय 11.59 बजे. (माननीय उपाध्यक्ष महदोय(श्री राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया – माननीय उपाध्यक्ष महदोय, तत्कालीन अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय श्री ईश्वरदास रोहाणी जी ने आसंदी से हमारे प्रश्नों के उत्तर पर संयोजक के रूप में मुझे अधिकृत किया था और पूरे लेबड़ से लेकर नयागांव तक के जितने विधायक थे उनके साथ में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री आदरणीय लोकनिर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह जी के साथ मेंभ्रमण किया था. माननीय उपाध्यक्ष महोदय 22-7 – 2012 को प्रात: 10 बजे से हमारा भ्रमण चालू हुआ था वह रात को 11 बजे तक चला था . इस 260 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क मार्ग पर विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से जो आंकड़े उजागर हुए , यह संवेदनशील मुद्दा है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय – आप अपना प्रश्न कर लें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उपाध्यक्ष महोदय, 2462 दुर्घटनाएं हुई हैं, 968 लोग समय से पहले मौत के काल के गाल में समा गये, 1600 लोग घायल हुए हैं. यह 25 वर्ष का अनुबंध है. 5 वर्ष सवाल-जवाब में बीत गये हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल व्यवस्था के आधार पर उद्भुत होगा. एमपीआरडीसी के अधीन यह सड़क हो गई है. लोक निर्माण विभाग इससे दूर हो गया है. कंसेशनर ठेकेदार है, उसका जो स्वंतत्र सलाहकार है, उसके आधार पर यह पूरा मामला चल रहा है. जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने बताया है. प्रश्न क्रमांक 70 दिनांक 3.7.14 इसी सदन में, इसी हफ्ते में यह प्रश्न आया है. मेरे प्रश्न के जवाब में यह आया है कि 87 स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करनी थी, 4 वर्षों में मात्र 14 स्थानों में की गई. 73 स्थान अभी भी अपूर्ण बताये गये हैं. उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कारण बताया गया है - निवेशकर्ता कंपनी की आंतरिक समस्या. जो निवेश कंपनी प्रतिदिन इन पाचों टोल से 60 लाख रुपए रोज की व्यवस्था करता हो, 1 माह की 18 करोड़ रुपए की वसूली करता हो और 1 वर्ष की 216 करोड़ रुपए की वसूली करता हो, उसको 73 विद्युत की अपूर्ण व्यवस्था को पूर्ण करने में क्या आंतरिक समस्या आ रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि माननीय मंत्री जी की जो सरलता है, सहजता है, उस पर आज कोई ठोस निर्णय होगा.

उपाध्यक्ष महोदय - आपकी भावनाओं से पूरा सदन सहमत है. आप प्रश्न करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चिह्नित दुर्घटनाओं का सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए एमपीआरडीसी और सड़क निर्माता का जो स्वतंत्र सलाहकार है, उसके साथ लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को इसमें शामिल किया जाय. दूसरा, विद्युत की व्यवस्था में स्वतंत्र सलाहकार के साथ-साथ पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनी के किसी आला अधिकारी को शामिल किया जाय, जो इस मार्ग पर यह देखे कि कहां-कहां लाईटों का सृजन हुआ या नहीं. तीसरा, पूरे

260 कि.मी. के मार्ग पर यदि 1 पौधा कटा तो उस बदले में 10 पौधे लगना थे, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उस सड़क के दांए और बांए मार्ग पर कितने पेड़ लग चुके हैं और डिवाइडर के मध्य में जो बोगनविलिया (bougainvillea) और कनेर के पौधे लगना थे, वे नहीं लगे तो उसके लिए वन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ कर दे.

श्री सरताज सिंह -उपाध्य महोदय, समस्या है अधिक एक्सीडेंट होना. इस समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका पालन सख्ती से किया जाय. उसके लिए कैमरा लगना चाहिए, जिससे जो हाई-स्पीड वाहन चलते हैं, उन पर स्पीड का नियंत्रण हो सके. बहुत से लोग जब रोड गांव से लिंक होता है तो डिवाइडर का कट यदि दूर है तो वे अपोज़िट डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ताकि उस कट को कम समय में क्रॉस कर पाएं, उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं. बहुत से ट्रेक्टर, ट्रॉली जो चलती हैं, जिनमें कोई भी रिफलेक्टर नहीं लगा होता है. यदि वह ट्रॉली पंक्चर हो जाती है तो उसको साईड में खड़ा कर दिया जाता है, रात में वह ट्रॉली दिखाई नहीं देती. नियमों का पालन सख्ती से किया जाय, इस बात की व्यवस्था करने की आवश्यकता है. जो तीन बातें माननीय सदस्य ने कही हैं कि लोक निर्माण विभाग को शामिल किया जाय तो अनुबंध के अनुसार जो कंसेशनर ठेकेदार को काम करना था, उसने वे काम किये या नहीं किये, उसमें अगर कोई कमी रह गई है, उसकी देख-रेख हमारे लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एक बार कर लेंगे. जहां तक पेड़ लगाने की बात है, जो अनुबंध में दर्शाए गये हैं. उन पेड़ों का आंकलन भी वन विभाग द्वारा करा दिया जाएगा. जहां तक बिजली की समस्या का मामला है,

उसकी जांच भी बिजली विभाग से करा ली जाएगी. तीनों विभागों को इस बात के लिए लिखा जाएगा. लेकिन पुनः मैं एक बार कहना चाहता हूं कि यह सब करने के बाद भी एक्सीडेन्ट में अंतर नही आएगा. एक्सीडेन्ट में अंतर तब आएगा जब हम ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—गौर साहब चले गये, तब आप बता रहे हैं, ये गृह विभाग का मामला है.. आपका कथन बिलकुल सही है. सिसोदिया जी आपके सारे जवाब आ गए हैं. श्री राजेन्द्र पाण्डेजी का भी एक प्रश्न है उनको प्रश्न कर लेने दें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने कोताही की, पेड़ नहीं लगवाये और कमेटी दौरे के बाद 448 समस्याएं सामने आई थीं. लेकिन रेखांकित हुई कुल 20. उन अधिकारियों के ऊपर तो कार्यवाही होनी चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय—मंत्री जी जांच करा लेंगे क्या?

श्री सरताज सिंह -उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 448 शिकायतों की बात है, लोगों ने अपने आवेदन दिये, सुझाव दिये. उन सब सुझावों को कम्पाईल करके तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्र सिहं जी ने उसको 20 समस्याओं के रूप में चिन्हित किया है और 20 समस्याओं का हल करने के लिए निर्देशित किया गया था और जैसा मैंने अपने जवाब में बताया है कि 16 का हल तो हो चुका है और तीन, जो सड़क की क्वालिटी कंट्रोल की बात है यह कार्य निरंतर चलता रहता है और एक लाईट की समस्या है उसका भी निराकरण हो जाएगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—मंत्री जी कैमरे भी लगवा दीजीए.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से लेबड़ से लेकर नयागांव तक का जो फोरलेन है , लगातार दुर्घटनाओं के कारण संपूर्ण क्षेत्र में उसके बारे मे चिन्ता है. क्योंकि जैसे स्थान चिन्हित हुए हैं और विभाग के द्वारा भी यह कहा गया है कि हां इन चिन्हित स्थानों पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं. मेरे प्रश्न यह है कि जब विभाग ने वे स्थान चिन्हित किये हैं तो वहां पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? मात्र यह कह कर कि-लापरवाही के कारण या ट्रैफिक सेन्स नहीं होने के कारण इस तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं , यह न्यायोचित नहीं हैं . इसी के साथ साथ इस फोरलेन पर घनी आबादी के क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र भी आते हैं. जब इसका परीक्षण किया जा रहा था तब जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जावरा चौपाटी का जो एक घनी आबादी का और व्यावसायिक क्षेत्र है वहां पर बायपास निकालने की भी मांग की गई थी, सुझाव दिये गये थे, लगातार चर्चाएँ की गई थीं. क्योंकि यह मार्ग दो भागों में विभक्त होकर लेबड़ से बरगड़ और बरगड़ से नयागांव होकर लेबर नयागाव मार्ग के नाम से जाना जाता है. मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि किया मंत्री जी लेबड़ से उज्जैन टू-लेन की ओर बायपास निकाल कर जो

चिन्हित स्थान पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेंगे? और इसी के साथ साथ जो चिन्हित स्थान हैं वहां पर सुरक्षात्मक उपाय करेंगे क्या?

श्री सरताज सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क निर्माण का प्रश्न है , इसकी तकनीकी जांच एक्सपर्ट द्वारा की जा चुकी है. सड़क निर्माण में कहीं कोई खामी नहीं है. मैने अपने वक्तव्य में जो समस्या चिन्हित की है उस पर काम करने की आवश्यकता है.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी, इन्होंने एक अलग मार्ग निर्मित करने की बात कही है.

श्री सरताज सिंह—यह लगभग 260 किलोमीटर की सड़क है. इसमें बायपास कैसे संभव होगा? एक सर्विस लाईन की बात आती है, जो शहर के बीच में से सड़क निकलती है वहां सर्विस लाईन होनी चाहिए और उस सर्विस लाईन पर अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण हटा कर दे दिया जाता है तो सर्विस लाईन का निर्माण कर दिया जाएगा.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय— उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है. हमें यह महसूस होता है कि निचले स्तर के अधिकारीगण यहां पर सही सूचनाएं नहीं देते हैं. सही जानकारी यहां पर प्राप्त नहीं हो पाती. जिस बायपास का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उसको बनाने से इस फोरलेन का संबंध जावरा से लेकर उज्जैन जाने वाले टू-लेन मार्ग को संपर्क करेगा उससे आवागमन की भी सुविधा होगी और उससे चिन्हित स्थान पर,जहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें भी कमी आएगी और इसलिए आवश्यक है कि वहां बायपास मार्ग निश्चित किया जाय. मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके प्रति हमें आश्वस्त करें कि उसका परीक्षण करवाते हुए वहां बायपास दिया जाय?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी क्या इसका परीक्षण करवा लेंगे?

श्री सरताज सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्थान पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, वास्तव में यह सत्य नहीं है, इस रोड में चार जिले आते हैं और चारों जिलों में दुर्घटनाएं हुई हैं, केवल एक बायपास बनाने से सारी दुर्घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा और बायपास बनाने के लिए जो उसका एस्टीमेट बनेगा, जो उसकी वित्तीय व्यवस्था होगी, इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा. इसका मैं परीक्षण करवा लूंगा और अगर फिजिबल होगा तो करवाएंगे.

श्री दिलीप सिंह परिहार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीमच विधानसभा इसी में आती है. नीमच में किसानों के खेत कटे हैं, इसकी वजह से पानी भरा रहता है, कहीं भी आने जाने की व्यवस्था भी नहीं कही गई है. वहां बाछड़ा समाज के लोग निवास करते हैं, उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है. नीमच में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कोई डिवाइडर बने हैं, न ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था है तो क्या पानी निकासी की व्यवस्था होगी? वहां कई दुर्घटनाएं हुई हैं, माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि पानी निकासी और जो डिवाइडर बने हैं, उनको व्यवस्थित किया जाय. किसानों के खेत कटे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—व्यवस्था को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं.

श्री सरताज सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है. माननीय विधायक कहां कहां यह समस्या है, वह बता दें, जांच करवाई जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय—आप उन्हें लिखित में बता दें.

श्री दिलीप सिंह परिहार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता दूंगा. धन्यवाद मंत्री जी.

उपाध्यक्ष महोदय—आप एक प्रश्न कर लें.

श्रीमती नीना वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मैंने तीन जुलाई को प्रश्न उठाया था और उसमें जो मुझे जानकारी मिली वह काफी भयावह है, माननीय मंत्रीजी जो भी जवाब दे रहे हैं, हम इससे इसलिए सहमत नहीं हैं, क्योंकि माननीय पूर्व मंत्री जी के साथ जो हम लोगों ने मीटिंग की थी, सफर किया था, उसके अंतर्गत जितनी भी जानकारियां आई थीं, वह सब पूर्ण नहीं हुई हैं. वह क्षेत्र मेरे विधानसभा में भी आता है. माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहती हूं कि जो लिंक रोड कनेक्टिंग है, वह काफी गलत है. भले ही उनके ठेकेदार हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाकर दी है, वह पूर्णतः गलत है. आप अपने पी.डब्लू.डी. के जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन हों, उनके साथ विधायकों की एक कमेटी बनाकर जांच करें तो काफी छोटे छोटे जो गांव हैं, जिनको लिंक रोड से जोड़ा गया, यह कहना सही है कि वह वहां तक नहीं जाते हैं, वह बीच में डिवाइडर को क्रास करके चले जाते हैं. यदि हम डिवाइडर को बड़े बना दें और जैसे वृक्षारोपण का सवाल था तो वहां वृक्षारोपण बिलकुल नहीं है, बिलकुल खाली और सूने सपाट पड़े हैं. कोई भी मोटर सायकिल, सायकिल और पैदल यात्री आसानी से क्रास कर जाते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी ने पहले ही कहा है कि परीक्षण वह करा लेंगे. आपके सुझावों का भी वह ध्यान रखेंगे.

श्रीमती नीना वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षण कराने से इतिश्री नहीं होगी. हमारा एक सुझाव यह भी है कि डिवाइडरों को ऊंचा किया जाय और उन पर पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाय ताकि मोटर सायकिल वाले आसानी से क्रास नहीं कर सकें और दूसरा क्या मंत्री जी एक्सपर्ट इंजीनियरों के साथ विधायकों की एक कमेटी का गठन करेंगे ताकि इतनी लंबी सड़क और इतनी अधिक संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं पर हम रोक लगा सकें? केवल यह कह देना की कि ट्राफिक नियमों की उन्हें जानकारी नहीं है, इससे इतिश्री नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कमेटी का गठन करके हम इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएं और इसके ऊपर पूरी तरह से विचार विमर्श करके दुर्घटनाओं को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करें. माननीय मंत्री जी आप कमेटी का गठन करें, यह मेरा आप सभी से निवेदन है.

उपाध्यक्ष महोदय—अभी समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है. माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि वह परीक्षण करा लेंगे. उसके उपरांत भी समस्या का निदान नहीं होता है तो आगे बात होगी.

श्रीमती नीना वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षण तो हो चुका है. मेरे सवाल के जवाब में यह आया है. इनके टेक्नीशियन्स ने जांच कर ली है. यह हमारे प्रश्न के जवाब में दिया है और कहा है कि कहीं कोई कमी नहीं पाई गई. इसीलिए मेरा कमेटी के गठन का अनुरोध है.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि वह पुनः परीक्षण करवा लेंगे, यह उन्होंने आश्वस्त किया है. अब आपको संतुष्ट होना चाहिए, कोई नतीजा आने दीजिए.

श्रीमती नीना वर्मा—कब तक करवा लेंगे? टेक्नीशियन्स के साथ विधायकों को इन्वाल्व क्यों नहीं करते हैं? जहां इतने ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं, वहां विधायकों के नाम से, सरकार के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से मुर्दाबाद, जिंदाबाद के नारे लगते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—आप कक्ष में जाकर माननीय मंत्रीजी से बात कर लीजिएगा. उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—समय सीमा मंत्रीजी बता दें.

श्री राजेन्द्र पांडेय—एक सुझाव और है कि इसका जब भूमि पूजन हुआ तो अटल विकास मार्ग के नाम की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने की थी तो क्या वह नाम घोषित किया जायगा, उसका नामकरण किया जायगा या नहीं किया जायगा?

उपाध्यक्ष महोदय—आप मंत्रीजी से चर्चा उनके कक्ष में कर लीजिएगा.

श्री राजेन्द्र पांडेय—ठीक है, धन्यवाद.

12.15 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

उपाध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मलित सभी याचिकाएँ प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

12.16 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन)विधेयक,2014 का पुर:स्थापन

वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जयंत मलैया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं, मध्यप्रदेश आबकारी(संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश आबकारी(संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई.

वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जयंत मलैया)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं, मध्यप्रदेश आबकारी(संशोधन) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करता हूँ.

समय 12.17 बजे **वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान**

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित विभागों की अनुदान मांगें परम्परानुसार एकजाई रुप से प्रस्तुत की जाएंगी तत्पश्चात् चर्चा के उपरांत अधिकृत संबंधित राज्य मंत्रियों द्वारा जवाब दिया जाएगा. मैं समझता हूँ, सदन इसस सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग (श्री लालसिंह आर्य)-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन के लिए छः सौ छः करोड़, पाँच लाख, उनचालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तीस करोड़, छियासी लाख, चौहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 26	संस्कृति के लिए एक सौ सेंतीस करोड़, चार लाख, उन्नयासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए एक सौ बासठ करोड़, पॉच लाख, नब्बे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार दो सौ उन्नयासी करोड़, चौंरासी लाख, अड़सठ हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए इक्कीस करोड़, इक्यावन लाख, तैंतीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन
	क्रमांक
श्री आरिफ अकील	1
डॉ. गोविन्द सिंह	2
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	3
डॉ. रामकिशोर दोगने	4
श्री रजनीश हरवंश सिंह	5
श्री रामनिवास रावत	6
श्री हर्ष यादव	8

मांग संख्या – 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
डॉ. गोविन्द सिंह	1
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री आरिफ अकील	4

मांग संख्या - 26	संस्कृति
श्री रामनिवास रावत	1
कुंवर विक्रम सिंह	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री आरिफ अकील	5

मांग संख्या-37	पर्यटन क्रमांक
श्री आरिफ अकील	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	4
श्री बाला बच्चन	6

मांग संख्या-48	नर्मदा घाटी विकास
डॉ. रामकिशोर दोगने	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री आरिफ अकील	3
श्री बाला बच्चन	6
डॉ. गोविन्द सिंह	7
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	8

मांग संख्या-65	विमानन
श्री बाला बच्चन	1
श्री आरिफ अकील	2

उपाध्यक्ष महोदय--- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए. अब मांगों औऱ कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

सामान्य प्रशासन विभाग की मांगों पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय 2 घंटे 30 मिनट. दलीय शक्ति के आधार पर समय आवंटन.भारतीय जनता पार्टी 1 घंटा 47 मिनट , इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 5 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सामान्य बजट पर चर्चा बहुत संक्षिप्त समय में पूरी हुई और उसमें हम भाग नहीं ले पाये थे. इसलिए मुख्यमंत्री जी के विभाग की चर्चा में भाग लेना हमारे लिये अपरिहार्य था. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1, 2, 26 , 37, 48 और 65 के लिए जो प्रस्ताव आए हैं, उन बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं औऱ उन पर ही अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का उल्लेख करना चाहूंगा. सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनाँक 6 अगस्त 2012 इसमें पुराने परिपत्रों का हवाला है. दिनाँक 10.8.2004, दिनाँक 10.5.2007 ,दिनाँक 17.8.2009 दिनाँक 2.12.2009 एवं दिनाँक 22.3.2011 . उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो तत्काल एक परिपत्र जारी हुआ है, यह एफ-76/2007/1/4 दिनाँक 6 फरवरी 2004. उपाध्यक्ष महोदय, इसका विषय है माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करना और उत्तर देना. मैं लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा और परिपत्रों का उल्लेख करूंगा तो इसमें काफी समय लगेगा लेकिन इतना ही बताना चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन विभाग लगातार यह परिपत्र जारी कर रहा है और कह रहा है कि विधायकों औऱ सांसदों के पत्रों के उत्तर दिये जायें, उनको सम्मान दिया जाये,उन पर कार्यवाही की जाए. इसमें यहाँ तक है कि अधीनस्थ अधिकारियों को ध्यान में लाकर इऩका कड़ाई से पालन सुनिश्चत किया जाए यदि कोई अधिकारी कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अपचार समझा जाएगा औऱ संबंधित को निलंबित किया जा सकेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जो प्रतिलिपि गई है वह 18 स्थानों के लिए भेजी गई है. उसमें 18 वें स्थान का उल्लेख करना चाहता हूं. उसमें निज सचिव, निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी ,

माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, राज्यमंत्रीगण मध्यप्रदेश. उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सामान्य प्रशासन विभाग इतने परिपत्र जारी करता है और उसके बावजूद भी उनका पालन नहीं होता है औऱ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है , यह मेरे हाथ में पत्र हैं, मैंने इनके साथ एक पत्र लगाकर के पटल पर रखने की अनुमति ले ली है औऱ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है. उपाध्यक्ष महोदय, दिनाँक 31 जनवरी से हमारे पत्र शुरु हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज दिनाँक तक हमारे एक पत्र का उत्तर नहीं दिया. उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह संसदीय गरिमा है ? आज मैं आसंदी से इतना अनुरोध करता हूं कि या तो मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह पत्रों के उत्तर दिया करें अन्यथा आज के बाद मैं सारे के सारे पत्र शाम 5 बजे के बाद वेबसाइट पर डाल दूंगा औऱ यह सार्वजनिक कर दूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी बड़े जोर-जोर से कह रहे थे कि कांग्रेस शासन में घोटाला हुआ, पर्चियों पर नौकरी लग जाती थी, नोटशीट में नियम शिथिल कर दिये जाते थे.

उपाध्यक्ष महोदय, अगर काँग्रेस शासन में किसी को पर्ची पर नौकरी दी गई है तो मास्टर, इंजीनियर या चपरासी को दी गई होगी. लेकिन यह भी हमने पटल पर रखने की अनुमति ले ली है. हम उस दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं जिस चिंदी पर, जिस पर्ची पर, आपने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ही नियुक्ति कर दी. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सीना ठोक कर कहते हैं, आर एस एस के लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि आर एस एस का प्रशासन में कोई दखल नहीं है. यह आर एस एस के क्षेत्रीय प्रचारक की पर्ची है और इस पर्ची में लिखा क्या है. (xxx) अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद् के.....

उपाध्यक्ष महोदय-- इसकी अनुमति आपने ली है, पटल पर रखने की.

श्री सत्यदेव कटारे-- जी हाँ, मैंने ली है. हमने पटल पर रखने की अनुमति ली है. पहले दे दिया है. आया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं आई इसकी..(व्यवधान)..इसका उल्लेख न करें...(व्यवधान)..संसदीय कार्य मंत्री...

श्री सत्यदेव कटारे-- उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने बंद नहीं किया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि आप कार्यवाही निकलवा लें. इन्होंने कहा है कि मैंने अनुमति ली है. मेरा कहना है कि ये असत्य बोल रहे हैं. अगर इन्होंने अनुमति ली है तो ये बता दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- यहाँ पर रिकार्ड में अनुमति नहीं है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- बस ऐसे ही असत्य बयानी करके जनता को भी गुमराह न करे...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- उपाध्यक्ष महोदय, हम इनका उल्लेख तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- जो असत्य बात कही है इसके लिए क्षमा मांगें, खेद व्यक्त करें...(व्यवधान)..

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ. मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगा कि पटल पर रखने की अनुमति नहीं है और जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका उल्लेख करना हमारे इस सदन की परंपरा नहीं है तो कृपा करके उसका ध्यान रखें. (मेजों की थपथपाहट)..(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- उसको रिकार्ड से भी निकलवा दें...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- रिकार्ड से निकाल दें...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- उपाध्यक्ष महोदय, हमने अनुमति लेने के लिए आवेदन दिया. अब आसंदी का काम है अनुमति देती है या नहीं देती है पर हमने आवेदन दे दिया, हमारा आवेदन लगा हुआ है...(व्यवधान)..जो सरकारी दस्तावेज में नाम आ गया है हम उसका उल्लेख कर रहे हैं और जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा, जिसने फर्जी नियुक्तियाँ कीं, उसका नाम हम यहाँ नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे, पाकिस्तान में जाकर लेंगे क्या. क्यों नहीं लेंगे. किस नियम के तहत रोक सकते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, ये विद्यार्थी परिषद् के सदस्य हैं. वर्तमान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर हैं, चाहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनें, नाम गया है, विनोद जी क्षेत्रीय प्रचारक...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- इसकी अनुमति ले लेनी चाहिए थी. जब अनुमति लेना नियम में है उसके पश्चात् ही पटल पर रखा जा सकता है.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहा है, प्रशासन कैसे चल रहा है, यह भी नहीं बताएँगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति लेने के लिए हम आवेदन देंगे. अनुमति का काम आपके सचिवालय का है...(व्यवधान)..और सदन में...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- उपाध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है नेता प्रतिपक्ष जी का कहना है यह सच है कि अनुमति के लिए वे आवेदन देंगे, यह सच है, वे देते हैं, परंपरा है.

12.29 बजे

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुए}

लेकिन अध्यक्ष महोदय, गलत बयानी नहीं करेंगे कि मैंने अनुमति ली है.

श्री सत्यदेव कटारे-- गलत बयानी कभी नहीं करता हूँ. गलत बयानी का ठेका वहाँ है..(व्यवधान)..सौ परसेंट सच बोलता हूँ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया मंत्री जी को सुन लें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने अनुमति ली है. जो कि नहीं ली है ऐसा आसंदी ने कहा. अभी आसंदी ने ही ऐसा कहा कि वे नाम न लें, ऐसी व्यवस्था आसंदी ने दी. अध्यक्ष जी, मेरा नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन है कि यह सदन बहुत गरिमापूर्ण चलता है. इसी गरिमा का हम सब लोगों को ध्यान रखना है. हम ही आसंदी की व्यवस्था को तोड़ेंगे तो कैसे सदन चलेगा. आप आसंदी की व्यवस्था को मानें ऐसा मेरा निवेदन है.

श्री सत्यदेव कटारे-- बहुत अच्छा हुआ अध्यक्ष महोदय आप आ गये, अब सदन में भी थोड़ा हर्ष हो गया. आप हंस दीजिये अध्यक्ष महोदय, आप बिलकुल हंस नहीं रहे हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय की दिनांक 5.1.2012 की नोटशीट है इसमें श्री अशोक कुमार पाण्डेय सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है तद्नुसार आदेश तुरंत जारी किये जायें, शिवराज सिंह चौहान.

नोटशीट आगे बढ़ जाती है इस पर आगे दस्तखत होते हैं और फिर मंत्रिपरिषद के लिये संक्षेपिका तैयार होती है. जब इनकी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो जाती है इसी बीच एक डेवलपमेंट होता है जिस पर्ची का अभी मैंने उल्लेख किया वह पर्ची आयी और जिन महाशय की पर्ची आयी वे हैं श्री विनोद जोशी जी उन्होंने अपना बायोडाटा भेजा बाद में और उनके बायोडाटा पर दस्तखत भी नहीं हैं, उनकी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पहले ही नियुक्ति हो जाती है. जिस पत्र के बारे में कह रहा हूं मंत्रीजी के पास वह पत्र नहीं है तो नोट कर लें.

अध्यक्ष महोदय—यह कौनसा पत्र आप पढ़ रहे हैं ?

श्री सत्यदेव कटारे—मैं, यह सरकार का पत्र पढ़ रहा हूँ. पुलिस महानिरीक्षक का.व्या./सु./2006 (95) दिनांक 8.6.2006. यह लिखा जा रहा है विशेष शाखा, मध्यप्रदेश भोपाल यह गोपनीय पत्र है. यह पत्र जा रहा है श्री इकबाल सिंह बैस, सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश को. इसका विषय है दूरभाष पर चाही गई जानकारी. यह जानकारी मांगी जा रही है 8 जून को, जानकारी देने वाले हैं श्री ए.के. सोनी, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा. इसमें यह लिख रहे हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, उम्र 48 वर्ष प्रोफेसर के पद पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं. करीब दो वर्ष से श्री जोशी जी डायरेक्टर मैनेजमेंट एवं स्टडी के पद पर भी पदस्थ हैं. इनका संबंध भाजपा नेता श्री मुरली मनोहर जोशी से है एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी होता है. यह सरकारी पत्र है मैं नहीं बोल रहा हूँ. आईजी का पत्र है मुख्यमंत्री के सेक्रेट्री के लिये. श्री जोशी का कोई आपराधिक रिकार्ड होना नहीं पाया गया है इनका चरित्र एवं छवि अच्छी है. यह एक आईजी चिट्ठी लिख रहा है जो कि इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट में पदस्थ है. जो

गोपनीय प्रतिवेदन मांगा जाता है यह वह प्रतिवेदन है और यह टेलीफोन पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा मांगा गया है.

अध्यक्ष महोदय, 13 जून को संक्षेपिका तैयार होती है. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के अध्यक्ष की नियुक्ति बाबत्. अनुसमर्थन 13 जून को आ रहा है और 9 जून को नियुक्ति हो चुकी है. इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर श्री प्रदीप जोशी , व्याख्याता. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के लिये मंत्रिपरिषद के आदेश की प्रत्याशा में अनुशंसा महामहिम राज्यपाल को की है. महामहिम राज्यपाल द्वारा उक्त अनुशंसा का अनुमोदन किया गया है. तद्नुसार शासन द्वारा दिनांक 9 जून 2006 को आदेश जारी किया गया है. यह संक्षेपिका माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित है प्रकरण अनुसमर्थन हेतु मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत है.

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि चिन्दी दिखाने वाले तो दिल्ली चले गये हैं. हम चिन्दियों से मास्टर ही बनाते थे आपने तो पीएससी का चेयरमेन बना दिया. यहां से मोहनखेड़ा तक लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का दखल नहीं है. हमने आपको आरएसएस की चिट्ठी बता दी है अब और कैसा दखल चाहिये. अध्यक्ष महोदय, अब समझ में आता है कि प्रशासन तंत्र कैसे चल रहा है.

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं श्री जोशी जी द्वारा –

अध्यक्ष महोदय:- आपको बोलते हुए 15 मिनिट हो गये हैं और आपके दल के पास कुछ 38 मिनिट हैं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- आपने अभी फिर से कहा कि आरएसएस कोई पत्र नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से और जवाबदारी से कह रहा हूं कि संघ के द्वारा इस प्रकार के पत्र कभी नहीं लिखे जाते हैं या तो आप इसको रिकार्ड से निकालें या प्रमाणित करें कि यह पत्र संघ का पत्र है।

अध्यक्ष महोदय:- इसको विलोपित कर दिया है।

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय, ऐसे विलोपित भी मत करिये, सरकारी दस्तावेज प्रकट कर रहा हूं। कैसे विलोपित करेंगे , अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान रखिये आसंदी से ऐसे विलोपित भी नहीं किया जाता है। ...व्यवधान...

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग रेजीडेंसी, इंदौर विज्ञापन क्रमांक -। , 16 मई, 2006 यह 2008 की परीक्षा के लिये विज्ञापन है। इसके पृष्ठ 8 पर पाईंट नंबर 4 के पैराग्राफ नंबर चार में अंतिम पंक्तियों में यह उल्लेख है कि कोई भी अभ्यर्थी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रिमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या भरी नहीं होगी वे मान्य नहीं होगें। विवाहित महिलाऐं विवाह उपरांत नाम उपनाम का शपथ पत्र संलग्न करें। ये पीएससी के विज्ञापन की कंडीशन है और यह अध्यक्ष महोदय, हमने पटल पर रखने की अनुमति मांगी है। ये कुमारी रितु चौहान का आय प्रमाण पत्र है इसकी आय के कालम जिसमें ..

अध्यक्ष महोदय:- यह नाम विलोपित कर दें।

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय, नाम विलोपित क्यों कर दें।

अध्यक्ष महोदय:- आपके पेपर में आया है।

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय,ये दस्तावेज दे रहा हूं, सारे दस्तावेज आरटीआई से निकलवाएं हैं। कैसे विलोपित कर देंगे।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- आप अध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था को कैसे पर कैसे बोल सकते हैं।

श्री सत्यदेव कटारे:- आप अध्यक्ष बन जाईये, आ जाईये यहां पर।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- हम तो आ जायेंगे, यह आचरण आपका ठीक नहीं है, हम तो कहीं पर भी निपट लेंगे। किन्तु आपका यह आचरण ठीक नहीं है। आप अध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था की व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ...व्यवधान...

श्री सत्यदेव कटारे:- तो मेरे को बोलने दो न, अगर बोलने नहीं दिया जायेगा तो ..व्यवधान..हम सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- सदन की परम्पराएं है।

श्री सत्यदेव कटारे:- परम्पराएं हमको मालूम है, हमने परम्पराएं बनायी हैं। वह इसके लिये हैं कि हमको बोलने नहीं देंगे। आप कुछ भी कार्यवाही से निकाल देंगे, क्या यह किसी की जागीर है। ऐसे कैसे कार्यवाही से निकल जायेगा, जो बोला है वह कार्यवाही में आयेगा। ....व्यवधान..

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनिवास रावत :-अध्यक्ष महोदय, जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं,वह शासकीय विभाग का एक दस्तावेज है जो आर टी आई के तहत निकाला गया है। उसका उल्लेख कर रहे हैं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की कार्यवाही आगे बढ़े उससे पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...व्यवधान..

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय, वह मध्यप्रदेश की सेवा में और सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की भांजी है। ये उसका आय प्रमाण पत्र है, जो काटा गया है। ये तो आवेदन ही निरस्त हो जाना चाहिये था, अगर ये मुख्यमंत्री की भांजी नहीं होती तो ...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय:- कृपया आप अनुमति लेकर उसको पटल पर रख दीजिये ।

श्री सत्यदेव कटारे:- मैं उसको अनुमति लेकर पटल पर रख देता हूं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये सदन नियम और परम्पराओं के आधार पर चलता है और इसमें हर व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का कौल और शकधर में भी उल्लेख है। मध्यप्रदेश की नियमावली में भी इसका उल्लेख है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आपकी व्यवस्था को धिक्कारते हुए और यह कहा कि आप कैसे व्यवस्था दे सकते हैं , क्या यह आचरण अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का आचरण इस सदन के अन्दर गरिमामय है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं आपको यह व्यवस्था देना है, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। रिकार्ड से भले ही आप निकलवा दें, पर सवाल यह है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का उचित माना जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय:- उन्होंने स्वयं कहा कि वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वे पहली बार जीतकर नहीं आये हैं, वह खुद इस बात को समझेंगे। कृपया अपनी बात दो मिनिट में समाप्त करें।

श्री सत्यदेव कटारे:- अध्यक्ष महोदय, ये लड़की अगर मुख्यमंत्री जी की भांजी नहीं होती तो इसका आवेदन निरस्त हो जाता। क्योंकि इसने अपने आय प्रमाण पत्र में काटछांट की है और यह दस्तावेज मैंने पटल पर रख दिये हैं। इसकी अनुमति आपसे मांगी है और अगर अनुमति मिल जायेगी तो सदन के पटल पर आ जायेगी। अब मैं अब एक और निवेदन करता हूं ...

अध्यक्ष महोदय - अभी मांगी है, अनुमति अभी नहीं मिली है. सदन का सदस्य नहीं है तो नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिये.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थी प्रमाणित हैं उनके नाम उल्लेख करने से क्या सदन की मर्यादा भंग हो जाएगी. क्या नुकसान होगा. कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है. सरकार गिर जाएगी क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह राज्य महिला आयोग का पत्र है. राज्य महिला आयोग लिख रहा है पहले इन 13 लड़कियों के नामों का उल्लेख कर देता हूं.

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय,(xxx)

अध्यक्ष महोदय - माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया समाप्त करें.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, मेरा तो दो मिनट में समाप्त हो रहा है.(xxx) श्री शंकरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, जिन लड़कियों के नाम यहां पढ़े जा रहे हैं क्या उनके परिवार से, उन लड़कियों से अनुमति ली है.

श्री सत्यदेव कटारे – यह उन्हीं का दस्तावेज है. उन्होंने ही भेजा है.

श्री शंकरलाल तिवारी – ये नेतागिरी में अखबार में छपने के चक्कर में नेतागिरी हो रही है. नियमि विरुद्ध हो रहा है . इसे रोकिये.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, अब ये मेरा समय ले रहे है. मैं पहले ही बता दूं. जितने भी दस्तावेजों का उल्लेख मैं कर रहा हूं.

श्री शंकरलाल तिवारी – लड़कियों के नाम लिये बगैर आपका काम नहीं चलेगा.

अध्यक्ष महोदय - कृपया नाम न लें.

श्री शंकरलाल तिवारी – अनावश्यक उनका नाम ना उछालो.

अध्यक्ष महोदय - संख्या बता दीजिये आप.

श्री शंकरलाल तिवारी – इन्सान बनकर नेतागिरी करो.

(xxx) आदेशानुसार विलोपित

अध्यक्ष महोदय - नाम न लें संख्या बता दें आप.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – यह क्या चर्चा हो रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा.

अध्यक्ष महोदय - सबके नाम विलोपित कर दें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – आप कह रहे हैं अनुमति ले ली, आपने अनुमति नहीं दी और ये सारे कागजों का सदन में उल्लेख कर रहे हैं. अनुमति ले ली हो तो कोई बात नहीं है. बिना अनुमति के कुछ भी उल्लेख किया जा सकता है क्या ?

अध्यक्ष महोदय - वह रजिस्टर्ड केसेस हैं. उनके प्रश्न पूछे गये हैं.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, यह ब्लेम के लिये है. यदि किसी को ब्लेम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो सदन में नहीं है उसके नाम का उल्लेख नहीं करते हैं लेकिन ये तो वे हैं जो सफरर हैं और ये सारे दस्तावेज इन लड़कियों ने ही भेजे हैं और आर.टी.आई. के तहत मुझे अधिकार नहीं है निकलवाने का इनको ही अधिकार है और इन्होंने पहले से निकलवाकर रखे हैं और मुझसे संपर्क करके भेज रही हैं. अध्यक्ष महोदय, यह महिला आयोग का पत्र है और मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र है. इस पत्र की एक कंडिका मैं पढ़कर सुना देता हूं. " अधिक अंक प्राप्त करने वाले योग्य उम्मीदवारों को चयन से वंचित रखना और कम अंक प्राप्त करने वाले अयोग्य पुरुष उम्मीदवारों को चयनित करना आरक्षण नीति एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 19 के विपरीत है एवं महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है " यह पत्र मेरा नहीं है. श्रीमती उपमा राय, अध्यक्ष, महिला कमीशन, यह उनका पत्र है. ऐसे 6 पत्र लिखे हैं और मुख्यमंत्री जी का उत्तर है और मुख्यमंत्री जी का उत्तर भी पढ़कर ब बता दूं . यह इंडिया टुडे है 19 फरवरी,2012.

अध्यक्ष महोदय - नहीं इंडिया टुडे का नहीं एडमिट कर सकते.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, उनका खुद बयान है. मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है.
अध्यक्ष महोदय - नहीं.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, आप सुनें तो सही उसके बाद निकालना हो निकालें.
अध्यक्ष महोदय - उसको बिना पढ़े आपको जो बोलना हो बोल दें.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, अच्छा बिना पढ़े बोल देता हूं.

एक माननीय सदस्य – इंडिया टुडे कुछ भी छाप देगा कि यह मुख्यमंत्री का बयान है.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कि महिलाओं की प्राथमिकता सूची अलग बनेगी मेरिट सूची, और पुरुषों की अलग बनेगी. ये जो 13 लड़कियां सफरर हैं इन 13 लड़कियों को यह कहकर जवाब दिया गया कि आपकी मेरिट सूची अलग होगी और पुरुषों की अलग होगी.

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम दस्तावेज उद्धृत कर रहा हूं लोक सेवा आयोग का यह दस्तावेज है. इसका क्रमांक है 261/24/2010, दिनांक 28.10.2010,मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, राज्य सेवा परीक्षा चयन सूची 2008 उसका रिजल्ट लोक सेवा आयोग ने प्रकाशित किया है. इसमें जो नाम ले रहे हैं. सामिंद जायसवाल, बृजेश सक्सेना,राजेश राठौर, श्रंगार श्रीवास्तव,ओमप्रकाश छनोरिया,तृप्ति श्रीवास्तव,ऋतु चौहान,विजय राय,शैलेन्द्र सिंह, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह खड़ा होता है कि जब पी.एस.सी. के नियम ये हैं कि महिलाओं की मेरिट अलग और पुरुषों की अलग. उससे आप 17 लड़कियों को बाहर कर रहे हैं तो यह लड़की सिर्फ इसीलिये इस मेरिट लिस्ट में डली है कि मुख्यमंत्री की भांजी है और कोई तो कारण है नहीं इसमें और अध्यक्ष महोदय (XXX)

अध्यक्ष महोदय - उसको कृपया निकाल दें. यह ठीक बात नहीं है.

(..व्यवधान..)

श्री कैलाश विजयवर्गीय – यह हो क्या रहा है.

एक माननीय सदस्य – यह आरोप लगाना गलत है. नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिये. यह गलत है.

(.व्यवधान..)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

एक माननीय सदस्य – ऐसे तो मध्यप्रदेश की हर व्यवस्था चौपट कर दोगे.

एक माननीय सदस्य – यह आपत्तिजनक है.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं. जो दस्तावेज रह गये हैं उनको मैं किसी और दिन प्रस्तुत करूंगा.

श्री विश्वास सारंग(नरेला)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1,2,26,37,48 एवं 65 के समर्थन में तथा कटौती प्रस्तावों के विरोध में अपना वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ हूं. किसी भी सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है समन्वय का काम, नियम कायदे बनाना उनको इम्पलीमेन्ट कराने का काम इसी विभाग के अंतर्गत आता है. ब्रिटेन के बहुत बड़े प्रशासनिक व्यवस्था के विचारक रहे हैं अदलाई स्टीवेंसन (Adlai Stevenson) ने कहा है कि – "Bad administration, to be sure, can destroy good policy; but good administration can never save bad policy." मतलब कि खराब प्रशासन निश्चित रूप से अच्छी नीति को भी बर्बाद कर देता है, परन्तु एक अच्छा प्रशासन कभी भी खराब नीति को टिकने नहीं देता. इसी तरह का प्रशासन मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी की सरकार में हुआ है. विगत् 10-12 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में है तब से प्रशासन के मामले में मध्यप्रदेश की सरकार ने हर स्तर पर बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, चाहे पारदर्शिता की बात हो, चाहे जनता को नियम कायदों के माध्यम से सरकारी रीति-नीति और सरकारी योजनाओं को फायदा दिलाने की बात हो, चाहे कर्मचारी अधिकारियों के हितों के माध्यम से उनमें जॉब के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न कराने की बात हो उसमें मध्यप्रदेश की सरकार ने हर विषय में बहुत अच्छा काम किया है और उसी का परिणाम निकला कि हमने वह शासनकाल भी देखा जब कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में थी रोज कहीं पर कर्मचारियों की हड़ताल होती थी, कहीं अधिकारियों में भी असंतोष होता था यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब से हम सरकार में आये हैं कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल एक भी मध्यप्रदेश में नहीं हुई, यह मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है. हमने वह शासनकाल भी देखा जब दैनिक वेतन भोगियों को लेकर यहां से लेकर दिल्ली तक हड़तालें होती थीं दैनिक वेतन भोगियों को निकाल दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हमने दैनिक

वेतन भोगियों के हितों का भी ध्यान रखा और उनके नियमितीकरण के लिये नये सिरे से कार्यवाही की और बहुत सारे घरों में खुशहाली के दीये जले हैं जो दैनिक वेतन भोगी सालों से मध्यप्रदेश शासन में रहकर हमारी सेवा कर रहे थे उनको भी सुचारू रूप से जीने का अधिकारी इस मध्यप्रदेश की सरकार ने दिया था जैसा कि मैंने कहा कि बंगलादेश में नयी टर्मिलालॉजी शुरू हुई थी कि इन्डेक्स ऑफ हेप्पीनेस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई व्यक्ति है तो केवल सड़क, पानी, बिजली नहीं, केवल हम सड़क दे देंगे, बिजली दे देंगे, उसको खाने की व्यवस्था दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें हेप्पीनेस/खुशहाली कितनी है, उसको अपने जॉब के प्रति इस बात का संतोष है कि नहीं कि मैं सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक काम करता हूं तो मुझे उसका प्रतिसाद मिलता है या नहीं केवल पैसे में नहीं, वेतन में नहीं, बल्कि उसकी इज्जत में, बल्कि उसकी सामाजिक व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में यदि उसको इज्जत मिलती है, जॉब सेटिसफिकेशन मिलता है और उसको हेप्पीनेस मिलती है तो इस मामले में मध्यप्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जैसा कि मैंने कहा कि महंगाई भत्ते का मामला है, हर बार यह कांफ्लिक्ट चलता था प्रदेश के कर्मचारी/अधिकारी इस बात को लेकर रोज के रोज कोई न कोई ज्ञापन देते थे कि हमें महंगाई भत्ता नहीं मिला, यदि महंगाई भत्ता मिला तो वह केन्द्र के हिसाब से नहीं मिला, उसका एरियर नहीं मिला, यदि एरियर मिल गया तो वह समय से नहीं मिला, उस दिनांक से नहीं मिला, जिस दिनांक से पूरे देश में लागू हुआ. मध्यप्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया हमने यहां के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिया, एरियर भी दिया उसी दिनांक से दिया जिस दिनांक से केन्द्र सरकार में यह एरियर मिला. यह हमारी बहुत उपलब्धि की बात थी.

क्योंकि हमें जब खजाना मिला था तो खाली खजाना मिला था, वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी ओवरड्राफ्ट लेते थे और कर्मचारियों को तन्खा नहीं मिलती थी माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक निकल जाती थी. आप सहमत हो ना आरिफ जी, क्योंकि आप सिर हिला रहे हो, आरिफ भाई भी सहमत हैं.

श्री रामनिवास रावत--सारंग जी, समान काम के लिये समान वेतन की बात नहीं कही थी ?

श्री विश्वास सारंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि मंहगाई भत्ते के मामले में, उसके एरियर के मामले में निश्चित रूप से मध्यप्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा कम किया. खाली खजाने को वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से हमने भरा और कर्मचारी हितों को उनके काम के हिसाब से समय पर वेतन

दिया. हमारे रावत जी अभी समयमान वेतनमान की बात कर रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, यहां के कर्मचारियों की एक मांग थी समयमान वेतनमान की, उसको स्वीकार कर लिया गया है. मैं एक बात जरूर माननीय मंत्री जी के मार्फत् से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें 8 वर्ष का समय जरूर लागू किया जाये. अभी तक जो मामला चल रहा है, वह 10 वर्ष का है और मुझे लगता है कि 8 वर्ष इसमें समय सीमा निर्धारित की जाये और इसके आर्डर जल्दी से निकल जायें. नीतिगत रूप से मध्यप्रदेश की सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका भी मन बना लिया है.

जब हम आरक्षण की बात करते हैं देश के संविधान में आरक्षण की एक व्यवस्था है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला इन सबके जो आरक्षण की व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में उसको चरम तक पहुंचाने का काम मध्यप्रदेश की सरकार ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है और उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है चाहे बैकलाग में नियुक्तियों का मामला हो, मध्यप्रदेश में सुचारू रूप से काम हुआ और किसी भी विभाग में एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बैकलाग के लिये खाली रही हो और उसकी भर्ती न हो गई हो, चाहे वह एस.सी. वर्ग की हो, चाहे एस.टी. वर्ग की हो या पिछड़े वर्ग की हो, हर वर्ग में माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण को सुचारू रूप से मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने लागू किया है, इसी तरह से जातिगत आरक्षण देने की जो बात है पिछड़े वर्ग को और बाकी जातियों को जो आरक्षण दिया जाता है उसका सत्यापन जाति प्रमाणपत्र से होता है और हम देखते हैं कि लालफीताशाही के कारण विगत् 60 वर्षों में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था, चाहे प्रदेश की बात करें या देश के किसी और कोने की बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, उतनी सुचारू नहीं थी पर मध्यप्रदेश की सरकार ने नवाचार किया, मैं मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आन लाइन डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा यहां पर जाति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको देखेंगे तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत यदि कहीं सबसे ज्यादा पड़ती है, तो वह स्कूलों में पड़ती है. छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन के समय पड़ती है और इसमें मध्यप्रदेश की सरकार ने एक दूरगामी निर्णय लेते हुए स्कूल में ही जाति प्रमाण

पत्र मिलेंगे, इसकी व्यवस्था की और यह शायद देश में हिन्दुस्तान में पहला मध्यप्रदेश राज्य है जहां पर स्कूलों में यह जाति प्रमाण पत्र देने की बात हुई और वह भी अनुविभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से, तो यदि उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पूरी जिंदगी में पूरे देश में यदि सत्यापन होना होगा, तो वह भी आन लाइन हो सकता है यह भी एक प्रकार से हमारे आई.टी. के सही सदुपयोग का एक नायाब उदाहरण है, मैं आई.टी. विभाग को भी इसके लिये बहुत बधाई देना चाहता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 1 जुलाई, 2014 से मध्यप्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया था और उसमें सबसे बड़ा कोई हर्डल कोई था, तो वह जाति प्रमाण पत्रों की उपलब्धता थी, उसके लिये एक विशेष तौ तौर पर अभियान चला कर वहां पर कैंप लगाये गये , मेरे कान्स्टीट्वेंसी में भी मैंने देखा और वहीं के वहीं बच्चों को जाति प्रमाण पत्र दिये गये, जिसका बहुत ही फायदा हुआ, उसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि आई.टी. का उपयोग इस विभाग ने बहुत अच्छे से किया, खास कर वैबसाइट में अधिकारियों की यदि सीनियरटी का मामला हो, उनकी पदोन्नति का मामला हो, कर्मचारियों की या अधिकारियों की अचल संपत्ति जो कि जनता देखना चाहती है पारदर्शिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वह सबका सब इस विभाग ने उसको सुचारू रूप से यहां पर क्रियान्वित किया. हमारे मध्यप्रदेश शासन और खासकर शिवराज सिंह चौहान जी का एक सपना है सुशासन का. सुशासन की जब बात होती है, तो उसमें ट्रेनिंग के माध्यम से कि हम किस ढंग से जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करें, किस ढंग से हमारा लोक व्यवहार होना चाहिये, किस ढंग से हम सरकार की रीति, नीति को नीचे तक लेकर जायें. उसके लिये मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारी, कर्मचारियों के लिये एक विशेष ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया और वह प्रशासन अकादमी में लगातार होता है. मैं इसके लिये बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं. उसके माध्यम से जनता में इस बात का कहीं न कहीं विश्वास पैदा हो रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार जनता से जुड़ी हुई है, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है और उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से यहां पर होता है. हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार रहित शासन होना चाहिये. भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात मध्यप्रदेश सरकार ने की है. उसके

लेकर के चाहे लोकायुक्त संगठन को सुदृढ़ बनाने की बात हो, आर्थिक अपराध ब्यूरो को सुदढ़ बनाने की बात हो, उसके माध्यम से...

श्री रजनीश सिंह -- फिर व्यापम घोटाला क्या है.

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष महोदय, राज्य सूचना आयोग का, मुझे सदन में बोलते हुए इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि देश में मध्यप्रदेश एक इकलौता राज्य है, जिसका आगे आने वाले दिनों में राज्य सूचना केन्द्र का अपना खुद का दफ्तर होगा और इसका प्रावधान इस बजट में हुआ है. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. जनता के प्रति हमारी जवाबदेही का यह संकल्प है और उसको लेकर हमने यह काम किया है. हम लोकायुक्त के प्रकरण की बात करें, तो दिनांक 1.4.2013 से 26.12.2013 तक लगभग 3380 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 271 शिकायतें पंजीबद्ध हुईं और लगभग 42 शिकायतों पर उचित कार्यवाही की गयी. देश का पहला राज्य है, शायद देश में ऐसा उदाहरण नहीं है, परसेंटेज वाइज देखें, तो लोकायुक्त संगठन यदि सबसे ज्यादा एक्टिव्ह कहीं पर है, तो वह मध्यप्रदेश में है, क्योंकि उसका सीधा सीधा कारण है कि प्रशासन विभाग के रुप में उसको जहां भी संरक्षण देने की बात है, सामान्य प्रशासन विभाग ने उनको पूरी तरह से इसमें छूट दे रखी है. इसी तरह से जैसा मैंने कहा कि आर्थिक अपराध ब्यूरो की जब बात आती है, तो उसमें भी सुचारु रुप से काम हो सके, उसके लिये मध्यप्रदेश शासन ने बहुत अच्छा काम किया है.

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारी बातें कीं, परन्तु मेरा स्पष्ट मानना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस देश में उत्कृष्टता के साथ काम किया और उसी का परिणाम निकला कि बहुत सारे अवार्ड हमें मिले हैं.

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं पर्यटन विभाग पर भी दो मिनट अपनी बात बोलना चाहता हूं. हमारे देश में परिवर्तन आया, नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने अपने पहले ही भाषण में इस देश में एक अपना विजन दिया और पांच टी की बात की. ट्रेड, टुरिज्म,टेक्नॉलॉजी,ट्रेडिशन और टेलेंट. उन्होंने कहा कि यदि इन पांच टी पर इस देश में काम हो गया, तो इस देश में आमूल चूल परिवर्तन आयेगा. उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, वह है टूरिज्म का. क्योंकि टूरिज्म इस देश में एक ऐसे स्थान पर रहता है या ऐसा ट्रेड है, जिसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगारों का सृजन कर सकते हैं. यदि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, तो

पर्यटन उद्योग में लगे हुए लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, उसके साथ साथ उसमें अप्रत्यक्ष रुप से भी बहुत सारे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है. इस मुद्दे पर मध्यप्रदेश सरकार में बहुत ज्यादा काम हुआ और इसी का परिणाम निकला, मुझे देखने को मिलता है. एमपी गजब है, सबसे अलग है. यह इस बात को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना है. टूरिज्म के मामले में मध्यप्रदेश का कहीं नाम नहीं था. हिन्दुस्तान के टूरिज्म के नक्शे पर मध्यप्रदेश कहीं नहीं था, पर मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पर्यटन नीति का परिणाम निकला कि यहां पर पूरी तरह से...

डॉ. रामकिशोर दोगन -- सारंग जी, यह कान्हा और पचमढ़ी कब से बना है.

कुंवर विक्रम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की है कि मध्यप्रदेश अपने आप में वास्तव में निराला है.

श्री रजनीश सिंह -- अध्यक्ष महोदय, (XXX) अगली लिस्ट में बिलकुल उनका नाम है. सारंग जी को हमारी शुभकमानायें हैं कि आने वाली लिस्ट में इनको जरुर स्थान मिले.

अध्यक्ष महोदय -- इसको विलोपित कर दें.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- अध्यक्ष महोदय, हमारे विश्वास जी अब पप्पू नहीं रहे, ये पापा हो गये हैं.

अध्यक्ष महोदय -- श्री विश्वास सारंग का भाषण जारी रहेगा. विधान सभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिये स्थगित.

(1.00 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

(XXX) आदेशानुसार विलोपित.

समय 2.36 बजे **विधानसभा पुन: समवेत हुई**

(उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए)

वर्ष 2014-15 की अनुदान मांगों पर मतदान(क्रमश:)

उपाध्यक्ष महोदय -- विश्वास जी आप अपनी बात प्रारंभ करें. अध्यक्ष जी मुझसे कह रहे थे कि आप 3 मिनिट में समाप्त करेंगे ऐसा वायदा आपने अध्यक्ष जी से किया था.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी मैंने कोई वायदा नहीं किया. किंतु आपका आदेश शिरोधार्य है. आपके आदेश का पालन करूंगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन विभाग पर बोल रहा था. मैंने पहले भी कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने की बहुत संभावनायें हैं. हमारा जंगल, हमारी संस्कृति, हमारा मौसम, हमारी कानून और व्यवस्था, हमारी भौगोलिक स्थिति इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमारी बहुत क्षमतायें हैं. दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इस दिशा में बहुत ज्यादा काम नहीं किया. हमने चुनौती के रूप में पर्यटन के विकास को अपने हाथ में लिया. उसी का परिणाम है कि विगत दिनों जब कांग्रेस की सरकार केन्द्र में थी उसने 3-4, 4-4 साल श्रेष्ठ पर्यटन के रूप में मध्यप्रदेश को अवार्ड दिये. इसके लिये मैं भाई सुरेन्द्र पटवा जी को बधाई देना चाहता हूं. माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सुरेन्द्र पटवा जी के नेतृत्व में यह विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है. उसी का परिणाम है कि वर्ष 2004-05 में इस विभाग का बजट 15 करोड़ था वह बढ़कर के आज 175 करोड़ हो गया है, उसी अनुपात में मध्यप्रदेश में जो पर्यटकों की संख्या है वो 2004-05 में केवल 87 लाख थी जो बढ़कर के आज 7 करोड़ तक पहुंच गई है यह अपने आपमें एक रिकार्ड है और इसके लिये मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोद, पर्यटन विकास निगम की बात करें तो उसका प्रायवेट सेक्टर से काम्पटीशन होता है. उसके लिये जरूरी है कि हम हमारे कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग दें, यदि बड़ी बड़ी

होटलों से काम्पटीशन है तो हमें उस प्रकार की गुणवत्ता अपने कर्मचारियों में स्थापित करना पड़ेगी. उसके लिये हुनर से रोजगार योजना ,पर्यटन मित्र प्रदेश बनाने की बात है उसके माध्यम से .

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात नहीं काट रहा हूं परंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पर्यटन विभाग के द्वारा एक एड निकाली जाती है "एम पी अजब है एम जी गजब है" कई बार मैंने टीवी चैनलो मे देखा है. अभी बीच में गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी ने महिला बलात्कार के संबंध में जब बोला था तो यह उदाहरण दिया जा रहा था कि एम पी अजब है, एम पी गजब है. तो मेरा पर्यटन मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस एड को रोका जाना चाहिये, बंद किया जाये, दूसरी एड बनाई जाये.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य बहुत ज्ञानी है जिस एडवरटाइजमेंट केंपेन को देश की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ केंपेन बोला है उस पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- इस एड का दुरूपयोग हो रहा है. यदि कोई विपरीत घटना प्रदेश में घट जाती है तो इस एड का उदाहरण दिया जाता है.

उपाध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश गजब है यह तो सर्वमान्य है.

डॉ.मोहन यादव-- उपाध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग का नया एड पिछले एक साल से चल रहा है. उसके बाद में रंग कलर वाला एक एड और आ गया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप इनको अलग से बता दें.

श्री सोहनलाल वाल्मिक-- सरकार में बैठे मंत्री जब कोई अजीब सी हरकत करते हैं तो इसका उच्चारण किया जाता है.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर जहां कर्मचारियों को विधिवत् ट्रेनिंग दी गई है उसके साथ-साथ इस व्यवसाय में अप्रत्यक्ष रुप से लगे हुए लोग चाहे वह गाईड हो, टेक्सी

ड्रायवर हो उनको हास्पिटिलिटी के गुण सिखाये गये कि किस तरह पर्यटकों से बातचीत करना चाहिए. इस विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन विकास निगम की बात करें. दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ता है कि यह वही पर्यटन विकास निगम है जिसको कांग्रेस के शासन में बंद करने के लिए फाईल खोल दी गई थी और निगम बंद हो जाये उसके लिए कवायद हो रही थी. सभी होटल्स को बेचने के लिए निविदा निकाल दी गई थी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको चुनौती के साथ लिया और हमने यह लक्ष्य बनाया कि हम पर्यटन विकास निगम को देश के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे और उसमें हमने सफलता प्राप्त की. आंकड़े कहते हैं कि 2003-04 में इस निगम का बजट 16.25 करोड़ था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम करने तरीके से 2009-10 में 60 करोड़ हुआ. 2012-13 में 96 करोड़ और इस साल 2013-14 में 109 करोड़ रुपये पहुंच गया है जो शायद देश के किसी भी पर्यटन विकास निगम के टर्न ओवर से ज्यादा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- चलिये इसी नोट के साथ समाप्त करिये. आपने वजनदार बात कह दी है.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 और मांगों पर तो बोलने का मौका दीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं नहीं. समय सीमित है उसी समय सीमा में हर विषय और विभाग को लेना है. विश्वासजी अलग अलग समय नहीं मिलता. अब एक मिनट में समाप्त करिये. आपने अध्यक्ष जी से 3 मिनट का कहा था. एक मिनट में मुख्य बातें कह दें.

श्री विश्वास सारंग-- मैंने नहीं बोला. उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी विकास विभाग का काम शायद मध्यप्रदेश के भविष्य निर्माण के लिए बहुत जरुरी है. नर्मदा अष्टक में लिखा है **'दुरन्त पाप, ताप हारी, सर्वजन्तु शर्मदेय. त्वदीय पाप पंकजम् नमामि देवी नर्मदे.'** नर्मदा मैया की शरण में जाओगे तो सब ताप और पाप का अंत हो जायेगा और वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नर्मदाजी के सही उपयोग के माध्यम से प्रदेश के विकास की इबारत लिखी है. चाहे सिंचाई की बात

हो. चाहे जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन की बात हो. मैं, माननीय मुख्यमंत्रीजी और श्री लालसिंह जी आर्य को बधाई देना चाहता हूं कि इस ...

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- उपाध्यक्षजी, 10 सालों में नर्मदा कितनी गंदी हुई है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे. नर्मदा विकास प्राधिकरण में डिंडोरी पहला शहर है, वहां 10 सालों से नर्मदाजी के किनारे आचमन नहीं कर पा रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- मरकामजी, आपका जब समय आयेगा तब इन सब बातों का उल्लेख कर दीजिएगा.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्षजी, नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के माध्यम से 422 करोड़ रुपये की योजना केवल 14 महीने में पूरी हुई. यह देश में इतिहास बना है. यह श्री शिवराज सिंह जी चौहान के संकल्पशक्ति का परिणाम है जो आज नर्मदा जी क्षिप्राजी से मिल गयी है और इसको आगे गंभीर तक ले जाने की बात है. इससे लगभग 50 हजार हेक्टर भूमि पर सिंचाई बढ़ेगी. मैं इस विभाग को बधाई देना चाहता हूं. किसी भी प्रदेश या समाज के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम संस्कृति को सहेजे. मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग ने विगत दिनों में जो काम किया है निश्चित रुप से मैं इस सदन से यह मांग करता हूं सर्वानुमति से हम विभाग की मांगों का समर्थन करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- विश्वासजी, आपको बोलते हुए 27-28 मिनट हो चुके हैं.

श्री विश्वास सारंग-- अब 27-28 मिनट अच्छे नहीं लगते पूरे 30 मिनट कर दीजिए. उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृति विभाग की ओर से मध्यप्रदेश दिवस मनाने की बात हो या प्रदेश की अलग अलग जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, सहेजने के लिए जो काम किया है मैं विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं. सदन से यह मांग करता हूं सभी मांगों पर हम सर्वानुमति से समर्थन करें. धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1, 2, 26, 37, 48 और 65 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग पर मेरे पूर्व दो वक्ताओं के द्वारा काफी चर्चा हो चुकी है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था जो सरकार ने प्रारम्भ की है इस नई व्यवस्था से किसानों में और ज्यादा दुर्दशा की स्थिति बन गई है. वह अपना आवेदन लगाते हैं और समय सीमा में उनको जो जानकारी मिलना चाहिए वह उनको समय सीमा में नहीं मिल पाती है, मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार कसावट लाये, जिस मकसद और उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है उस उद्देश्य की पूर्ति हो ऐसा मैं सरकार से उम्मीद करता हूं और सरकार को ऐसा मेरा सुझाव भी है. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित जो दूर दराज के जिले हैं उन जिलों जो महत्वपूर्ण पद होते हैं . विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आदिवासी जिले हैं उसमें अच्छे अधिकारी हैं उनको उसमें तैनात करना चाहिए वह न होने के कारण बहुत सारी दुर्दशाओं का शिकार वह जिले होते हैं. एक तो जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को जल्दी भरा जाय.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संस्कृति और पर्यटन पर काफी चर्चा हो गई है कटारे जी ने और विश्वास सारंग जी ने भी बोला है, मैं उन चीजों को रिपीट करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं. मैं सीधे नर्मदा घाटी विकास पर आना चाहता हूं, जिससे मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र और मेरा जिला जुड़ा हुआ है. मैं इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि क्या जल्दी थी इतनी केन्द्र सरकार को कि केन्द्र में आते ही नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ,सबसे पहले सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई और वह भी सीधे 17 मीटर बांध की ऊंचाई बढ़ाई, यह हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है. चार राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात है. मध्यप्रदेश के चार जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर और धार इन जिलों के लगभग 193 गांव प्रभावित हो रहे हैं. लगभग 50 हजार परिवार के पास रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है. कुल मिलाककर 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे. मेरा कहना है कि अभी तक इतने समय से

बांध का जो काम चला आ रहा था. उसे लोग प्रभावित हो रहे थे. विस्थापितों के रूप में उनकी पुनर्वास की व्यवस्था जिस मापदण्ड के आधार पर होना चाहिए, उस मापदण्ड के अनुसार अभी तक नहीं की थी. ऐसे ही ट्रिब्यूनल में यह प्रकरण विचाराधीन था. सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन था बांध से संबंधित प्रकरण. केन्द्र सरकार कोइतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना राजपुर विधान सभा क्षेत्र जो कि बड़वानी जिले में आता है. मैं बताना चाहता हूं कि वहां के किसान वहां के खेती से जुड़े हुए मजदूर , वहा के मछुआरे, वहां के कुम्हार, वहां के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अभी तक जो प्रभावित हुए हैं, रोजगार के अलावा वहां पर न तो उनको जमीन मिली है न ही सरकार ने वहां पर उनकी व वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की है. मेरा कहना है कि यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उचित नहीं है जब तक विस्थापितों की ठीक ढंग से पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, जैसे कि एनसीए (नर्मदा कण्ट्रोल अथारिटी) की हम बात करें तो आज तक वहां पर सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल है यह सब सुविधा उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रही है. मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्यों ने मेरे अलावा भी जो जिस क्षेत्र से प्रभावित हैं उन्होंने कई प्रश्न यहां पर लगाये हैं उनके प्रश्नों का जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है तो हम जो एमएलए चुनकर आते हैं प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में हमारी बात को रखकर , उन विस्थापित लोगों की बात को यहां नहीं मनवा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा अपना भी प्रश्न लगाना और हमारी बात कहना भी यहां पर उचित नहीं होगा. इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक सरकार में जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं. जो सुविधाएं उनको मध्यप्रदेश में दी जाती थीं वहां पर जाकर जब देखते हैं वहां पर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कोई 5 साल से ज्यादा समय हो गया है उनकी जमीन का डिमार्केशन भी नहीं हुआ है, उनकी जमीन का अभी तक सीमांकन भी नहीं किया गया है . इसी प्रकार की बहुत सारी बातें है...

जब तक विस्थापितों को ठीक ढंग से पुनर्वास की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तब तक मैं मोदी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. जैसा मैं अभी श्री विश्वास सारंग जी को सुन रहा था. नर्मदा घाटी

से संबंधित बात उन्होंने कही थी. लेकिन उस प्रभावित क्षेत्र में हम रहते हैं, उस पीड़ा को हम जानते हैं, हम समझते हैं. इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए. इतना ही नहीं, इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित एक और मसला है. हम सब जो विधायक हैं. विधायकों को जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बाबू, लिपिक के रूप में दिये जाते हैं. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश हैं कि उनको 2000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए. वह भी सरकार ने आदेश किया है, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं किया जा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें बोलने की हैं. लेकिन मेरे अलावा और भी साथी अपने बातें रखेंगे. आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा संकट वर्ष 1993-94 में भी आया था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी थे. उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और यह आग्रह किया था कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को रोका जाय, क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे. उस समय वह बांध का काम रुका था. आखिर में वर्ष 2006 में बांध की ऊंचाई बढ़ी थी, उसके बाद से वर्ष 2014 में जो बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है, पिछले 8 वर्षों से उसका काम रुका हुआ था. उपाध्यक्ष महोदय, जिसको दर्द, पीड़ा, कष्ट आते हैं, वही उसको जानते हैं. मैं समझता हूं कि सरदार सरोवर बांध की जो ऊचाई बढ़ाई है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. जो विस्थापित हैं, उनको जब तक पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो यह गैर-कानूनी होगा. सुप्रीम कोर्ट में जो एक्शन प्लान सरकार ने सब्मिट किया था, उस एक्शन प्लान पर आज तक भी काम नहीं हुआ है. विश्व बैंक से जो इससे जुड़ा हुआ है, विश्व बैंक ने भी इसकी चिंता की है. मेरा सदन के माध्यम से यह आग्रह है कि सरदार सरोवर बांध के जो विस्थापित लोग हैं, उनकी भावनाओं और उनके हितों की रक्षा के हिसाब से भी सदन को विचार करना चाहिए और कोई ऐसे प्रस्ताव की बात आती है..

उपाध्यक्ष महोदय - इस मुद्दे पर सारा सदन चिंतित है.

श्री बाला बच्चन - धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय. केन्द्र सरकार तक इस सदन का मत पहुंचा देना चाहिए. आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती अर्चना चिटनिस (बुरहानपुर) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1,2,26,37,48 एवं 65 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और कटौती प्रस्तावों के विरोध में मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता दोनों ने बड़े महत्वपूर्ण विषय रखे और मैं सामान्य प्रशासन विभाग के विषय में केवल एक-दो बात कहकर शेष विभागों के विषय में और विस्तार से बात करूंगी. निश्चित तौर पर जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उसका महत्व इसी से समझ में आता है कि इस विभाग की देख-रेख माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी निगरानी में करते हैं और वह अपने आप में प्रशासनिक दृष्टि से नोडल डिपार्टमेंट है, को-डिपार्टमेंट है, सारी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में उसका अपना महत्व है. इंटर-डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन की दृष्टि से उसका बहुत महत्व है. दो बातों के लिए मैं विभाग को बधाई देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रत्येक विभाग को वर्ष में दो बार डीपीसी करने का जो निर्देश दिया है, उससे समय पर प्रमोशन्स होंगे. लोगों को प्रमोट होने पर एक मोटिवेशन मिलेगा. वे बेहतर काम कर सकेंगे और प्रभारी व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे नगण्य किया जा सकेगा, समाप्त किया जा सकेगा. एक और बात कि आज ही के अखबारों में हमने विज्ञापन देखा. निश्चित तौर पर वह प्रदेश जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में जहां रहते हों, वहां पर जाति प्रमाण-पत्र का सरलीकरण जिस प्रकार से किया है और जिस प्रकार से उसमें टेक्नालॉजी का उपयोग किया है. उसमें आम आदमी, गरीब आदमी तहसीलों के चक्कर लगाता रहता है. जाति प्रमाण-पत्र के लिए जिस प्रकार से वह परेशान होता था, उसका इतना सरलीकरण कर दिया है, उसमें तकनीक का ऑप्टिमम उपयोग किया है, मैं उसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग को बधाई देना चाहती हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगी. ट्रेनिंग की बात कही गई. ट्रेनिंग निश्चित तौर पर की जाती है. जो सीनियर मोस्ट ऑफीसर्स हैं उनके लिए बड़ी क्वालिटी की ट्रेनिंग्स होती है. देश में ट्रेनिंग्स होती हैं, विदेशों में ट्रेनिंग्स होती हैं. मेरा आग्रहपूर्वक यह निवेदन है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अमले को भी क्वालिटी की ट्रेनिंग प्राप्त हो. अन्ततोगत्व जो अंतिम लेवल पर बैठ कर, जनता के बीच में बैठ कर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है उसके अंदर उत्साह का संचार हो, उमंग हो, सकारात्मकता हो,एक आत्मगौरव का भाव हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की

संवेदनशीलता नीचे के अमले में हो. इसके लिए उसको तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए और अपने काम को बहुत शिद्दत से करने के लिए हमने नीचे स्तर पर, फील्ड स्तर पर ट्रेनिंग देने का एक बहुत सुचारू और क्वालिटी की व्यवस्था स्थापित करें ऐसा मेरा आग्रह है. वर्तमान में जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उन्हें और क्विलिटी वाला करने का, इम्प्रूवमेन्ट करने की गुंजाईश है ऐसा मेरा अपना मानना है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी विकास, वैसे तो 1981 में स्थापित हुआ लेकिन इस पवित्र सदन में कहने में मुझे गर्व भी है और हल्का सा कष्ट भी है. 1981 से तो NVDA की स्थापना हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यह विभाग योजनाओं पर काम करता रहता था,योजनाओं को शुरू करता था, लेकिन योजनाओं को पूरा करने का एक भी कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार आने के पहले का कभी नहीं है. ये अनवरत काम करता रहता था पर पूर्णता की ओर पहुंचने का अगर कभी समय आया है जो हमने देखा है तो एक के बाद एक , एक नहीं कई सारी योजनाएं पिछले दस वर्ष में पूरी हुईं. जैसे की इन्दिरा सागर योजना, औंकारेश्वर की योजना, मान, जोबट, अपर वेदा. लोअर गोई, सारी योजनाएं 1981 से लेकर जब पूर्ण होना शुरू हुईं ,वे तब शुरू हुईं जब मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे NVDA के सारे विभाग के लिए ,इनके सारे टॉप टू बाटम, संपूर्ण जिम्मेदार लोगों के लिए ,तमाम अमले के लिए ये अपने आप में एक बाधा दौड़ की तरह है. जितना मॉनीटरिंग हमारी नर्मदा घाटी की योजनाओं का हुआ, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय,माननीय उच्च न्यायालय, भारत सरकार का हमारा पर्यावरण विभाग, सामाजिक संगठन, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी जितने इस पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे, जितनी इसमें अड़चने खड़ी होती रहीं . उन सारी अड़चनों को पार करते हुए, बाधा दौड़ को पार करते हुए हम न केवल उनको सुलझाने में लगे रहे बल्कि योजनाओँ को आगे बढ़ाने में हम लेग, उनको पूर्णता तक पहुंचाया और पूर्णता तक पहुंचा कर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने में जो हमने अपनी योग्यता दिखाई है उसी के कारण जो इरीगेशन बढ़ा और उसके कारण जो हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ी और उसके उसके साथ साथ खेती किसानी को लेकर जो हमारी आमदानी बढ़ी, जो हमारी पर केपिटा इनक्म बढ़ी उसमें NVDA का बहुत बड़ा योगदान है. मैं NVDA विभाग को, माननीय लालसिंह जी को,

उनके समस्थ अधिकारियों को बहुत सारी बधाई देती हूं जिन्होंने एक के बाद एक के बाद एक ,इतनी सारी योजनाएं पूरी की.

उपाध्यक्ष महोदय—अर्चना जी, जो मिनट में समाप्त करें. निःसन्देह आप अच्छी वक्ता हैं. और आप आज अपनी टीम की ओपनिग बैट्समैन नहीं हैं आप टू-डाऊन बैट्समेन हैं. ओपनिंग बैट्समेन होतीं तो कोई दिक्कत नहीं थी. दो मिनट में समाप्त करें.समय का ध्यान रखें, बहुत से लोगों को बोलना है.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—हमारी नर्मदा,क्षिप्रा और गंभीर की योजनाओं के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने उनका उल्लेख किया था. मैं उनके बारे में बहुत विस्तार से न जाते हुए दो तीन विषय पर जरूर मैं NVDA की प्रशंसा करना चाहूंगी. एक तो, न केवल इन्होंने बांध बनाए बल्कि उनके कैचमेन्ट एरीयाज के प्लान्टेशन को भी बहुत शिद्दत से लिया. उन पर भी बहुत ध्यान दिया और अगर देखा जाय तो नर्मदा घाटी विकास विभाग ने लगभग एक लाख हैक्टेयर औंकारेश्वर में, छब्बीस हजार हैक्टेयर सरदार सरोवर में फिर इन्दिरा सागर परियोजना में, औंकारेश्वर में, इन्होंने लाखों हैक्टेयर का वृक्षारोपण . ये इस बात को बेसिकली समझ सके कि अगर जंगल होंगे तो नदियों में पानी होगा और नदियों में पानी होगा, तभी नदियों से पानी लिया जा सकेगा. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अतिशीघ्र दो तीन बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी. पर्यटन विभाग ने जिस तरह से काम किया है, 40 होटल से बढ़कर 56 हो गए हैं, हमारे नंबर आफ रूम्स में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ. मैं इस बात के लिए पर्यटन विभाग को बधाई देना चाहती हूं कि रिलीजस टूरिज्म को हमने देश में पहली बार बढ़ावा दिया, हमने बुद्धिस्ट सर्किट बनाया, हमने जैन सर्किट बनाया और स्तूप के साथ हमने और नए स्तूपों को भी जंगल तक जाकर न केवल उन तक पहुंचे, बल्कि उनकी लास्ट माईल कनेक्टिविटी भी की. हमने लो कास्ट होटल्स प्रारंभ किए, जिससे कम कीमत में लोग रहकर सुविधा ले सकें, उनके लिए यह बड़ा काम हुआ. एक मेरा सुझाव माननीय पर्यटन मंत्रीजी के लिए है कि हम जो सारा काम करते हैं, हम एफीलुएंट क्लास आफ टूरिस्ट के लिए करते हैं, जो बसों में ट्रेवल्स करके आते हैं और कई बार उज्जैन के बाहर, दतिया के बाहर या ओंकारेश्वर के बाहर बस रोकते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए धर्मशालाएं बनाकर स्व सहायता समूह को दी जाएं, जहां पर किचिन, ट्वायेलट की व्यवस्था हो. कम कीमत में कम पैसा खर्च करके टूरिस्ट में जो हमारा आर्थिक

रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए भी प्रदेश में एक व्यवस्था बन सके, इसके लिए कृपा करके व्यवस्था बनाएं.

उपाध्यक्ष महोदय—कृपया अब समाप्त करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी. आर्केलाजी डिपार्टमेन्ट के दो हिस्से हैं, एक कल्चर वाला पार्ट है, जिसमें बहुत सारा काम हुआ है, मेरे पूर्व के वक्ता ने उस पर विस्तार से कहा है, लेकिन जो आर्केलाजी वाला हिस्सा है, उस पर मेरा आग्रहपूर्वक माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आर्केलाजी में जो हमारे स्टेट आर्काइज हैं, उनको नेश्नल आर्काइज के स्टेंडर्ड पर करें, क्योंकि वह हमारी धरोहर हैं, वह हमारी वर्तमान पीढ़ी को पूर्व की पीढ़ी से परिचित कराते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और जो नेश्नल आर्काइज हैं, वह प्राचीन और अर्वाचीन को कनेक्ट करने वाला महत्वपूर्ण विषय है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पूर्व में भी जो ट्रायवलर्स देश में आए, उन्होंने इस देश के बारे में पूरी दुनिया को बताया. चाहे फिरदौस हो, मेक्स मूलर हो, कोलंबस हो, अलब्रुनी हो. मैं एक दो बात कहकर अपनी बात को तत्काल समाप्त करना चाहूंगी. एवीएशन विभाग की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया कि प्रत्येक जिले की एयर कनेक्टिविटी करेंगे. मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि बुरहानपुर की भी एयर कनेक्टिविटी इस बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल आगे करके इस बजट का जो एक्सपेंडीचर है, उसमें बुरहानपुर के एयर स्ट्रिप की चिंता करें, उसके लिए कुछ निर्णय ऐसा करें क्योंकि बुरहानपुर एक एतिहासिक जगह है, टैक्सटाइल हब है, केले की खेती होती है, बड़ा व्यापारिक केन्द्र है. वहां एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवूल किया जाय. दो बातें कहकर मात्र एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं. बुरहानपुर में 126 मोल्युमेन्ट्स हैं, वह बड़ा प्राचीन शहर है, मात्र 34 की स्थिति आज ठीक है और उसमें से 5 विश्व की धरोहर हैं. बुरहानपुर में पर्यटन की दृष्टि से वहां बहुत काम करने की गुंजाइश है. शाही महल से औखाने तक का रोप-वे हो सकता है, उसकी चिंता की जाय और मैं इतना कहकर अपनी बात पूरी करूंगी कि बुरहानपुर में वह मस्जिद है, जिसमें संस्कृत में कुरान की आयतें मस्जिद में लिखी हुई हैं, बुरहानपुर एकमात्र वह जगह है जहां गुरू गोविन्द सिंह जी के अपने हाथ से हस्ताक्षर किए हुए गुरू ग्रंथ साहब हैं. टूरिज्म की दृष्टि से बुरहानपुर में बहुत सारा इन्फ्रा स्ट्रकचर इम्प्रूव

हुआ है, लेकिन और इम्प्रूव हो, इसके लिए आगृह करते हुए और आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को और मुख्यमंत्री जी को पिछले 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी और यह कहूंगी जो मैक्स मूलर ने हमारे देश के बारे में कहा कि—"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth power and beauty that nature can bestow. I should point to India" और हम इस देश को वैसा ही बनाए रखें, जैसा हम पूर्व में थे, उस ओर हम बढ़े हैं. पूरी दुनिया हमारे देश और प्रदेश के प्रति उमंग और उम्मीद की दृष्टि से देख रही है. यह हमारी सरकार पर जिम्मेदारी है.

उपाध्यक्ष महोदय—I think you should end with this note. Thank you.

डॉ.गोविन्द सिंह(लहार)-- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित विभाग की मांगों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ. अभी पूरे मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाला चल रहा है लेकिन व्यापम के अलावा म.प्र. लोक सेवा आयोग का जो घोटाला है वह व्यापम घोटाले का ग्रांड फादर है. इसकी जब एक एक करके परतें निकलेंगी तो अकेले मध्यप्रदेश ही नहीं समूचे भारत वर्ष में मध्यप्रदेश का नाम कलंकित होगा. म.प्र. लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है. इसमें जो नियुक्तियां हुई हैं वह पूरी तरह से संस्था की गरिमा को गिराने में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का पूरा हाथ रहा है. अभी तक परम्परा थी पिछले अनेक वर्षों से जब से म.प्र. में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, आधे सदस्य जनता के द्वारा और आधे करीब सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के बीच से जाते थे परन्तु पिछले दस वर्षों में जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य कम जा रहे हैं, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ज्यादा भर्ती किये गये हैं और अयोग्य, अपात्र, अक्षम लोगों को म.प्र. लोक सेवा आयोग में बैठालने का काम किया गया है. यह एक मापदण्ड है, पांच सदस्यों में से अभी एक स्थान रिक्त हैं. पहले जोशी जी को किया. जोशीजी भी ठप्पा वाले थे,कदमताल वाले थे, फिर काली टोपी वाले को भेजा. अब दुबारा फिर एक भेजा गया जो 19 महीने जेल में रहे, पाण्डे जी

है उनको अध्यक्ष बना दिया गया. मैं पूछना चाहता हूँ कि जब पाण्डे जी अध्यक्ष बने उनके रहते आयुर्वेद परीक्षा में जब घोटाला हुआ है.

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)- आप यह बातें समाजवादी नेता के रुप में कह रहे हैं या कांग्रेसी नेता के रुप में ?

उपाध्यक्ष महोदय—डा. साहब, यह विधायक के रुप में कर रहे हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह—हम तो मल्टीपरपज हैं. (XX)की तरफ से भी हम ही हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—यह शब्द विलोपित कर दीजिए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—उपाध्यक्ष महोदय,गोविन्द सिंह जी आजकल केवल यह सोचते रहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं समाजवादी था.

डॉ. गोविन्द सिंह—अभी हट गये क्या. समाजवादी पहले भी थे और आज भी हैं.विचारधारा थोड़ी बदलती है.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉ. साहब, समाजवाद की याद दिलाकर आप इनको ज्यादा जोशि शि दला रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब लगातार परीक्षा में गड़बड़ी हुई. वेटेनरी परीक्षा में 525 डाक्टरों का चयन करने के लिए परीक्षा हुई तो उसमें जो नियम लोक सेवा आयोग द्वारा बनाये गये थे कि दस वर्ष से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति का उस परीक्षा में चयन करेगा लेकिन उसमें अनुभवहीन,नॉन टेक्नीकल लोग बैठा दिये गये. जिन अध्यक्ष और सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की थी और जिसने परीक्षाओं में गड़बड़ी की, जबकि इन पर पूरी जवाबदारी है कि परीक्षाएं साफ सुथरी, निष्पक्ष हों और योग्य छात्रों को न्याय मिले लेकिन उन्होंने जब इस तरह का काम किया तो अभी

(XX) आदेशानुसार विलोपित

तक ऐसे लोगों को हटाने का काम क्यों नहीं हुआ. सरकार को तत्काल पाण्डे जी को हटाना चाहिए. उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में हटाया है. वहां पर जो रिटायर्ड आईपीएस आफीसर अशोक दरबारी थे, उन्होंने गड़बड़ की तो उनको वहां निलंबित कर दिया.जब वहां निलंबित हुए तो फिर यहां पर इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इससे आपकी ईमानदारी पर और आपकी नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगता है. अभी तमाम् प्रश्न पत्र के साथ 4 लोगि दिल्ली में पकड़े गए , जो यहां के मास्टर माइंड थे, प्रेस से पेपर दिल्ली में ले जाकर 40-40 और 50-50 लाख में बेच देते थे और बिहार, इलाहाबाद और बनारस में इनके अड्डे हैं. बनारस के लोग उसमें शामिल हैं. मध्यप्रदेश के अलावा भी यह पूरा रैकेट म.प्र. लोक सेवा आयोग का पूरे देश भर में चला हुआ है और आज से नहीं पिछले दस साल से लगातार यह काम चल रहा है तो जब इसकी परतें खुलेंगी तो पूरे देश में हम मध्यप्रदेश के लोग सिर उठाने लायक नहीं रह पायेंगे. हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि अगर आप अपनी ईमानदारी की छाप, ईमानदार था, हूं और रहूंगा, अगर यह वाला आपका वक्तव्य सही है तो आप तत्काल इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें . हम नहीं कहते हैं कि आप सीबीआई जांच कराओ लेकिन आप ऐसे निष्पक्ष लोगों के द्वारा कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लोगों का हक छीना है, गलत तरीके से लोगों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनाया है, उनको सजा मिलना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, दो मिनट में समाप्त करें.

डॉ. गोविंद सिंह--- उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो अभी आधा मिनट में बैठ जाते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- दो मिनट में कर दें.

डॉ. गोविंद सिंह--- अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई और आप कहते हैं कि दो मिनट में समाप्त करें. क्या बात है(XX)?

उपाध्यक्ष महोदय--- इस कुर्सी की महिमा ही ऐसी है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- डॉ. साहब आप भी इस कुर्सी पर कभी कभी विराजते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--- यह कुर्सी वाली बात विलोपित कर दें.

डॉ.गोविंद सिंह--- यह बात मैंने लिखने के लिए थोड़ी बोली थी.

खाद्यमंत्री(कुंवर विजय शाह)--- आसंदी का हम सब सम्मान करें. उपाध्यक्ष महोदय, गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैंने लिखाने के लिए यह नहीं बोला था . अब आप जो कुछ बोल रहे हैं तो कृपया उपाध्यक्ष जी को बता दें कि मैं लिखाने के लिए यह बोल रहा हूं और बिना लिखाने के लिए यह बोल रहा हूं.

डॉ. गोविंद सिंह--- मैं इसके अलावा आपकी भी बात कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई है. अभी तक सामान्य वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग से इसमें कोई भी सदस्य नहीं है.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव) --- आपकी पार्टी भी एक ही जाति के लोगों को क्यों प्रधानमंत्री बनाती रही ?(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय-- गोपाल जी, उनको बोलने दें.

डॉ. गोविंद सिंह--- यह कानून में प्रावधान था कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग,महिलाओं को भी उसमें रखा जाए.

श्री गोपाल भार्गव--- अरे, आपकी बात कोई सुनता नहीं है. हाईकोर्ट चिट्ठी लिखी थी और सी. जे.ने उसको फेंक दिया. न आपका प्रेमपत्र पढ़ रहे हैं, न विरोध पत्र पढ़ रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--- आसंदी को संबोधित करके अपनी बात रखे.

डॉ. गोविंद सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 50 प्रतिशत महिलाओं को देने की वकालत करते हैं किन्तु पंचायतों में और अन्य जगह एक भी महिलायें नहीं रखी है . इसलिए हमारा अनुरोध है कि आगे से जो पूर्व परंपरा थी उसका पालन हो. अनुसूचित जाति, जनजाति , पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं को भी उसमें रखा जाए.

श्री गोपाल भार्गव—कांग्रेस ने आज तक किसी ठाकुर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया ?...(हंसी)...

(XX) आदेशानुसार विलोपित.

डॉ.गोविंद सिंह-- हम तो समाजवादी हैं, सब जातियों में शामिल हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश भवन के बारे में कहना चाहते हैं .

उपाध्यक्ष महोदय--- अब आखिरी बात कह लें. क्योंकि कांग्रेस पक्ष का टोटल समय 36 मिनट का था.

डॉ. गोविंद सिंह--- उपाध्यक्ष महोदय, हमको अभी 7 मिनट हुए हैं . उसमें से दो तीन मिनट तो बर्बाद हो गये . मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को समाप्त करता हूं. एक तो यह कहना चाहता हूं कि लालसिंह जी आप आज मध्यप्रदेश भवन में जाकर देखें. पहले जब जाते थे कोई दिक्कत नहीं थी. अब तो जो खान पान के ठेके होते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है . जो वहाँ अधिकारी –कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनसे कमीशन ले के अपने घर का पूरा खर्चा चलवाते हैं. वहाँ पर 50 रुपये से 75 रुपये कर दिये हैं. मध्यप्रदेश भवन की बिजली , पानी ,क्राकरी,आधे से ज्यादा वेटर औऱ सब सामान पर खर्चा सरकार करती है और वहाँ पर कर्मचारी वेतन भी सरकार से लेते हैं और वहाँ पर दो गुने , ढाई गुने रेट बढ़ा दिये हैं. जबकि इससे अच्छा खाना और इससे कम दर में एनसीयूआई वगैरह में दिया जा रहा है. जब हमने वहाँ पता किया तो जानकारी मिली कि लगातार वही आदमी जो वहाँ खुद कर्मचारी है , वही वहाँ ठेकेदारी कर रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है औऱ वर्षों से उसी को ठेका दिया जा रहा है, आखिर उसमें कौनसे लाल लटक रहे हैं ?यह भी आप देखें. दूसरा हमारा कहना है कि जो भवन बन रहा है नवी मुंबई में और मध्यप्रदेश भवन में, उसको रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन बना रहा था. अब रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन का काम भवन बनाना है कि रोड बनाना है. उसका काम रोड बनाना है लेकिन उसके एमडी को ही आप सब काम देते जा रहे हैं, करोड़ों रुपये के काम उसको देते जा रहे हैं. कितना गोलमाल हो रहा है, कितनी निम्न स्तर की सड़कें बन रही है. आप भिंड में ही देख लो कि कितनी बढ़िया खूबसूरत सड़कें बन गई हैं .

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, अब आप समाप्त करें.

डॉ. गोविंद सिंह--- एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं. अब केवल एक बात और मीसाबंदियों की करुंगा . उपाध्यक्ष महोदय, मीसाबंदियों में एक पवन कुमार जी हैं,जबलपुर के रहने वाले हैं. यह पहले आपातकाल में जबलपुर जेल में बंद थे. फिर इसके बाद ग्वालियर में रहे. यह करीब 19 महीने जेल में बंद

रहे, इनके दोनों जेलों के प्रमाणपत्र कलेक्टर्स द्वारा जारी किये हुए हैं,यह ग्वालियर जेल में ट्रांसफर किये गये थे

इन्होंने कोई क्रांतिकारी काम जेल के अन्दर कर दिया था तो इसलिए इनको ग्वालियर के फासीकोठा में रखा गया. इनको तीन महीने पेंशन दी गई और उसके बाद कहा गया कि तीन दिन आप कहाँ गायब रहे, उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो पैरोल पर छुट्टी आए थे. उनको तीन महीने पेंशन देने के बाद जबलपुर प्रशासन ने उनकी पेंशन बंद कर दी इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप यह परीक्षण करवाएँ और जिनका हक है, 19 महीने जो रहे, आप सब लोग मजे मार रहे हैं, तो ऐसे जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं उनको क्यों वंचित किया जा रहा है इस पर जरा ध्यान दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी इसकी जाँच करा लेंगे. अब आप समाप्त करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आधे मिनट की बात कहना चाह रही थी. यह ईको टूरिज्म मध्यप्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है.

उपाध्यक्ष महोदय-- अगली किसी चर्चा में आप इसका उल्लेख कर दें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- आज ही का विषय है.

उपाध्यक्ष महोदय-- ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई बात रह जाए तो दुबारा कही जाए.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- कृपा करके मुझे आधे मिनट का समय दे दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं अर्चना जी गलत हो जाएगा. किसी अन्य चर्चा में आप इसका उल्लेख कर दीजिएगा अभी और भी मौके आएँगे.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- उपाध्यक्ष जी, मैं दो मांग अपने क्षेत्र के लिए करना चाह रही हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- क्षमा करें. ऐसी परंपरा नहीं है. गलत परंपराएँ न डालें. शैलेन्द्र जैन जी, अपनी बात कहें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- शैलेन्द्र जैन जी के बाद बात कर लूंगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, अर्चना जी, गलत परंपराएँ न डालें. ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई विषय छूट जाए तो बाद में भी बोला जा सके, ऐसा नहीं. आपका समय समाप्त. अन्य किसी अवसर पर बोल लीजिएगा.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- उपाध्यक्ष जी, रैलीवेंस नहीं बनेगा.

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष जी, लोकायुक्त में प्रकरण हैं लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाना चाहती है...(व्यवधान)..कितने मंत्रियों पर, पूर्व मंत्रियों पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, अब आप समाप्त करें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- जो प्रकरण लोकायुक्त में दबा लिए हैं ऐसे पूर्व मंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जिन पर रजिस्टर्ड हैं उनकी भी तत्काल परमीशन लें और उनको भी जेल पहुँचाने का काम करें.

श्री शैलेन्द्र जैन(सागर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1, 2, 26, 37, 48 एवं 65 का समर्थन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि अन्य विषयों पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से चर्चा कर ली है. मैं पर्यटन और संस्कृति पर प्रमुख रूप से फोकस करना चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन जो है हमारी सोच, हमारे संबंधों, हमारी संस्कृति, इसका संवाहक होती है और इसके साथ में आर्थिक विकास भी समाहित होता है. हमारा पर्यटन समरसता का एक बहुत अनूठा उदाहरण बन कर आता है और मध्यप्रदेश में मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके मुख्यमंत्री जी को और वर्तमान जो हमारे मंत्री हैं, जो बहुत ही सौम्य और सरल व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि उनके इसी व्यवहार को देखते हुए उन्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एक जमाना था जब पर्यटन का और संस्कृति विभाग का जो बजट था मुझे अगर स्मरण है वर्ष 2003-04 का जो बजट था उसमें मात्र 5 करोड़ रुपये का प्रावधान था. आज हमारा संस्कृति और पर्यटन का बजट बढ़कर 146 करोड़ और 172 करोड़, इस तरह से पर्यटन को हमने विशेष रूप से

प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत अलग से एक ड्राइव चलाई हुई है और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं. उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष 2008-09 में कुल 2.23 करोड़ व्यक्ति पर्यटक के रूप में यहाँ आए थे.जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 6.33 करोड़ हो गए. यह हमारे पर्यटन उद्योग की, हमारी पर्यटन नीति की, बहुत बड़ी सफलता है.उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन की अगर हम आय के विषय में देखें तो वर्ष 2003-04 का हमारा जो बजट था उसमें लगभग 12 करोड़ रुपये की आय पर्यटन उद्योग से पूरी होती थी. आज वही आय बढ़कर वर्ष 2013-14 में 105 करोड़ हो गई है और इस तरह की नीति अगर चालू रहेगी तो हमारी यह आय बढ़कर आगामी 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य लगभग 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का है. मैं अपनी ओर से माननीय पर्यटन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झीलों पर आधारित और जो हमारे जल स्रोत हैं उन पर आधारित टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया है. हमारे भोपाल में अनेक तरह की पर्यटन की गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित हैं. मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं सागर विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ भी मध्यप्रदेश का नंबर दो, मतलब आकार की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यप्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट जो तालाब है वह सागर में है...

लेकिन जिस तरह की गतिविधियां मध्यप्रदेश के हृदयस्थल भोपाल में संचालित हैं उस तरह की गतिविधियों का वहां सर्वदा अभाव है. मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक जमाने में वहां पर बोट क्लब भी संचालित था, अन्य गतिविधियां संचालित थीं, पेडल बोट भी संचालित थीं लेकिन कालान्तर में वह अव्यवस्थाओं के कारण बंद हो गई हैं. जैसा कि भोपाल की झील को विकसित किया गया है उसी अनुरूप सागर की झील को भी विकसित किया जाये. वहां मोटर बोट और पेडल बोट जैसी गतिविधियां संचालित की जायें. बोट क्लब के लिये मंत्रीजी ने थोड़ी राशि स्वीकृत की थी जिससे बोट क्लब का काम शुरु किया गया है लेकिन इसे विस्तार देने के लिये हमें बहुत बड़े पैकेज की आवश्यकता है. सागर चूंकि बुंदेलखंड का संभागीय मुख्यालय है इस नाते वहां पर पर्यटन की अपार संभावनायें हैं इसलिये यदि हमें एक विशेष पैकेज दिया जायेगा तो हम वहां पर पर्यटन को बहुत व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की दिशा में काम कर पायेंगे. पर्यटन को आकर्षित करने के लिये वाटर टूरिज्म में

बहुत फोकस किया गया है. विशेष रुप से उल्लेख करना चाहता हूँ सैलानी आईलेंड- खंडवा, बाणसागर-शहडोल, मणिखेड़ा-शिवपुरी इसी तर्ज पर सागर में जो बड़ी वाटर बॉडी है उसे भी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित किया जायेगा तो सागर भी पर्यटन का एक बहुत सुंदर केन्द्र बन जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, सागर की झील को विकसित करने के लिये वर्तमान में जो प्रयास किये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं. सागर में अनेक ऐसे जलाशय हैं जिन्हें हम बावड़ियों के नाम से जानते हैं अगर इन्हें ज्यामेट्रिकली देखा जाये तो यह ज्यामेट्री के बहुत सुंदर उदाहरण हैं. कालान्तर में यह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गये हैं उनको संरक्षित और सुन्दर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. यदि इन्हें हम संरक्षित कर पायेंगे तो हमारे पुरखों की विरासत को हम सहेज पायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमने देखा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिये एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है. भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और बुकिंग होने पर तो कान्हा और बांधवगढ़ में भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधायें सरकार ने निश्चित की हैं. सागर भी संभागीय मुख्यालय है, बुंदेलखंड का हृदयस्थल है उसको भी एयर कनेक्टिविटी में शामिल कर लिया जाये. वर्तमान में सागर में एयर स्ट्रिप्स संचालित हैं और मध्यम व छोटे साइज के एयरक्राफ्ट वहां पर आते रहते हैं लेकिन एयर कनेक्टिविटी बढ़ जायेगी तो सागर की अन्य स्थानों से एयरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जायेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जिला स्तर पर पर्यटन केन्द्र स्थापित कर रहे हैं उनका विकास कर रहे हैं. हमारे संभागीय मुख्यालय में मोटल संचालित था वह मोटल भी कालांतर में बंद हो गया है. मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग हमारे पास है यदि आप उस मोटल को पुन: प्रारंभ करेंगे तो यह बहुत उपयोगी बात होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड संस्कृति की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है लेकिन संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कभी कुछ काम नहीं हुआ है. हमारे यहां प्रचलित कहावत है—

टीकमगढ़ की ताल तलैया, मालथौन के झिन्नारे,
धामोनी की उर्स वजो है, हीरों वाला पन्ना रे,
शारद की असीम सागर पे, खजुराहो की शोभा रे.

ऐसे अनेक स्थान बुंदेलखंड में हैं जिनका विकास होना बाकी है. कला संस्कृति के उन्नयन के लिये और बुंदलेखंड की कला संस्कृति को संरक्षण देने के लिये एक बुंदेलखंड कला संस्कृति केन्द्र का जो प्रस्ताव गया हुआ है उसको बजट में शामिल कर लेंगे तो बुंदेलखंड के लिये बहुत बड़ा उपकार होगा. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह कटौती प्रस्तावों पर विभाग पर विषय वार चर्चा हो रही है। मुझे भी अनेक बार विधान सभा का सदस्य रहने का मौका मिला है। ये कोई मजाक है कि एक मिनिट में पर्यटन पर चर्चा खत्म करा देंगे तो मध्यप्रदेश में पर्यटक क्यों आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय:- अच्छा अब आप बैठ जाईये । आप ने अपनी बात कह दी।

श्री मुकेश नायक:-सब्जेक्ट डिमाण्डस् पर आपने समय सीमा कम कर दी, सदस्य एक-एक मिनिट में क्या अपनी बात कहेगा। यह तो बिल्कुल मजाक है। इससे अच्छा तो आप वैसे ही प्रस्ताव पास कर दीजिये, बिना चर्चा कराये ।

उपाध्यक्ष महोदय:- क्या आप शैलेन्द्र जी के पक्ष में बोल रहे हैं या सभी माननीय सदस्यों के लिये बोल रहे हैं।

श्री मुकेश नायक:- उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विधान सभा की सभी मान्य नियम प्रकियाओं और सभी सदस्यों के लिये बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय:- आपको यह मालूम है न कि विभागों की चर्चा के लिये कितना समय निर्धारित है और कांग्रेस का मात्र 36 मिनिट का समय है और वह खींचा जा रहा है। आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री मुकेश नायक:- उपाध्यक्ष महोदय, विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये आपने कभी भी इतना कम समय देखा जो इस विधान सभा में देखने को मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय:- चलिये हम इसको विलोपित नहीं कर रहे हैं, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है, आप बैठ जाईये ।

उपाध्यक्ष महोदय:- यह मुकेश जी की सीट बदलने के कारण हुआ, आप हमारे पास बैठते थे तो आपकी भाव भंगिमा दूसरी थी बदल गयी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरोत्तम मिश्रा):- उपाध्यक्ष महोदय, पहले वहां रामलखन शर्मा जी वहां पर बैठते थे।वहां पर बहुजनी प्रभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय:- रामलखन शर्मा और रामलखन सिंह पटेल दोनों वहां आसपास बैठ चुके हैं।

डॉ मोहन यादव(उज्जैन दक्षिण):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस सदन में मांग क्रमांक 1 , 2, 26, 37, 46,48 और 65 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहूंगा और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शुरूआत के माध्यम से दो तीन बातें रखना चाहूंगा, जिसमें मुझे आपका आर्शीवाद चाहता हूं, जिसमें पूरी बात आ जायें। क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है, यह केवल मध्यप्रदेश से ही नहीं पूरे देश से संबंध रखता है। सरकार बनने के बाद सबकी होती है चाहे वह कोई भी दल से हो। सरकार को भाजपा और कांग्रेस से बांटने के बजाय हम सब मिलकर विस्तार से गंभीरता से सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, हमारे अपने संस्कृति मंत्री माननीय पटवा जी को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ है, उसकी बात पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाये। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले समय माननीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद उज्जैन में तारामंडल का शुभारंभ किया, जो तारामंडल बना है वह 13 करोड़ की लागत से बना है। जिसके माध्यम से न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर पांचवें नंबर का उस ठंग का तारामंडल है इसकी जिस प्रकार की गुणवत्ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंत्रिमंडल सहित पूरे विधान सभा के सदस्य अपनी इस उपलब्धि को देखने आयें। क्योंकि यह अपनी सरकार की उपलब्धि है। जिसके माध्यम से यह खाली तारामंडल नहीं बना है, खगोलगणना की दृष्टि से जो उज्जैन का प्राचीन काल से जो महत्व था उस महत्व को पुर्नस्थापित करने का प्रयास हुआ है। मैं इसी माध्यम से न केवल संस्कृति बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने का प्रयास करने वाले हैं। आप इस बात को देखियेगा की भविष्य की दृष्टि से जो ग्रीनविच जहां से समय गणना होती है। वह समय गणना का केन्द्र तीन सौ साल पहले उज्जैन में था। आज से ढाई सौ साल पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस गया और वर्तमान में उसके बाद लंदन में समय की गणना होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं साईंस टेक्नॉलाजी विभाग यद्यपि अभी उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन टूरिज्म के माध्यम से 21 जून और 22 दिसम्बर को पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हम अपने समय गणना केन्द्र के आधार पर दुनिया में जो भारत के समय गणना की विशेषता रही है हम उसको पुर्नस्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वह

अद्‌भूत प्रयास है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से यहां पर एक करोड़ की धनराशि और चालीस करोड़ का मेगासर्किट जिसके माध्यम से न केवल उज्जैन बल्कि उज्जैन के आसपास के छ: जिलों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो पर्यटन की गतिविधि है वह एकतरफा नहीं होना चाहिये, एक पक्षिय भी नहीं होती और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने जितने धार्मिक के पर्यटन के केंद्र हैं चाहे वह किसी भी धर्म के हों सभी पर काम करने का प्रयास किया है. न केवल उज्जैन बल्कि खजुराहो,जबलपुर इसके साथ-साथ अमरकंटक,दतिया,ओरछा के लिये भी. अभी किसी वक्ता ने कहा था कि हम किसी धार्मिक पर्यटन के केंद्र पर कम बजट की होटल खोलें. मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि पर्यटन विभाग द्वारा हर स्थान पर एक-एक करोड़ के बजट होटल प्रारंभ किये गये हैं जो सामान्य किराये से तीन से चार गुना कम किराये पर यह सुविधा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जो को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने धार्मिक पर्यटन के साथ-सथ इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं खोजी हैं. जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसा हमें मालूम है कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है लेकिन सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में हर जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किये हैं. इन्दौर सहित जबलपुर में भी पिछले समय में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ हुआ है, 6 और खुलने वाले हैं जिसके माध्यम से अलग-अलग लोगों को रोजगार देना न केवल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के माध्यम से बल्कि अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह कुली हो, चाहे ड्रायवर हो, चाहे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों. सबको ट्रेनिंग देकर हमारी अपने यहां की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से उनको परिचित करने का प्रयास कर रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा. संस्कृति विभाग की ओर से उज्जैन के बारे में जो विशेष काम हुए, विक्रमादित्य जी के बारे में हम सबको मालुम है कि आजादी के समय में जिस विषय पर संविधान सभा ने निर्णय किया था कि हम सबको शक संवत माना जाए या विक्रम संवत माना जाए. मुझे इस बात पर गर्व है कि उस समय विक्रम संवत की बात मान ली गई थी लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी समय में जब संविधान सभा के बाद मसौदा तैयार हुआ कि संविधान में किसको मान्यता मिले तो दुर्भाग्य से शक संवत को मान्यता दी गई. यह कहानी बना दी गई कि कौन से विक्रमादित्य किस काल के विक्रमादित्य हम किसको मानेंगे. कहां प्रमाण हैं. यह ऐसी कपोल कल्पित बातों को लेकर जो प्रश्न खड़ा हुआ है. आज महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से उज्जैन में इस बात को स्थापित कर दिया गया कि विक्रमादित्य कौन से थे. उस काल के सिक्के खोजे गये. पुरातत्व की सामग्री आज उपलब्ध है और न केवल वह सामग्रियां बल्कि साहित्य में, संस्कृति में, लोक मुहावरे में, विविध प्रकार के आयामों में हम विक्रमादित्य को पा रहे हैं. हजारों लोगों के दिलों में धड़कने वाले विक्रमादित्य को यथार्थ में उतारने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से हुआ है. मैं आपके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इतना

(समय 3.33 बजे) **सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.**

ऐतिहासिक काम किया है. जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व भी हमारा अपना देश था. हमको समय गणना का ज्ञान था. हमको अपने साल की गणना का ज्ञान था. हम अपनी विशेषताओं पर गर्व

कर सकते हैं. ऐसे विक्रमादित्य को आज के इस काल में मध्यप्रदेश से आगे बढ़ाकर हमको लोकसभा तक इस बात को पहुंचाने की आवश्यक्ता है जिसके माध्यम से हम अपने शक संवत के बजाय विक्रम संवत को पुन:स्थापित करने का प्रयास करें.

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से संस्कृति,टूरिज्म के साथ-साथ विमानन विभाग के बारे मे थोड़ी बात कहना चाहूंगा. उससे पहले मैं टूरिज्म विभाग को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात की संभावना तलाशी कि हमारे यहां का इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इसमें आने-जाने में समय कम लगना चाहिये क्योंकि पर्यटक जब आता है तो उसके पास समय की सीमितता होती है और ऐसे में उन्होंने अपनी एयर कनेक्टिविटी प्रारंभ की है. अपनी स्वयं की एयर कनेक्टिविटी शुरू करने वाला एक मात्र मध्यप्रदेश का टूरिज्म कार्पोरेशन रहा है जिसने उज्जैन,रीवा,जबलपुर,ग्वालियर ऐसे दूरस्थ अंचल में एक-डेढ़ घंटे में यात्रा प्रारंभ की है.हमारे पास 27 विमान हवाईपट्टियां हैं जिसमें से 5 पर विमानतल है. अब इन विमानतलों को बढ़ाने की आवश्यक्ता है. नाईटलेंडिंग को भी बढ़ाने की आवश्यक्ता है. उज्जैन के बारे में मैं मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारी जो अपार जलराशि है मैं नर्मदा घाटी की बाकी योजनाओं की बात नहीं करता हूं लेकिन खासकर जो एक बड़ा विषय हुआ है. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना और यह योजना अकेली योजना नहीं है इसके माध्यम से पूरे मालवा को सरसब्ज करने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसको इस बजट में भी आगे बढ़ाने का काम किया है. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 1,2,26.37, 48 एवं 65 का समर्थन करता हूं. अभी टूरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें यहां पर रखी गई हैं वास्तव में पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में पिछले वर्षों के अंदर जितना काम हुआ है जिसके कारण से हमारे प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के रूप में लोग जानने लगे हैं. पर्यटकों की संख्या में जो लगातार वृद्धि हुई है वह इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में हमारे इस प्रदेश के अंदर बहुत पुरानी संपदा, हमारी धरोहर को ठीक तरह से संरक्षित करके प्रदेश की सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक पर्यटक आयें जिसके कारण हमारे आय के स्रोत भी बढ़ें और प्रदेश को भी अच्छे स्वरूप में जाना जा सके. मैं श्योपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं श्योपुर में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी भारी संभावनाएं हैं अभी कूनो-पालनपुर सेन्चुरी के रूप में

एक बहुत बड़ी सेन्चुरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में विख्यात होने वाली है उसको स्थापित करने के लिये सरकार ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है उस सेन्चुरी के प्रारंभ होने में बहुत कठिनाईयां आ रही हैं जिसके कारण से अभी उसको प्रारंभ नहीं किया जा सका है उसके कारण कई गांव विस्थापित कर दिये हैं और वहां पर बहुत अच्छा विकास भी किया गया है पर्यटन के लिये एक स्टेट टाईम का हमारा सेसहीपुरा में हमारा डाक बंगला था उस डाक बंगले को भी जिसमें एक रेल का डिब्बा रखा हुआ है उसका एक डायनिंग हॉल के रूप में उपयोग किया जाता है वहां की देखने योग्य स्थिति है उसको भी पर्यटन विभाग ने अपने अधीनस्थ ले लिया है और अब उसका विकास किया जा रहा है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कूनो-पालनपुर सेन्चुरी के लिये जो विकास की आवश्यकता है उसको जल्दी पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम तो होगा ही, लेकिन श्योपुर में भी रोजगार के अवसर बहुत ठीक तरीके से लोगों को प्राप्त हो सकेंगे. अभी जल टूरिज्म की बात आयी थी, जल टूरिज्म की दृष्टि से बहुत सारा काम सरकार कर रही है श्योपुर के अंदर भी पाली से लेकर रामेश्वर के घाट तक चंबल नदी के अंदर इको टूरिज्म के माध्यम से एक अच्छा पर्यटन स्थल स्थापित करने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया था माननीय लोक निर्माण मंत्री जी पहले वनमंत्री होते थे उन्होंने जाकर के उसका शुभारंभ किया था, लेकिन शुभारंभ होने के बाद वह आगे नहीं चल पाया है तो इस बारे में मेरा निवेदन है कि उसको आगे बढ़ाकर के उस कार्य को किया जाना चाहिये. सवाई माधोपुर श्योपुर से 56 किलोमीटर है वहां पर टाईगर सेन्चुरी होने के कारण से बहुत सारे देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं उनको श्योपुर नजदीक होने के कारण से यह जो परिस्थिति मैंने निवेदन की है इनको अगर आप विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से श्योपुर जिले का भी विकास होगा तथा वहां के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा. एक प्राचीन किला बहुत बड़ा किला है उसको हमारे कई पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उसको ठीक तरीके से देखा है उसमें कुछ राशि खर्च भी की गई है उसको अगर ठीक तरीके से विकसित कर दिया जायेगा तो आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होगा. सामान्य प्रशासन की दृष्टि मध्यप्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयत्न किया है अभी यहां पर उसका बहुत विस्तार से जिक्र भी हुआ है. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अंदर सबसे बड़ा कार्य यह करने का

प्रयास किया है कि जितने भी वहां के अधिकारी हैं उन अधिकारियों की सम्पत्ति को ऑन लाईन करने के निर्देश किया हैं, इसके साथ साथ जो वरिष्ठता सूची है वह भी ऑन लाईन की गई है जिसके कारण पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को पदोन्नति के ठीक अवसर प्राप्त हो सके. सामान्य जनता को ठीक तरीके से और समय पर कठिनाइयों का निवारण हो जाय उसके लिये जन सुनवाई का कार्य ठीक तरीके से चल रहा है.

वृहद कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन के अंदर नीचे के स्तर पर जो आवश्यक उपलब्धताओं की आवश्यकता रहती है, उनकी ठीक से मानीटरिंग और निगरानी करने के कारण से नीचे के स्तर पर भी ठीक आवश्यक उपलब्धता हो सके. अंत में एक बात मैं संस्कृति विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि वास्तव में संस्कृति विभाग ने बहुत सारे काम किये हैं. हमारे पुराने जितने भी बड़-बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत संघर्षशील थे जिन्होंने हमारे देश का नाम रौशन किया है, हम सब लोगों को ठीक तरीके से आजादी दिलाने का काम किया है, उन सबके लिये संस्कृति विभाग की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हैं और वास्तव में वह प्रशंसनीय हैं, उनके कारण से भावी पीढ़ी को ठीक तरीके से ज्ञानअर्जन होता है, धन्यवाद सभापति महोदया.

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय सभापति महोदया, अभी पर्यटन पर और संस्कृति विभाग पर चर्चा हो रही है, अन्य विषय भी इसमें हैं. मैं केवल एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे कि भोपाल ताल-तलैयों और झीलों की नगरी है, तो ताल तलैयों और झीलों की नगरी होने के कारण अगर हमें झीलों का सौंदर्यीकरण करना है, उनका संरक्षण करना है और उनकी सुरक्षा करना है और आने वाली भविष्य की पीढ़ी को अगर हमें दिखाना है, तो मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर टूरिज्म की कुछ ना कुछ गतिविधियां चलना चाहिये और टूरिज्म की गतिविधियों को यहां पर बढ़ावा देना चाहिये, उसी तरह मेरे क्षेत्र में बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर में एक बहुत बड़ी वन ट्री हिल है, लगभग 4.5 एकड़ की पहाड़ी है उस पहाड़ी पर भी टूरिज्म की गतिविधियों का संचालन किया जाये, इसलिये मेरा निवेदन है आसंदी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय पटवा जी से कि इन तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ वन ट्री हिल को भी उसमें विकास की गतिविधियों में जोड़ा जाये और वहां पर भी टूरिज्म की कोई ना कोई गतिविधि का संचालन किया जाये, धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत--माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत, किधर गये राज्यमंत्री जी ?

सभापति महोदया--जगह पर बैठे हैं.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--सभापति महोदया, एक यह संयोग है मैं अभी घर से टी.वी. देख रहा था, तो लोकसभा में इन्दौर की सांसद चेयर प पर बैठी हुई थीं , वह भी इन्दौर की बहू हैं और आप भी इन्दौर की बहू हैं, वह वहां लोकसभा में बैठी हुई हैं और आप यहां पर विधानसभा में बैठी हुई हैं.

सभापति महोदया--महिला सशक्तीकरण के लिये इन्दौर अपने आपमें इतना महान है मिसाल, महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से इन्दौर नगर एक मिसाल है, आपको उसके लिये बधाई.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--धन्यवाद सभापति जी.

श्री रामनिवास रावत--माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय राज्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग सं संख्या 1, 2, 26, 37, 48, 65 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मैं प्रस्तुत मांगों का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपके माध्यम से माननीय राज्यमंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं, मुझे शंका है. आपका जो सामान्य प्रशासन विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है, इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयोग बनाये जाते हैं, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत जांच आयोग बनाये जाते हैं और मैं समझता हूं मेरी स्मृति के अनुसार एक पेंशन घोटाला इन्दौर का है उसके लिये जांच आयोग गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट अभी तक पटल पर नहीं आई है और मैं समझता हूं कि जहां तक रिपोर्ट जिस जांच आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट अगर पटल पर नहीं आई, तब तक यह प्रशासनिक प्रतिवेदन में यथावत् रहेगा. ऐसा क्यों हुआ, क्यों हटाया गया, क्या कारण रहे मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं.

सभापति महोदया--यह प्रश्नकाल नहीं है. आप इसमें अपनी पूरी बात रखें. इस समय प्रश्न उत्तर का विषय यहां नहीं बनेगा. आप मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव में आपको जो कुछ कहना है, आप विस्तार से करें और सिलसिलेवार आप कहते जायें परंतु यहां प्रश्न ना करें यह प्रश्नकाल नहीं है.

श्री रामनिवास रावत--सभापति महोदया, बहुत ही गंभीर बात है.

सभापति महोदया--गंभीर बात है, इसलिये तो आप रख रहे हैं यहां इसको और आपने अपनी बात कह दी.

श्री रामनिवास रावत--ऐसा हुआ क्यों ? क्या समाप्त कर दिया ?

सभापति महोदया -- इस समय मंत्री जी आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं. यह प्रश्नोंत्तकाल नहीं है. हम अभी बजट की मांगों पर बात कर रहे हैं आप उसी के अंतर्गत अपनी बात करें और मैं इसके लिये आपको एलाऊ नहीं करुंगी.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, मैं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन पर बात कर रहा हूं. सामान्य प्रशासन विभाग ही जांच आयोग गठित करता है. जांच आयोग गठित होने के बाद संबंधित विभाग को वह रिपोर्ट करता है, फिर वह पटल पर आती है. तब कहीं कार्यवाही होने के बाद वह आयोग समाप्त किया जाता है.

सभापति महोदया -- ठीक है, आपकी बात हो गयी, अब आप बात आगे न बढ़ायें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है. आप अपनी बात करें.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, हम जानना चाहेंगे कि क्या भ्रष्टाचार को ये इसी तरीके से समाप्त करेंगे. क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे.

सभापति महोदया -- इस तरह की बात करने के लिये हमारे नियम प्रक्रियाओं में कई अवसर हैं. उस समय उनका लाभ लें. उनका आप उचित उपयोग करें.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, मैं नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत ही बात कर रहा हूं.

सभापति महोदया -- अभी आप कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं, उस पर आप चर्चा करें. अगर आपकी बात पूर्ण हो गयी है, तो मैं अगले माननीय सदस्य को बात करने के लिये अवसर दे देती हूं.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, प्रशासकीय प्रतिवेदन मेरे पास अभी आया है. यह गंभीर बात है कि प्रशासकीय प्रतिवेदनों में इस तरह की बातों को हटा लेना, इस तरह के उल्लेखों को हटा लेना, इस तरह के उल्लेख को समाप्त कर देना, यह भी तो गंभीर बात है.

सभापति महोदया -- आपने गंभीर बात कह तो दी और क्या किया जा सकता है. माननीय सदस्य, क्या आपकी बात समाप्त हो गयी है, आपकी बात पूर्ण हो गयी है?

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, इसमें यह रहना चाहिये ना . रहना चाहिये कि क्या कार्यवाही की गयी, क्या कार्यवाही नहीं की गयी. क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार को दबायेंगे. सभापति महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिये.

सभापति महोदया -- मैं आपसे कह रही हूं कि आप अपनी बात निर्बाद्ध तौर पर कहते जायें. आपकी बात पूरी हो गयी है क्या? आपको आगे कुछ कहना है तो कुछ समय और ले लीजिये.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, अब मैं क्या कहूं. आगे कहने की तो काफी इच्छा है और कहना भी चाहता हूं. जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, व्यापम की बात आई, लोक सेवा आयोग की बात आई और यह उदहरण इसी में देखने से मिलता है कि किस तरह से जांच आयोगों को गठित करके और किस तरह से भ्रष्टाचार को दबाने का, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है., यह इससे स्पष्ट हो जाता है. काफी खेद है कि जो गरीबों की पेंशन, बीपीएल के लोगों की पेंशन के लिये पेंशन आयोग गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट आये बिना, कार्यवाही किये बिना उसको इस प्रशासनिक प्रतिवेदन से हटा दिया गया है.

सभापति महोदया, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत पूरे प्रदेश के समस्त विभाग नियंत्रित होते हैं. पूरे प्रदेश के समस्त विभागों के चलाने के लिये नीति निर्धारण का काम, दिशा निर्देशों का काम सामान्य प्रशासन विभाग करता है. मुख्यमंत्री जी तो हैं नहीं. मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, इसलिये मैंने यह विषय उठाया. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और ट्रांसपरेंसी ऑफ इन्टरनेशनल, जो भ्रष्टाचार का सर्वे करती है, उसके अनुसार मध्यप्रदेश पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. इसी के साथ साथ वार्षिक प्रतिवेदन में स्वेच्छा अनुदान, हमें कोई आपत्ति नहीं है. आपने सीमा दे रखी है दो करोड़ और आपने एक वर्ष में दिया है 61 करोड़. क्या है कि इसको देख लिया करें. इसको 61 करोड़ कर दें, 70 करोड़ कर दें. आप अंतिम सीमा दो करोड़ बता रहे हैं और राशि आवंटित कर रहे हैं 61 करोड़. इसी तरह से सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में भी मृत लोगों को और घायलों को सहायता दिये जाने का काम किया जाता है. लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि जितने भी लोग सड़क दुर्घटना में घायल या मृत होते हैं, वे सहायता नहीं ले पाते हैं. एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये जिससे किसी न किसी तरीके से यह व्यवस्था सुनिश्चत हो कि जिस व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में रिपोर्ट थाने में हो जाती है, वहां से वह सीधे एसडीएम के पास जाय, एसडीएम सीधे कलेक्टर को रिपोर्ट करे और उनके परिवार को सहायता मुहैया कराई जाय या घायलों को इलाज के लिये सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था करें. सामान्य प्रशासन विभाग यह भी देखता है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश में दौरा करते हैं. प्रदेश में घोषणाएं करते हैं. उन घोषणाओं की बात भी और उनकी पूर्ति की बात

भी हमेशा इसमें आनी चाहिये. मैं समझता हूं कि प्रदेश का प्रशासन कैसे चल रहा है, यह इसी से सिद्ध होता है. सत्ता पक्ष के ही कई सदस्य ऐसे हैं, जिनके क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों हमारे श्योपुर में गये. श्योपुर के ही हमारे सदस्य, जिन्होंने अपना भाषण दिया था, वे चले गये. उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जी आपने घोषणाएं की थीं, वह पूरी नहीं हुईं. मेरे यहां भी वे घोषणायें करके आये. मैंने प्रश्न लगाया. प्रश्न में जवाब आता है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की.

यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है. सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान रखने के लिये व्यवस्था दी हुई है कि सदन का सदस्य जो पत्र भेजे उसका जबाव आये उस पर कार्यवाही हो, लेकिन यह बात कई बार आ चुकी है और विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है.

श्री के के श्रीवास्तव -- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की और बाद में पता लगा कि नहीं की तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार जो कहती है वह करती है, माननीय रावत जी वरिष्ठ सदस्य हैं , वे कृपा करके ऐसे आरोप न लगायें.

सभापति महोदय- मेरी सदस्यों को सलाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के पश्चात कलेक्टर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शासन तक पहुंचाते हैं उस समय हमें एक बार चिंता कर लेना चाहिये कि मुख्यमंत्री का बोला हुआ जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेज दिया जाये. कई बार उसमें भी भूल चूक हो जाती है.

श्री रामनिवास रावत--यही तो सामान्य प्रशासन विभाग है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सदस्य के के श्रीवास्तव जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते वह करते हैं, मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज तक काम नहीं हुआ है.

सभापति महोदय-- रावत जी को अपनी बात पूरी करने दें.

श्री रामनिवास रावत-- माननीत सभापति महोदय, लोकायुक्त भी इसी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रशासित होता है. लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों की संख्या के बारे में कहना चाहूंगा कि जितने भी

प्रकरण लोकायुक्त द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर अन्य कर्मचारियों पर जितने भी प्रकरण चालान प्रस्तुत करने के लिये स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं , आज तक उन पर कार्यवाही नहीं की गई है उन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, 2014 में 125 या 159 प्रकरण ऐसे हैं . मेरे प्रश्न के जबाब में है, विभाग द्वारा अभी तक चालान प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है. पर्यटन और संस्कृति की बात आई. मेरे श्योपुर के साथी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वहां पर सेन्चुरी बनाने के लिये वहां पर White Lion लाने का प्रस्ताव है तो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाये जाने का काम किया जाना चाहिये. पर्यटन और संस्कृति के बारे में कभी बातें सदन में कही गई हैं. लेकिन अगर बजट प्रावधान और व्यय की स्थिति को देखें तो स्थिति पता चलेगी. पर्यटन विभाग में 2013-14 में बजट का प्रावधान किया गया था रूपये 21,514.65 लाख का और व्यय किया गया है रूपये 13,80.36 लाख, रूपये 7,434.29 लाख व्यय ही नहीं किया गया है, यह कितना प्रतिशत आता है . कितनी चिंता यह सरकार पर्यटन की करती है इसी बात से सिद्ध हो जाता है. इसी तरह से संस्कृति में तो व्यय और भी कम किया गया है संस्कृति में वर्ष 2013-14 में बजट प्रावधान था रूपये 5,305.73 लाख और व्यय कितना किया रूपये 565.86 लाख.

माननीय सभापति महोदय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बारे में कहना चाहूंगा . नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है . सभी को चिंता होना चाहिये कि नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 1969 में , गठन के 10 साल के पश्चात बंटवारे की स्थिति बनी. मध्य प्रदेश को 18.25 MAF जल का उपयोग करना था गुजरात को 9 MAF , महाराष्ट्र को दशमलव.25 MAF राजस्थान को दशमलव.5 MAF. गुजरात तो अपना पूरा उपयोग कर चुका है , लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मध्यप्रदेश में अभी तक उसका उपयोग नहीं कर पाये. अब पिछली सरकार पर आप जायेंगे, आज तक नर्मदा नदी पर जितने भी बांधों को पूर्ण किया गया है. सभापति महोदय आपने भी अपने भाषण मे कहा है वह सब बांध पिछले कांग्रेस के शासनकाल में प्रारंभ किये गये थे, आपने उनको पूर्ण किया, तेज गति लाई इसके लिये हमें कोई दिक्कत नहीं है.

सभापति महोदय-- प्रशंसा होनी चाहिये, दिक्कत नहीं होने से बात नहीं बनेगी.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय सभापति महोदय, 18.25 MAF जल का उपयोग करने के लिये इन पिछले 10 वर्षों में कितनी नई योजनायें नर्मदा पर प्रारंभ की गई , इसकी चिंता सरकार के द्वारा नहीं की गई है. और वर्ष 2024 तक इसका उपयोग किया जाना है. 2014 तक अगर उपयोग नहीं कर पाये तो हमारे जल का हिस्सा चला जायेगा. अभी तक हम 8 या 9 MAF जल का उपयोग कर पा रहे हैं, यह विभाग को चिंता होना चाहिये मात्र 10 सार हमारे पास इसके जल के उपयोग के लिये बचे हैं.

सभापति महोदय-- रावत जी मुझे लगता है कि आपका समय हो गया है. 1 मिनिट में आप बात को समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत--सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको मैं धन्यवाद देता हूं.

समय - 3.54

(उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुये)

श्री रामनिवास रावत-- माननीय उपाध्यक्ष जी से अंतिम निवेदन करना चाहूंगा . मैंने एक प्रश्न उठाया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन में पेंशन घोटाला जांच आयोग का उल्लेख समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में मंत्री जी जरूर कुछ कहेंगे, व्यवस्था देने के लिये निवेदन करना चाहता हूं.

श्री राजेश यादव-- उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा. मैंने और श्री दिलीप सिंह जी परिहार ने पर्यटन और संस्कृति की मांग पर बोलने के लिए नाम दिया था लेकिन नाम नहीं आया. आपसे अनुरोध है कि दो मिनट बोलने का अवसर दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपका नाम यहां पर नहीं आया है.

श्री राजेश यादव-- इसीलिए आपका संरक्षण चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप दूसरी मांगों पर चर्चा कर लीजिएगा.

श्री राजेश यादव-- हमारे क्षेत्र का विषय यही है.

उपाध्यक्ष महोदय-- ठीक है देखेंगे. बैठिये.

श्री देवेन्द्र वर्मा(खंडवा)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी विकास के संबंध में कहना चाहता हूं. आदि शंकराचार्यजी की इन पंक्तियों के साथ हमारा एनव्हीडीए विभाग शुरु होता है. मां नर्मदा की स्तुति करते हुए अपनी बात शुरु करता हूं. "**संविंद सिंधु सुत कलत, भंग रंग रंजितम्. दुरस्तु पाप चात कारिवारि संयुत्तम, वृतांत दूत काल भूत भिति हारी वर्मदे. त्वदीय पात पंकजम्, नमामि देवी नर्मदे."(मेजों की थपथपाहट)**उपाध्यक्ष महोदय, इन पंक्तियों में आदि शंकराचार्य ने मां नर्मदा की स्तुति की है और बताया है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र सभी भय दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है.

उपाध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा वर्षों पूर्व निर्णय लिया गया था कि हम मां नर्मदा पर क्रमशः डेम बनायेंगे. बिजली का उत्पादन करेंगे और मध्यप्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में आगे लेकर जायेंगे. जब इस प्रकार का निर्णय लिया गया और कार्रवाई जब आगे बढ़ी. ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र का सबसे अधिक नुकसान हुआ था तो वह हमारे खंडवा जिले का हुआ था जिसका हरसूद शहर जो 50 हजार की आबादी का था वह डूबा था और इसके साथ ही इतनी संख्या के लगभग 250 गांव भी डूबे थे. उस समय खंडवा जिले के लोगों को लगा था कि कहीं न कहीं हमारे निमाड़ के साथ अन्याय हुआ है और निमाड़ का विनाश हुआ है. लेकिन धीरे-धीरे समय बदला जैसे मेरे पूर्व सदस्य श्री रामनिवास रावत जी बता रहे थे कि हमारे शासन के समय योजना शुरु हुई थी. यह बात सही है कि इंदिरा सागर बांध की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी. उपाध्यक्षजी, डेम बनने की शुरुआत हुई. नहर बनने का काम शुरु हुआ और इस प्रकार शुरु हुआ कि एक ठेकेदार उसके नीचे एक पेटी ठेकेदार, फिर दूसरा, तीसरा इस प्रकार से एक चेनल बन गई थी और पूरा कार्य भ्रष्टाचार की

भेंट चढ़ गया था. ऐसा लगता नहीं था कि यह बांध कभी पूर्ण होगा या नहरें पूर्ण होंगी. लेकिन समय बदला, सरकार बदली और हमारी सरकार ने उसको रिकार्ड समय में पूरा करने का काम किया. हमारे यशस्वी मुख्यमंत्रीजी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद औंकारेश्वर डेम का भूमिपूजन भी हमारे शासन काल में हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ था. उस समय हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कि इसको भी हम रिकार्ड समय में पूरा करेंगे और उसको रिकार्ड समय में पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा सागर परियोजना से लगभग 1 हजार मेगावॉट बिजली, औंकारेश्वर परियोजना से 520 मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं. खंडवा विद्युत हब बनने की ओर अग्रसर है.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खंडवा जिले की एक मांग थी कि हमारी पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत होना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा उसको व्यावहारिक घोषित नहीं किया गया था और उसकी स्वीकृति देने से मना कर दिया गया था लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उस सिंचाई योजना को स्वीकृति देकर सार्थक कर दिया जिससे लगभग 35 हजार हेक्टर भूमि पुनासा उद्वहन सिंचाई से सिंचित हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, एक और मांग थी कि बीआरटीआर 3 और बीआर 4 बने जिससे 15 हजार हेक्टर जमीन और सिंचित होगी. मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो सबसे पहला निर्णय लिया वह बीआर 4 की स्वीकृति देकर की जिससे मेरे खंडवा ग्रामीण के लगभग 25-30 से गांव की 15 हजार हेक्टर भूमि सिंचित होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हमारी छैगांव माखन उद्वहन सिंचाई योजना लंबे समय से लंबित है. आने वाले समय में अगर यह स्वीकृत होती है तो हमारा निमाड़ पूरी तरह सिंचित क्षेत्र

आ जायेगा. सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हमारी भावी परियोजनाएं जैसे क्षिप्रा लिंक का कार्य माननीय मुख्यमंत्रीजी ने रिकार्ड समय में किया है. इसी प्रकार से भविष्य में अगर छैगाव माखन की परियोजना स्वीकृत होती है तो खंडवा को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी.

इसी प्रकार से आने वाले समय में छैगांव माखन की परियोजना स्वीकृत होती है तो हमारे खण्डवा को एक बड़ी सौगात मिलेगी. मैं यहां पर संस्कृति के क्षेत्र में भी कहना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृति के क्षेत्र में अनेक काम किये हैं, अनेक निर्णय लिये हैं. हमारे कई महापुरूषों के नाम पर पुरूस्कारों की घोषणा की है हमारे आदिवासी क्षेत्र में टंटया भील एक आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं उनके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की है. खंडवा के बारे में अगर हम कहें कि यह बाबा धूनी वाले की पुण्य भूमि और किशोर कुमार जी की जन्म भूमि है. इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी खंडवा में संगीत महाविद्यालय होना चाहिए, हमारे खंडवा को संगीत महाविद्यालय देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है.

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खंडवा के संगीत महाविद्यालय के लिए भवन की स्वीकृति देते तो निश्चित रूप से हमारा खंडवा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा. इसी प्रकार से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हम संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इंदिरा सागर में 250 गांव डूबे हैं , उसमें हमारा हरसूद जैसा बड़ा शहर डूबा है उसके बाद वहां पर बैक वाटर में बड़े बड़े टापू उभरकर आये हैं. उनको अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करते हैं जिस प्रकार से हनुमंत्या टापू है हम यहां पर लंबे समय से सुन रहे हैं कि उनको विकसित किया जायेगा. मेरा आपके माध्यम से कहना है आपने मुझे समय दिया धन्यवाद्.

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महदोय, मैं मांग संख्या 1,2,27, 37,48, और 65 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात कहना चाहता हूं.

मेरा कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी बात यहां पर हो चुकी है. मैं केवल एक बात कहकर सीधे नर्मदा घाटी के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा. हमारी उज्जैनी नगरी से गांव डोंगला बहुत बड़ा पर्यटन

का क्षेत्र बनने जा रहा है. डोंगला को पर्यटन से जोड़ा जाय क्योंकि वह केवल हिन्दुस्तान का नहीं वह विश्वकाल गणना का सेंटर बन रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी विकास विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है. मां नर्मदा मध्यप्रदेश की हृदय की नदी हैं. यह कुल 1312 किलो मीटर में बहती है उसमें से 1077 किलोमीटर मध्यप्रदेश में बहती है. नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के विषय में यहां पर बात कहना चाहता हूं. पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो तेज सिंह सेंधव जी इस सदन के विधायक थे उन्होंने इस योजना की बात यहां पर उठाई थी. तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि यह योजना कभी संभव नहीं हो सकती है यह असंभव है. वह योजना उस समय ठण्डे बस्ते में डाल दी गई थी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे मालवा में कहावत है कि मालव माटी गहन गंभीर , डग डग रोटी पग पग नीर. पहले बहुत ऊपर पानी था लेकिन 2003 में सूखा पड़ने के बाद में, अभी यहां पर नीमच मंदसौर और कई क्षेत्र के विधायक यहां पर हैं अब वहां पर 400 से लेकर 700 फीट तक गहरा चला गया है. मेरा कहना है कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से हमारी मां क्षिप्रा प्रवाह मान हो गई हैं. मालवा में जो सूखा पड़ा था जो कि रेगिस्तान बनने की कगार पर मालवा जाने वाला था अब वहां पर हरियाली आयेगी. इसके बाद में नर्मदा और गंभीर योजना बन रही है. इसके बाद में नर्मदा काली सिंध और पार्वती को भी जोड़ा जा रहा है इन सब योजनाओं के बनने के बाद में मालवा को सीधे सीधे सिंचाई की दृष्टि में लाभ होने वाला है.

उपाध्यक्ष महोदय – आप अपना आखिरी सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान - उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी विकास विभाग से 4 लाख 77 हजार हैक्टेयर पर सिंचाई होती है, यही नहीं हाईडल प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रीसिटी बनती है उससे 34129 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जाता है. सिंचाई के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में इस विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है. मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटन विभाग के मंत्री जी और नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रामप्यारे कुलस्ते (निवास) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1,2,26,37,48 एवं 65 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि स्वशासन हमारी मध्यप्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता रही है. इसका एक अच्छा उदाहरण मैं समझता हूं कि जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ करते हुए लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया. लोक कल्याण शिविरों में एक ही पंडाल के नीचे बहुत सारे लोगों की विभिन्न विभागों की समस्याओं का निवारण करने का काम किया गया. जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को किये जाते हैं, स्वशासन के संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही हैं. मैं समझता हूं कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार मध्यप्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है. स्वशासन के साथ-साथ नर्मदा घाटी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक किसान पुत्र हैं. मां नर्मदा को मध्यप्रदेश की जीवन-दायिनी के रूप में माना जाता रहा है. परन्तु इसमें जितनी असीम संभावनाएं हैं, इस पर ज्यादा कुछ काम किया नहीं गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा मालवा अंचल को धन-धान्य से और रेगिस्तान होती जमीन को उर्वर बनाने का काम नर्मदा, क्षिप्रा परियोजना के माध्यम से किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंडला जिले का रहने वाला हूं. निवास विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, जिसका एक छोर छोड़ दें तो लगभग चारों तरफ से नर्मदा नदी परिक्रमा करती है. बरगी बांध निवास विधानसभा में है. परन्तु 194 गांव वहां प्रभावित हैं. मैं समझता हूं कि जमखार करके एक स्थान है, नर्मदा नदी का पानी वहां से उद्वहन करके लोगों को धन-धान्य से संपन्न किया जा सकता है. नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से नर्मदा बुढ़नेर जो लिंक परियोजना है और एक जेघराघाट करके स्थान है, वहां से अगर दोनों लिंक परियोजना जोड़ी जाती हैं तो हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी. वहां के किसानों में खुशहाली आएगी. पर्यटन से संबंधित एक बात और कहना चाहता हूं कि आदिवासी संस्कृति, दुनिया की संस्कृतियों में सबसे एक और सबसे पुरानी है. मंडला जिले में आज भी आदिवासी संस्कृति, आदिवासी गौंड राजाओं के धरोहर के रूप में वहां इमारतों से लेकर चौगान में चाहे हमारे रामनगर का किला हो.

रानी महल हो, इन स्थानों को देश- दुनिया के लोग अभी भी देखने आते हैं और वहां आदिवासी बैगा जनजाति के लोग हैं. लोग वहां की संस्कृति को जानने और समझने का काम करते हैं. मध्यप्रदेश की सरकार टूरिस्ट सर्किट का विस्तार करते हुए पर्यटन को काफी बढ़ावा देना चाहती है. टूरिस्ट सर्किट में इसे जोड़ने के लिए इसी वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधान करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै कटौती प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस बजट प्रस्ताव में, दलितों के लिए जयन्ती मनाने के लिए सतना जिले में कोई ऐसा स्थान बनाने का प्रावधान नहीं है जहां वे अपनी पूजा अर्चना कर सके. मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सतना जिले में बरातला गांव में एक संत शिरोमणी जी का आश्रम बनवाया जाय,उनकी स्थली बनवाई जाय ताकि दलितों को पूजा अर्चना करने के लिए उनको सम्मान देने का मौका मिले.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं यहां पर करीब करीब 40 से अधिक नये सदस्य चुन कर आए हुए हैं . भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, इसके लिए मैं बधाई देती हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, विधायक निधि इतनी कम होने के कारण कोई काम नहीं हो पाता. वर्ष 1993 से 20 लाख रूपये विधायक निधि मिला करती थी. मंत्री महोदय जी तो शासन प्रशासन से अपना काम करा लेते हैं लेकिन जो नये विधायक आये हुए हैं उनको तो केवल निधि हाथ लगती है. अब 77 लाख रूपये में विधायक अपने क्षेत्र का कितना विकास करा सकते हैं ? इसलिए मेरा निवेदन है कि विधायक निधि को बढ़ा कर 2 करोड़ किया जाय और 20 लाख रूपये स्वेच्छानुदान दिया जाय. ताकि विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सके. रैगांव विधान सभा में 25 सालों से आज तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है , मेरा निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव को माना जाय ताकि क्षेत्र की जनता कुछ खुशहाल हो सके. उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के माने से रैगांव विधान सभा क्षेत्र बिलकुल सूना है और मैं चाहती हूं कि सतना जिले में रौड़ ग्राम के पास एक देवगढ़ी स्थल है उसको पर्यटक स्थल बना दिया जाय और पटपर नाथ मैं भी पर्यटक स्थल अगर बना दिया जाय तो वहां के लोग काफी खुशहाल होंगे. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना

चाहती हूं कि सतना जिले में संस्कृत के लिए प्रस्ताव लाया गया है , सतना जिले में दलित वर्गों में काफी प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, मैं चाहती हूं कि सतना जिले में एक संगीत विद्यालय खोला जाय ताकि गरीब बच्चों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक मौका मिल सके. उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिनेश राय (सिवनी)- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव की मैं निन्दा करता हूं. सिवनी विधान सभा का विधायक होने के नाते मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ प्रावधानों को रखना चाहता हूं और इसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. हमारा माझागौरा बांध पेंच परिवर्तन परियोजना का जो काम चल रहा है ,पूर्व में जो वहां का सर्वे हुआ था उसको छोड़ कर वर्तमान के सर्वे के अनुसार वहां पर कैनाल का काम किया जा रहा है. जिसमें हमारे क्षेत्र के 150 गांव छोड़ दिये गये हैं. अतः निवेदन है कि इस बजट में इस कैनाल को जोड़ा जाय जिससे बाकी गांवों में भी सिंचाई का कार्य पूर्ण हो सके. मैं एक बात कहना चाहता हूं ,हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी जब भी हमारे जिले में गये हैं..

हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली है कि सिवनी बहुत पिछड़ा है, इसको मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाना है.

श्री कमलेश्वर पटेल—यह तो मुख्यमंत्री जी का तकिया कलाम रहा है, यह हर जगह उन्होंने बोला है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—उनको अपनी बात कहने दें.

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्यमंत्री जी ने हर जगह बोला है. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—पूरे मध्यप्रदेश में उन्होंने यही बोला है. (व्यवधान)

श्री के.के.श्रीवास्तव--(xxx)..

उपाध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही में नहीं आएगा. यह अशोभनीय है. ऐसा नहीं कहना चाहिए.

श्री के.के.श्रीवास्तव—(xxx)

---

xxx (आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.)

उपाध्यक्ष महोदय—यह रिकार्ड में नहीं आएगा. यह इनकी पूरी बात निकाल दें. सदन की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखें.

श्री के.के.श्रीवास्तव—उनको भी यह कहना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं सभी के लिए, प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए कह रहा हूं.

श्री जितू पटवारी—आप हमारे ही परिवार के हो..

उपाध्यक्ष महोदय—जीतू पटवारी जी आप आसंदी के माध्यम से बात करें. इधर देखकर बात करें, उधर न देखें.

श्री जितू पटवारी—(xxx)

उपाध्यक्ष महोदय—यह बात उचित नहीं है.

श्री जितू पटवारी—(xxx)

उपाध्यक्ष महोदय—यह भी कार्यवाही से निकाल दें.

---

xxx (आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.)

श्री जितू पटवारी—भगवान इन्हें स्वस्थ रखे, आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि सदन की गरिमा का ध्यान रखो. हम सब एक ही परिवार के सदस्य है. (xxx)

उपाध्यक्ष महोदय—नहीं आएगा. आप सुन लें. मैं खड़ा हूं. आप सब बैठ जाएं.

श्री सोहनलाल वाल्मीक—आपका संरक्षण चाहिए, इन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है.

श्री मुकेश नायक—उपाध्यक्ष महोदय, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए यह तो खुद दया के पात्र हैं (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—मुझे तो पता नहीं कि मैंने कुछ बोला है. आप रिकार्ड देख लें. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है.

उपाध्यक्ष महोदय—रिकार्ड मैं देखूंगा, अगर कोई ऐसी अमर्यादित बात है, वह सब निकाल दी जाएगी, इस तरह की बात करने का यह मंच नहीं है यहां मर्यादित बात करें.

श्री सोहनलाल वाल्मीक—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात को सदन की कार्यवाही से निकालने से काम नहीं चलेगा, यह इस तरह की बात बोलना, सदस्य का अपमान है. यह गलत है. (xxx)

अध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही में नहीं आएगा. आप बैठ जाएं. मैं खड़ा हूं, इसका ध्यान रखना चाहिए.

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, उनको खेद व्यक्त करना चाहिए?

श्री मुकेश नायक—उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का व्यवहार क्या उचित है?

उपाध्यक्ष महोदय—सदन के तीनों वरिष्ठतम सदस्य खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाएं. वह कार्यवाही में है नहीं, निकाल दिया गया है.

श्री रामनिवास रावत—कार्यवाही में नहीं है, पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

---

xxx (आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.)

डॉ.गोविन्द सिंह—यह सदन में क्या पहलवानी करने आए हैं?

श्री सोहनलाल वाल्मीक—उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में कोई गाली बक दे और कार्यवाही से निकाल दो तो यह बात जमेगी? यह सदन से माफी मांगे. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—यह गलत है. नहीं कहना चाहिए. कार्यवाही को आगे बढ़ने दें.

(व्यवधान)

श्री मुकेश नायक—यह सदन से माफी मांगे.

उपाध्यक्ष महोदय—सभी बैठें. कैलाश जी खड़े हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह—आप से माफी नहीं मंगवाना है.

उपाध्यक्ष महोदय—कैलाश जी को सुन लें. विजयवर्गीय जी कुछ कह रहे हैं. बैठ जाएं.

डॉ.गोविन्द सिंह—आप नहीं, उनसे माफी मंगवाईये.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब बैठ जाईये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—उपाध्यक्ष महोदय, काफी नये सदस्य आये हैं और निश्चित रुप से उत्तेजना में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं. माननीय सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. अगर लोगों की, आपकी, सब की भावनाओं को ठेस लगी है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है.

श्री सोहनलाल वाल्मीक—उपाध्यक्ष महोदय, आपके खेद व्यक्त करने से काम नहीं बनेगा.

श्री राजेश यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, जब वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इसके लिए खेद व्यक्त कर दिया है तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए.

श्री सोहनलाल वाल्मीक—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य कांग्रेस की तरफ से भी हैं मगर इनका अभिमान और घमंड बोल रहा है कि यह तीसरी बार जीतने के बाद इस तरीके की बात कर रहे हैं. यहां हम लोग भी नये सदस्य हैं. हम लोग क्या गाली बक के या हाथ तोड़ने वाली बात क्या हम लोग नहीं कर सकते. मगर यह सदन का अपमान है.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी ने खेद प्रकट कर लिया है, इसको यही समाप्त करिये. अब हम लोग आगे बढ़े. उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति आगे न बने. न हमारी इच्छा थी कि मंत्री जी खेद प्रकट करें. मंत्री जी थोड़ा सा उन्हें समझाएं और थोड़ा सा परम्पराओं को पहुंचाएं.

उपाध्यक्ष महोदय—रावत जी, शायद प्रबोधन कार्यक्रम में कुछ मामला छूट गया है, ऐसा लगता है . राय साहब, अब आप अपनी बात समाप्त करिये.

श्री दिनेश राय-- उपाध्यक्ष महोदय, मैने बोला ही कहाँ है,मैंने तो केवल सिवनी जिले को मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने की बात बोली थी.

उपाध्यक्ष महोदय—आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया ज्यादा हो गई. अब आप समाप्त करें.

श्री दिनेश राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अभी तत्काल में हमारे किसानों ने जो बोनी की है, वह फसल भी हमारे किसानों की सूख चुकी है तो मैं चाहूंगा कि ऐसा प्रावधान रखा जाए कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि का भी मुआवजा मिले और तत्काल में भी जो आने वाली आपदा है उससे भी किसानों को राहत मिल सके, मैं ऐसा प्रावधान चाहता हूँ.आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लखनादौन में एक एडीएम बैठाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक साल पहले बोला था लेकिन आज तक एडीएम नहीं बैठ पाये हैं. इसी प्रकार छपारा को नगर परिषद घोषित करने की बात थी. प्रस्ताव दे चुके हैं .मैंने अपने खुद विधानसभा के कुछ गांव मिलाये हैं उसके बाद भी अभी तक पटल पर नहीं आये हैं तो मैं निवेदन करुंगा कि Gvka जोड़ा जाए और माच्छागौरा बांध एक पेंच परियोजना वर्तमान में छिंदवाड़ा से हमारे जिले में आ चुकी है. पुराना जो हमारा मैप था उसको काट कर नये मैप में ले लिया है .मेरा निवेदन है कि उस मैप को पूरा करें जिससे सभी गांवों को जोड़ने के लिए मैं निवेदन करता हूँ . मटघोघरा एक पर्यटन स्थल है जिसको पर्यटन विभाग जोड़े. मेडीकल कालेज की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी. निवेदन है कि उसको बजट में लाया जाए,ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ..

उपाध्यक्ष महोदय—धन्यवाद. समय समाप्त हो गया.

श्री दिनेश राय—दो मिनट के अन्दर ही बोलूंगा,उसके बाह नहीं बोलूंगा.आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर में हमारा कृषि महाविद्यालय है. हमारे सिवनी में कृषि शाखा है वहां पर अगर एक महाविद्यालय खोलें, सिर्फ उन्नयन ही करना है , अगर यह प्रावधान में जोड़ लिया जाए. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री कुंवर सिंह टेकाम(धौहनी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि विंध्य क्षेत्र में सिंगरौली जिला है वहां पर बहुत औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं वहां पर एयरपोर्ट बहुत दिनों से प्रस्तावित है उसको शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार कदम उठाये तो बहुत अच्छा होगा. दूसरा हमारे यहां संजय व्य टाइगर प्रोजेक्ट है और नेशनल पार्क है वहां पर अभी बाघों का आना जाना हो रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय—पन्ना से भी एक बाघ आपके यहां पहुंच गया है.

श्री कुंवर सिंह टेकाम—जी हां. उसको पर्यटन के रुप में बढ़ावा देने के लिए कदम उठायें. तीसरा एक सुझाव था कि यह सड़क दुर्घटना में जो मृतकों को 10 हजार और घायलों को 5 हजार रुपये दिये जाने के प्रावधान है, रावत जी भी यही बात बोल रहे थे कि यह राशि समय पर नहीं मिलती है मैं इस बात से सहमत होते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो राशि है वह बहुत कम है. सड़क दुर्घटना में कोई गरीब मर जाता है 10 हजार रुपया मिलता है यह राशि यदि बढ़ जाती तो बहुत कृपा होती. मेरा एक और सुझाव है कि एसटी/एससी के जो पद हैं, उनके पदों की पूर्ति यथाशीघ्र करवाने की कार्यवाही करें तो बड़ी कृपा होगी.

श्री जालमसिंह पटेल(नरसिंहपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बारे कहना चाहता हूं . माँ नर्मदा जी अमरकंटक से प्रवाहित हैं और खंभात की खाड़ी में जाकर मिली है. 1312 किलोमीटर में वह यहाँ प्रवाहित हैं. इसमें से 1117 किलोमीटर मध्यप्रदेश में और 39 किलोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात में 106 किलोमीटर में प्रवाहित हैं और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनकी सहेली और सहयोगी 41 नदियाँ हैं, जिसमें से 39 मध्यप्रदेश में हैं और नरसिंहपुर जिले की लगभग 10 नदियाँ हैं जो आज वर्तमान में सूख गई हैं, जो उनकी सहयोगी नदियाँ हैं उसके कारण भी जलसंकट आगे बढ़ सकता है. मैं कहना चाहता हूं कि अमरकंटक के बाद सबसे बड़ा बांध बरगी बांध है. वर्ष 1984-85 में इसका निर्माण हुआ और इसका पानी नरसिंहपुर , जबलपुर जिले के साथ साथ सतना और रीवा जिले तक जाना है.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप बांई नहर में हैं, इधर दाहिनी आएगी.

श्री जालम सिंह पटेल--- मैं अपनी ओर से एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो बरगी बांध है उसमें भयंकर सिल्ट इकट्ठी हो गई है इसलिए उसमें जलराशि घट गई है और वहाँ 90 मेगावाट बिजली बनती है. चूंकि लगभग उसमें 80 किलोमीटर पानी भरा हुआ है इसके बाद भी अगर उसको पुनः तोड़कर या उसका जीर्णोद्धार कर दें तो उसमें बिजली भी अधिक बनेगी और सिल्ट निकल जाएगी तो उससे मैं ऐसा मानता हूं कि पानी कम नहीं होगा. अन्यथा इसके बाद लड़ाई शुरु होने वाली है कि हमको जल पहले मिले, उसको बाद में मिले. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नरसिंहपुर जिले में चिनकी बाँध बहुउद्देश्यीय बाँध है उसके लिए जो अभी सर्वे हुआ है, उसमें 121 गाँव प्रभावित हो रहे हैं और नरसिंहपुर ,जबलपुर के गांव डूब रहे हैं. नरसिंहपुर जिले की जमीन एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन है. अगर वह बाँध बनता है तो वह डूब क्षेत्र में आ जाएगी . उस बाँध से 15 मेगावाट बिजली बननी है. मेरा एक और सुझाव है कि जो आपकी दांई तट नहर है और जो चिनकी बहुउद्देश्यीय बाँध बनना है, उसका पानी नरसिंहपुर जिले के कुछ गांवों में जाएगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आपने सात-आठ सुझाव दे दिये हैं.

श्री जालम सिंह पटेल--- हमारी तो विधानसभा ही डूब में आ रही है. हमारे 121 गांव डूब में प्रभावित होने वाले हैं, कुछ गांव पाटन विधानसभा क्षेत्र के भी डूब से प्रभावित होने वाले हैं, गोटेगांव विधानसभा के भी कुछ गांव उसमें प्रभावित होने हैं. मेरा अनुरोध है कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन डूबने वाली है,उस बांध से कुछ ज्यादा लाभ नहीं होना है. उस बाँध से रायसेन जिले के 98 गांवों की सिंचाई होनी है . अगर बरगी बांध की दांई तट से पानी आ सकता है और बिजली की जो मैं बात कर रहा हूं , उससे 15 मेगावाट बिजली बनेगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में लगभग 4 शुगर मिल हैं, उनसे भी बिजली दी जा सकती है जो कि अभी नहीं दी जा रही है. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह चिनकी बाँध वहाँ ना बनाये जाये, इसी के साथ आपने बोलने का मौका दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग(सुवासरा)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुवासरा विधानसभा के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वहाँ पर चंबल की नदी निकली है लेकिन फिर भी वहाँ सिंचाई का एक भी साधन उपलब्ध नहीं है. अगर वहाँ पर सिंचाई योजना चालू कर दी जाये अच्छा रहेगा. वहाँ पर

मिरियाखेड़ी, बाकली, बंजारी जो बहुत बड़े तालाब बन सकते थे और बन सकते हैं लेकिन उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है . इनको तुरन्त जोड़ा जाए. यह पूरा कंजर बेल्ट माना जाता है तो वहाँ पर जो वारदातें होती हैं, जो किसान वहाँ पर दुखी हैं, जो रात को आकर उनकी भैसें, उनकी रकमें चुरा कर ले जाते हैं. कई बार निवेदन किया गया कि वहाँ पर पुलिस चौकी की व्यवस्था होना चाहिए लेकिन वहाँ पर नहीं की गई है, जिसके कारण वहाँ पर भय व्याप्त है. अतः वहाँ पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए. साथ ही जो पुलिस की संख्या है, 1962 में जो प्रावधान था, उसके अलावा वहाँ कोई पुलिसबल अलग से नहीं दिया गया है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अवसर दिया जाए.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपका नाम मेरे पास नहीं है भारत सिंह कुशवाह जी का नाम है....(व्यवधान)...

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

उपाध्यक्ष महोदय-- इसमें क्या व्यवस्था चाहते हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पर्यटन का रह गया.

उपाध्यक्ष महोदय-- एक बात कह लें फिर समाप्त करें.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन में धर्मराजेश्वर एक बहुत बड़ी जगह है. वहाँ पर अगर पर्यटन विभाग द्वारा कोई काम किया जाता है तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी. धन्यवाद...(व्यवधान)..

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है...

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने नाम नहीं दिया है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तबियत खराब थी इसलिए मैं आ नहीं पाया था. मेरा आप से निवेदन है मुझे दो मिनट बोलने का अवसर इसलिए दिया जाए कि नर्मदा घाटी की जो इंदिरा सागर परियोजना है....(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- नर्मदा घाटी के संबंध में बहुत सारे सुझाव आ चुके हैं. आपका नाम नहीं आया है...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन से संबंधित है...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- कमलेश्वर जी, आपका नाम दल की तरफ से नहीं आया है..(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपका नाम दल की तरफ से नहीं आया है. दल की तरफ से नाम आना चाहिए था.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे जुड़ा हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग से ही सारे विभागों का रास्ता गुजरता है. पूरे मध्यप्रदेश में सभी विभागों में अव्यवस्था है...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय—आप लोगों के नाम दल की तरफ से नहीं आए हैं...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन मंत्री जी से....

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अलग से मिलकर माननीय मंत्री जी को सुझाव दे दीजिएगा...(व्यवधान)..

डॉ.गोविन्द सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो दो दो मिनट बोल लेते...(व्यवधान)..कृपा करके आप अनुमति दे दें...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं...(व्यवधान)..किस तरह सदन चलता है आप जानते हैं. जिन्होंने नाम नहीं दिया है, अगर एक को भी हम समय देंगे तो बहुत सारे माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे...(व्यवधान)..वे पहली बार आए हैं उनका कहना ठीक है. आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं. बैठ जाएँ...(व्यवधान)..मंत्री जी को सुनें..(व्यवधान)..नहीं, नहीं गलत बात है...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय, और सदस्य आए भी नहीं हैं..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- बहुत सारे सदस्य बोलेंगे...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बात है...(व्यवधान)..मध्यप्रदेश में सभी विभागों में बहुत खराब....

उपाध्यक्ष महोदय-- हम खड़े हुए हैं आप बोल रहे हैं. कमलेश्वर जी, यह गलत बात है. हम खड़े हुए हैं और आप भाषण दे रहे हैं. व्यवस्था तो मानिए. सदन की गरिमा का ध्यान रखें.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि जो ओमकारेश्वर परियोजना है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है उसके लिये हमने त्याग किया है.

उपाध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें किसी तरह सदन में शांति हुई लोग सुनने लगे और आप फिर से खड़े हो गये. आपको पहले नाम देना चाहिये था, आपने पहले नाम क्यों नहीं दिया, अब आप बैठ जायें. आप मंत्रीजी के दल के हैं उन्हें सुनिये, समय दीजिये. हम आसंदी से व्यवस्था दे रहे हैं कि आप कृपा करके मंत्रीजी को लिखकर दे दीजियेगा, कमलेश्वर जी भी लिखकर दे देंगे. अब आप बैठ जायें. अब आप जो बोलेंगे वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—(XXX)

उपाध्यक्ष महोदय—आप अनावश्यक रुप से हठ कर रहे हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल—उपाध्यक्ष महोदय, वे जानते हैं कि बाद में सुनवाई नहीं होगी भले वे सत्तापक्ष के विधायक हैं, इसलिये आपसे संरक्षण चाहते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—यह मैंने आसंदी से व्यवस्था दे दी है कि जो माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव या सुझाव देना चाहते हैं वे मंत्रीजी को दे देंगे.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)—लोकेन्द्र जी आप मुझे लिखकर दे देना.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग की अनुदान मांगों पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सत्यदेव कटारे जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय बाला बच्चन जी, आदरणीय अर्चना चिटनिस जी, डॉ. गोविन्द सिंह जी, आदरणीय शैलेन्द्र जैन जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय दुर्गालाल विजय जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय रामनिवास रावत जी, आदरणीय देवेन्द्र वर्मा जी, आदरणीय बहादुर सिंह चौहान जी, आदरणीय रामप्यारे कुलस्ते जी, सुश्री बहन उमा चौधरी जी, आदरणीय दिनेश राय जी, आदरणीय कुंवर सिंह जी, आदरणीय जालम सिंह जी, आदरणीय हरदीप सिंह सहित 18 सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में अपनी बात कही है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का पूरा भाषण बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था. सबसे पहले में सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि विपक्ष में होने के नाते विरोध करना आपका धर्म है, होना भी चाहिये लेकिन अच्छा काम हुआ है तो सरकार की पीठ थपथपाने का काम भी होना चाहिये. मुझे लगता है आपने केवल एक विपक्ष का पालन किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि जितनी गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिये था, उन्होंने बोला नहीं. केवल असत्य आरोप लगाये हैं, मैं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ. आज हमारे नेता जी उपस्थित नहीं हैं उनकी अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाये हैं हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उन आरोपों का जवाब दें.

डॉ. गोविन्द सिंह—आपका कौन सा धर्म है यह बताओ.

श्री लाल सिंह आर्य—सामूहिक जिम्मेदारी का धर्म है उसका हम पालन कर रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न जाने कहां-कहां से कागज लेकर आये, पत्रों का उल्लेख करते हुये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्रीजी पर आरोप मढ़ने का काम किया. मैंने बाहर मीडिया के बीच में भी कहा है और फिर गंभीरता व जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं. उपाध्यक्ष महोदय, त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति समाज और कल्याण के लिये काम करने वाले आदरणीय विनोद जी क्षेत्र प्रचारक के नाम को लेकर उल्लेख किया गया है, जबकि आपने व्यवस्था दी थी, लेकिन उसके बाद भी उल्लेख हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय:- अब आप क्यों नाम ले रहे हैं।

श्री लाल सिंह आर्य:-उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलना पड़ेगा, वह इसलिये बोलना पड़ेगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि, उन्होंने एक भी पत्र, एक भी अनुशंसा या उनके हस्ताक्षर से कोई चिट अगर हो तो मैं राजनैतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा । आप कैसी बात कर रहे हैं, आप केवल मध्यप्रदेश में सनसनी पैदा करने के लिये काम करना चाहते हैं। आप मध्यप्रदेश की जनता में भय और डर पैदा करना चाहते हैं।

डॉ गोविन्द सिंह :- अच्छा आप यह बताईये कि किस प्रकार का सन्यास लेना चाह रहे हैं, जैसी कसम मुख्यमंत्री जी ने खायी थी उसी प्रकार का।

श्री लाल सिंह आर्य:-मैं विनोद जी की बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं, यदि आप प्रमाण दें तो मैं कल से विधान सभा आना बंद कर दूंगा। मेरे पास सब कागज रखे हैं, मैंने सब देख लिया है , मेरे पास हैं, आप चिन्ता मत करिये।

उपाध्यक्ष महोदय:- माननीय मंत्री जी आप जिन 16 लोगों ने सुझाव दिये हैं उस पर आ जाईये। आप एक ही व्यक्ति को क्यों पकड़े हुए हो।

श्री लाल सिंह आर्य:- उपाध्यक्ष महोदय, यह दो विषय तो लेना लेना आवश्यक है।

श्री बाला बच्चन :- अब आप मंत्री हो चुके हैं। शासन के हिसाब से आपका जवाब आना चाहिये, हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिये।

श्री लाल सिंह आर्य:- मैं आपका तथ्यात्मक जवाब दूंगा। लेकिन मा. सत्यदेव कटारे जी के आरोपों का जवाब देकर, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। ...व्यवधान..

श्री मुकेश नायक:- मंत्री जी आप तो सहज सन्यासी हो, आज तक आपके पास तो कोई फाईल आयी ही नहीं।

श्री लाल सिंह आर्य:- माननीय, आप चिन्ता मत करिये, मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकार दे रखे हैं। आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रितु चौहान के सम्बन्ध में बार-बार कहा जा रहा है.क्या आपको कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं देता है। आप एक निर्दोष लड़की पर कितने आरोप लगाओगे,(XX) , जिसकी आठ बार जांच हो चुकी है, पहले इन्होंने कहा था उसे एकेडमिक करने के लिये टीना यादव नाम था, यह एस.सी. कोटे में नहीं आती थी, आपने यह आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली में आपकी भाषा बदल गयी, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष स्टेंड बदलते हुए कहते हैं कि उसे पासिंग मार्कस् ज्यादा दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी दोनों बातें असत्य निकलीं। अब एक और नया आरोप आ गया कि उसके आय प्रमाण पत्र में आय का उल्लेख नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक नहीं एक दर्जन कागज हैं। आय प्रमाण पत्र में रितु चौहान की

गल्ती कहीं भी नहीं है। मैं सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं।

डॉ गोविन्द सिंह :- अगर अधिकारी ने गल्ती की है तो अधिकारी को दंडित कर दो सफाई हो जायेगी।

श्री रामनिवास रावत:- आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करो।

श्री बाला बच्चन :- माननीय मंत्री जी आपको अपना बजट पास करवाना है कि नहीं। आप अपनी अनुदान मांगों पर बोलिये।

श्री लाल सिंह आर्य:- गोविन्द सिंह जी इस आधार पर किसी का प्रमाण पत्र फर्जी नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। मेरे पास एक नहीं और भी हैं आपको नाम बताऊं ? किसी का रिश्तेदार होना बुरा है क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय:- देखिये सभी माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी यदि यील्ड करें तब आप अपनी बात कहें, अन्यथा टोकाटाकी न करें।

श्री लाल सिंह आर्य:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में सामान्य प्रशासन विभाग को कोट करके कहा था। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि किसी का रिश्तेदार होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो एक दर्जन नाम मैं पढ़ता हूँ कि जो किसी न किसी के रिश्तेदार हैं। राजकुमारी खन्ना सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर शिवभानु सिंह सोलंकी जी की पुत्री, विनोद सिंह, डिप्टी कलेक्टर शिवभानु सिंह जी के पुत्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय – अब शिवभानुसिंह सोलंकी इस दुनिया में नहीं हैं स्वर्गीय हो गए हैं क्यों नाम ले रहे हैं माननीय मंत्री जी.

श्री लालसिंह आर्य़ – उपाध्यक्ष महोदय,मेरा कहना यह है कि रिश्तेदार होना कोई बुरा नहीं लेकिन आप लगातार एक लड़की के ऊपर आरोप कर रहे हैं. आप महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं. आप महिलाओं को संरक्षण देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ऋतु चौहान का कोड करके माननीय नेता,सदन को घेरने की कोशिश करते हैं। असत्य आरोपों से घेरने की कोशिश मत कीजिये। मध्यप्रदेश

में सनसनी पैदा करने की कोशिश मत कीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी अनुदानों की मांगों पर बात करना चाहता हूँ। माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों ने मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग पर बहुत लंबी चर्चा में मध्यप्रदेश शासन की पीठ थपथपाने का काम किया है और प्रशंसा होनी भी चाहिये थी. माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले दृष्टिपत्र तैयार किया था. उसको संकल्प के रूप में लिया और मंत्रियों के बीच में बैठकर कहा कि सौ दिन की कार्य योजना बनाईये. 1947 से लेकर आज तक अनुसूचित जाति,जनजाति के नाम पर वोट कबाड़ने की कांग्रेस ने कोशिश की लेकिन उनके जाति प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण जो होना चाहिये था वह आपकी सरकार स नहीं कर पाई क्योंकि आपकी इच्छाशक्ति नहीं थी लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी की इच्छाशक्ति थी उन्होंने निर्देश दिये कि जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके जाति प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिये और मुझे कहते हुए हर्ष है कि सौ दिन के अँदर हमने यह कार्यवाही प्रारंभ की है और लेमीनेटेड प्रमाणपत्र होगा. उस पर डिजीटल हस्ताक्षर होंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों को और उनके परिवार वालों को गजेटेड अधिकारी के पास भ भटकना नहीं पड़ेगा. पूरे मध्यप्रदेश में हमारे बहन और भाई जब नौकरी में आवेदन का फार्म भरते थे. तब उन्हें गजेटेड अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था उनके फार्म का प्रमाणीकरण नहीं हो पाता था लेकिन अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया कि इसका सरलीकरण करेंगे और हमने यह आदेश भी जारी कर दिये हैं कि पूरे मध्यप्रदेश में अब अधिकारियों के यहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है आप सेल्फ अटेस्ट कीजिये. इसका स्वागत कहीं न कहीं होना चाहिये था लेकिन इस तरफ विपक्षी सदस्यों ने देखने की भी कोशिश नहीं की। जनहित के जो काम होते हैं तब हमने भी समय-समय पर आपकी सरकार ने काम किये थे तो हमने उसकी प्रशंसा की. सौ दिन की कार्य योजना में हमने तय किया था कि परफार्मेंस का मूल्यांकन होना चाहिये. वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उनकी आनलाईन मूल्यांकन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन ने तैयार की है. इसी प्रकार से केंद्रीकरण, सहभागिता और कम समय में काम हो इसके लिये भी संचालक स्कूल आफ गुड गवर्नेंस की अध्यक्षता में एक विश्लेषण दल का गठन किया गया है. प्रशिक्षण की बात चल रही थी. 170 जिला

स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण मध्यप्रदेश में हुआ है और आने वाले समय में मंत्रालय के एक हजार तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची के पद 5 के उपपद (1) में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री लालसिंह आर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि आगामी दिनों में जैसा बहिन अर्चना चिटनीस ने कहा था कि निचले स्तर का जो कर्मचारी है तृतीय-चतुर्थ स्तर का, इसका भी कहीं न कहीं प्रशिक्षण हो जायेगा तो अच्छा है। स्वाभाविक है कि कार्य की गुणवत्ता में सुधार आयेगा. मुझे कहते हुए हर्ष है कि आगामी दिनों में हमारी कार्य योजना है, मुख्यमंत्री जी की इच्छाशक्ति है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो इसके लिये क्षेत्रीय संस्थान भी कहीं न कहीं पर होना चाहिये इसलिये आगामी दिनों में मध्यप्रदेश में इसमें काम करने की सरकार पहल करेगी. लंबे समय से 1956 से लेकर के आज तक कई नियम, कई कानून, कई अधिनियम ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आज के समय में ऐसा लगता है कि कमजोर हो गये हैं इसीलिये 100 दिनों की कार्य योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया इनकी जो अतिरेक्ता है उसको समेटकर जो आवश्यक है उसको रखा जाय और जो आवश्यक नहीं है उसमें या तो संशोधन किया जाये या उनको खत्म किया जाय, इसके लिये भी मध्यप्रदेश की सरकार ने निर्णय किया और उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा जो अन्याय विभाग ऐसे थे जिनकी समानता दिखती थी उनके अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्यालय थे उन पर अलग से व्यय होता था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण विभाग का नगरीय प्रशासन एवं विकास में विलय करने का निर्णय सरकार ले चुकी है, इसी प्रकार से जैव विविधता विभाग का वन विभाग में विलय करने का निर्णय सरकार कर चुकी है. जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी विलय मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से निर्णय कर चुकी है. सार्वजनिक उपक्रम थे पृथक से उनका प्रभाव एवं अस्तित्व भी नहीं था, इसको भी रोजगार विभाग में विलय करने का निर्णय मध्यप्रदेश की सरकार कर चुकी है. इसी के साथ साथ जो बात आ रही थी भवनों की, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का नवीन एनेक्सी का निर्माण, प्रशासनिक अकादमी ऑडिटोरियम, नवी मुम्बई में मध्यलोक भवन, राज्य आर्थिक अन्वेक्षण ब्यूरो का प्रशासनिक भवन इनका निर्माण भले ही पी.डब्ल्यू.डी करेगा इनके भवनों के निर्माण की राशि का प्रावधान भी हमने किया है. एक नहीं अनगिनित उपलब्धियां मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक क्षेत्र में है और यही नहीं विशेष भर्ती अभियान मध्यप्रदेश की सरकार ने चलाया है विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि विशेष भर्ती अभियान नहीं चल रहा है. वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति के 763, अनुसूचित जनजाति के 779 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 793 पदों को भरने का काम किया है और कुल-मिलाकर 2235 पदों को भरा गया है और आने वाले समय में 10 हजार पदों का भरने का पत्र भी जारी किया गया है. इसी प्रकार से मध्यप्रदेश के कर्मचारी हैं उनकी कई लोगों ने प्रशंसा की स्वाभाविक रूप से वह

भी हमारे परिवार का अंग हैं और मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं उनकी सुविधाओं का भी मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखते हुए केन्द्र का जो महंगाई भत्ता था उसके समान महंगाई भत्ता को देने का काम मध्यप्रदेश ने सबसे पहले किया है. कई और काम गुणवत्ता लाने के लिये और काम बढ़ाने के लिये और सारा काम दृत गति से हो, परख के माध्यम से, कांफ्रेंस का काम मध्यप्रदेश की सरकार कर रही है अब लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत कहा गया कि उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है.

अब लोक सेवा गारंटी योजना के तहत् कहा गया कि उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है. यह बात सही है कि जब कोई काम होता है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है और वह सुधार क्या हो सकते हैं इसके लिये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किये कि अगर इसमें कोई कमी रहती है, तो उसको पूरा करेंगे और मध्यप्रदेश की जनता को न्याय देने का काम करेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश में दिखाई भी दे रहा है. अभी कुछ बात माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई थी, वह भी कहना चाहता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उज्जैन में हवाई पट्टी की बात कही गई थी कि नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो, वह नाइट लैंडिंग की व्यवस्था उज्जैन में पहले से ही है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ डॉ. गोविन्द सिंह जी ने पवन कुमार मीसाबन्दी की पेंशन के मामले में कहा था यह दायित्व कायदे से जिला कलेक्टर का होता है उसके बाद प्रदेश शासन पर आता है, लेकिन आपने किसी के हित की बात को गंभीरता से उठाया है....

डॉ. गोविन्द सिंह--इनको मिल चुका है, इनको तीन महीने दिया है, फिर बंद कर दिया है.

श्री लाल सिंह आर्य--मैं कह रहा हूं आपने चूंकि बात उठाई है और जनहित में कोई बात है, हम आपकी बात का परीक्षण करायेंगे और प्रकरण को पूरी गंभीरता से लेंगे.

सभापति महोदय--डॉ. साहब आपकी बात मान ली गई है.

श्री लाल सिंह आर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय,अर्चना चिटनीस बहन जी ने कहा था कि बुरहानपुर में भी हवाई पट्टी का निर्माण हो, हम यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं नर्मदा घाटी विकास पर आना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व है, और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा था विकास कार्य अंतिम बिन्दु तक तब पहुंचता है, जब इच्छाशक्ति दृढ़ हो. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी विभाग को केन्द्र ने जल उपभोग का टारगेट 2024 का दिया है, मुझे कहते हुए गर्व है टारगेट हमको 2024 का जरूर मिला है, लेकिन 2020 तक हम उस टारगेट को पूरा करने का काम मध्यप्रदेश में करेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा घाटी का समग्र विकास सरकार के उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सिंचाई का रकबा

बढ़ाने की कोशिश की है और अब दृढ़ इच्छाशक्ति यहां से ही दिखाई देती है कि हमने 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी कि 2 लाख, 86 हजार हैक्टर सिंचाई का रकबा हम बढ़ाने का काम करेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है और मैं अपने अधिकारियों को भी इस सदन के माध्यम से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम से 2 लाख, 86 हजार हैक्टर की सिंचाई हमने 100 दिन के अंदर मध्यप्रदेश में की है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 हजार हैक्टर सिंचित रकबा हम बढ़ा रहे हैं लगातार 2009-10 में सिंचाई रकबा बढ़ाने के अभियान की शुरूआत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय--माननीय मंत्री जी, आप 25 मिनट बोल चुके हैं, कितना वक्त और लेंगे ?

श्री लाल सिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने तो पूरा समेट दिया है और मैं केवल उन्हीं बिन्दुओं पर बोल रहा हूं और सदन में वह बिन्दु तो आना चाहिये, जिनका .....

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, कितना समय और लेंगे ?

श्री बाला बच्चन--माननीय मंत्री जी, जो आलरेडी नहरों के काम चल रहे हैं, उनको पूरा करवाओ. लोरगोई की नहरों का काम नहीं हो रहा है. इन्दिरा सागर की नहरों का काम नहीं हो रहा है. दसियों वर्ष हो गये हैं, इनको करवाओ.

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 में वास्तविक सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर हम 3 लाख 66 हजार हैक्टर करेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमने सिंचाई बढ़ाई है, तो सिंचाई की क्षमता का निर्माण भी हमने किया है. नर्मदा घाटी वृहद सिंचाई परियोजना से विगत् 5 वर्ष की अवधि में 4 लाख, 77 हजार, 945 हैक्टर सिंचाई क्षमता की निर्मित हुई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और इसमें से वर्ष 2013-14 में **94** हजार**, 327** हैक्टर सिंचाई की क्षमता निर्मित की गई है इसको बढ़ाकर **2014-15** में हम **81** हजार हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को निर्मित करने जा रहे हैं**.**

उपाध्यक्ष महोदय, अपर वेदा और लोअर गोई की बात हुई थी. चूंकि सम्मानीय सदस्यों ने बात रखी है, उनको बताना भी आवश्यक है. वर्तमान में खरगोन जिले में 9900 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की अपर वेदा सिंचाई परियोजना का बांध और नहर प्रणाली पूर्ण निर्मित कर ली गयी है, लेकिन उच्च न्यायालय से अनुमति के बाद बांध में पूर्ण जलाशय भरने की कार्यवाही की जायेगी. बड़वानी जिले में 13760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की परियोजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. योजना का सम्पूर्ण

कार्य 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इस परियोजना से बड़वानी जिले के 46 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा.

श्री बाला बच्चन -- उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत जानकारी है. यह लोवर गोई की बात जो है, यह मेरे क्षेत्र में है. यह अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी दी है. तंत्र ने आपको गलत जानकारी दी है. वहां नहरों का काम सब बंद पड़ा है. ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है. सब भाग गये हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल -- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में कुल कितना कृषि क्षेत्र है, इसकी जानकारी बतायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- वे एनवीडीए पर जवाब दे रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य -- उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर नहर प्रणाली के कार्य के साथ ही बरगी व्यपवर्तन परियोजना नहर का कार्य भी जारी है. इंदिरा सागर परियोजना से 1 लाख 23 हजार, ओंकारेश्वर परियोजना से 1 लाख 47 हजार और बरगी व्यपवर्तन परियोजना से 2 लाख 47 हजार हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी. मण्डला जिले की हालोन और डिण्डोरी जिले की अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है. अपर नर्मदा परियोजना से डिण्डोरी जिले के 79 गांव की 15 हजार हेक्टेयर और अनूपपुर जिले के 18 गांव की 3611 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 18611 हेक्टेयर की कृषि भूमि सिंचित होगी. हालोन परियोजना से मण्डला जिले के 46 गांव की 13040 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी. विद्युत परियोजना की दृष्टि से नर्मदा घाटी जल विद्युत परियोजनाओं से कुल 2461.50 मेगावॉट बिजली के उत्पादन की क्षमता स्थापित की है. वर्ष 2013-14 में जल विद्युत परियोजनाओं से 9552 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है. अगर हमने बिजली का उत्पादन किया है, तो मध्यप्रदेश में प्रकाश इसी के कारण है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन और बातें नर्मदा नदी पर योजना के बारे में कहूंगा और एक मिनट विमानन पर लूंगा. मुझे कहते हुए हर्ष है कि केवल 14 महीने के भीतर जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, नर्मदा और मालवा लिंक, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में गया था. आज हर इतवार को नर्मदा और क्षिप्रा का जो मिलन है, वहां पर 20 से 25 हजार लोग एकत्रित होकर पर्यटन का लाभ लेते हैं. नर्मदा के जल से मालवा की चार बड़ी नदियों क्षिप्रा, गंभीर, पार्वती और काली सिंध को प्रभावित

(जोड़ने) करने का संकल्प मध्यप्रदेश सरकार का है. मालवा की धरती अब प्यासी,सूखी नहीं रहेगी. मालवा की धरती में अब सिंचाई होगी.

श्री बाला बच्चन --मंत्री जी, और निमाड़ की धरती का तो गला ही घोंट दिया है. वह प्लान बने थे निमाड़ के लिये.

श्री लाल सिंह आर्य -- उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का निर्माण 14 माह की रिकार्ड अवधि में पूरा किया गया है. यही नहीं, जो निर्धारित राशि थी, उससे कम राशि में मध्यप्रदेश में पहली बार कोई निर्माण कार्य पूरा हुआ है. उसके लिये मैं अपने विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, कितना ऊंचा पाइंट है, चार-चार स्टेशन बनाना पड़े. हम नहर से, तालाब से, पाइपों से पानी ले गये हैं, तब हम क्षिप्रा का मिलन नर्मदा से करवा पाये हैं. सिंहस्थ लगेगा, करोड़ों लोग देश एवं विदेश से आयेंगे. वह अगर यहां से गलत अनुभव लेकर जाते तो मध्यप्रदेश का मस्तक नीचा होता. मुझे कहते हुए हर्ष है कि जब क्षिप्रा में नर्मदा का पानी होगा, तब देश एवं विदेश से हमारे जो पर्यटक आयेंगे.

हमारे जो धार्मिक लोग आयेंगे वे एक अच्छा अनुभव मध्यप्रदेश की सरकार के कारण लेकर के जायेंगे . इसी प्रकार नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक के माध्यम से हम जल के संकट का निवारण भी करने वाले हैं. देवास जहां पर कांग्रेस की सरकार के समय रेल के टेंकरों से पानी लाया जाता था, सप्लाई किया जाता था, देवास नगर के लोगों को इसी योजना के अंतर्गत 17 डेमों में लगातार पानी भरा जा रहा है और इसके माध्यम से जहां रेल के टेंकरों से पानी देवास के लोगों को मिलता था आज यही नर्मदा घाटी विकास विभाग देवास के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवा रहा है. इसकी कहीं न कहीं प्रशंसा होना चाहिये. लेकिन मीठा मीठा गप गप - कड़वा कड़वा थू-थू.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने विपक्ष के साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि

जरूरतों के हिसाब से नकाब बदलने वाले

अपने गुनाहों पर शोर मचाकर पर्दा क्यों डालते हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी जो गंभीर परियोजना है 2143.46 करोड़ की , इसके माध्यम से भी उज्जैन के आस पास के जिलों में जल का स्तर बढेगा, कुंआ का बढेगा, हैंडपंप का जल स्तर बढेगा .शीघ्र इस योजना का भी शिलान्यास होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के माध्यम से नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना में ओंकारेश्वर परियोजना की दांई तट नहर से 15 क्यूमेक्स जल का उद्वहन कर गंभीर नदी मे प्रवाहित किया जायेगा. परियोजना से इंदौर और उज्जैन जिलों की 50 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जायेगा. परियोजना से इंदौर-उज्जैन जिले को पेयजल मिलेगा, तथा पीथमपुर और देवास के औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी देने का काम नर्मदा घाटी की इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से किया जायेगा.उपाध्यक्ष महोदय, समय की बाध्यता है, लेकिन सरदार सरोवर के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं. ज्वलंत विषय है इसलिये इस पर कहना आवश्यक है.

उपाध्यक्ष महोदय-- बहुत संक्षेप में कहिये. पटवा जी बोलने के लिये आतुर हैं.उनका भी आप थोड़ा ध्यान रखें.

श्री लाल सिंह आर्य --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केन्द्र सरकार को और हर राज्य को मानना बाध्यकारी है लेकिन एक बात बड़ी गंभीरता के साथ में कहना चाहता हूं कि उसका जो प्रभावित डूब क्षेत्र है, उस डूब क्षेत्र के किसानों को जब तक हम व्यवस्थापन पूरा नहीं कर देंगे तब तक पानी वहां पर नहीं आयेगा. ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है 2008 तक हमने वहां के पुनर्वास का पूरा भुगतान कर चुके हैं. इतना ही नहीं इसमें एक शर्त है जिसे मानना भी आवश्यक है. यह शर्त है कि जब तक डूब क्षेत्र नहीं बनता है, पानी नहीं आता है, परियोजना शुरू होने के 6 महीने पहले विस्थापित करने का काम होगा. अभी उनको विस्थापित करने का कोई काम मध्यप्रदेश की सरकार नहीं करने वाली है.

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर इसमें भी सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था नहीं थी. लेकिन हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मे डबरी उद्वहन सिंचाई

परियोजना की रूपये 56.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है ,16 गांव अलीराजपुर और जोबट तहसील में 3 हजार हेक्टेयर पानी देने का काम इस परियोजना के माध्यम से हम पूरा करेंगे

उपाध्यक्ष महोदय, सेंवढ़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना लगातार अंतिम चरण की योजना के लिये विधायक मांग करते रहते हैं . खंडवा जिले की पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के बाहर के 17 गांव 5750 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिये 97 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी, बाला बच्चन जी के समस्या के बारे में कुछ कह दें और समाप्त करें.

श्री लालसिंह आर्य-- जी, उन्होंने बोला है. मैंने एक एक सदस्य की बात को लिखा है. इसको भी स्वीकृति देने का काम हमने किया है. माननीय मुख्यमंत्रीजी का संकल्प है कि...

श्री रामनिवास रावत-- जैन आयोग की रिपोर्ट के बारे में और पेंशन घोटाला जांच आयोग के बारे में और बता देना.

श्री लालसिंह आर्य-- आप पहले से लिखकर बता दीजिए मैं सब कुछ बता दूंगा. आप चिन्ता नहीं करें.

श्री रामनिवास रावत-- मैंने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब आना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने अपने भाषण में यह प्रश्न नहीं उठाया है. प्रश्नकाल नहीं है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- उपाध्यक्षजी, यह कभी भी कुछ भी उठा लेते हैं. जब मंत्री बने तो कहने लगे बंदूक उठाकर जंगल में चला जाऊंगा.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- आपने अच्छा काम किया है. कम से कम जिन्दगी में एक काम तो है जिसको हर बार याद करते हैं. अब वह अच्छा या बुरा है उसको भूल जाईये. लेकिन हर बार कहा जाता है कि आप बंदूक उठाकर जंगल में चले गये. हम कह रहे हैं ना आपने अच्छा काम किया एक बार और करें.(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय-- रामनिवास जी बैठ जाईये नहीं तो डॉक्टर साहब बब्बर शेर भेज देंगे.

श्री रामनिवास रावत-- बब्बर शेर ला ही नहीं पा रहे हैं.

श्री लालसिंह आर्य-- उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट में विमानन के बारे में बोलना चाहता हूं. मैं आपका आदर करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, विमानन के क्षेत्र में अधिक से अधिक विमान सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बजट में वेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, आपका सीधी जिला उसके पास में सिंगरौली है. सिंगरौली हवाई अड्डे के भू अर्जन के लिए 18 करोड़ रुपये दिये हैं. जबलपुर हवाई अड्डे के लिए निःशुल्क जमीन देने का काम किया है. प्रदेश में 22 हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है. आने वाले समय और कहां और बन सकती है इसकी संभावना भी टटोल रहे हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, केवल उद्योगपतियों का ही ध्यान न रखें. विस्थापितों और किसानों का भी ध्यान रखें.

श्री लालसिंह आर्य-- उपाध्यक्ष महोदय, यह शिवराज सिंह जी की सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है उनके हितों का संरक्षण पहले होगा. उपाध्यक्ष महोदय, अंत में चार लाईने बोलकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं. **' जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमां अभी बाकी है.**' उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे विभागों की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें. धन्यवाद.

राज्यमंत्री, संस्कृति और पर्यटन(श्री सुरेन्द्र पटवा)-- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विश्वास सारंग जी, श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, शैलेन्द्र जी, मोहन यादवजी, विजय जी, देवेन्द्र जी, रामप्यारे कुलस्ते जी, जालमसिंह पटेल जी, सोहनलाल जी, बाला बच्चन जी, गोविन्द सिंह जी, रामनिवास रावत जी, श्रीमती चौधरी, और दिनेश राय जी ने पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखी.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरु करुं उससे पहले मेरे मन में कुछ ऐसी पीड़ा है जिसके बारे में मैं आपसे अनुमति लेकर इस सदन में जाहिर करना चाहता हूं. इस सदन में मेरा दूसरी बार विधायक बनकर आना हुआ है.

अभी पिछले ही दिनों में हमने वह चीज देखी है जो कभी हम लोग सदन के बाहर बैठकर 1980 और 1985 में देखा करते थे कि विपक्ष कैसा होता है और किस तरह से अपनी बात को रखताहै. लेकिन मैंने पिछली बार जब देखा कि हमारे सदन के नेता को बोलने नहीं दिया गया. मैंयहां पर उसकी घोर निंदा करता हूं कि हमारे सदन को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो ऐसे किस तरह से सदन चल सकता है. मैं कहना चाहूंगा कि एक समय वह था कि..

श्री कमलेश्वर पटेल – उपाध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बोलने दिया है यह भी तो माननीय मंत्री जी को पता होना चाहिए...(व्यवधान)—

उपाध्यक्ष महोदय – मंत्री जी आप अपने विभाग तक ही सीमित रहें...(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र पटवा – यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विभाग का बजट एक लाख 15 हजार करोड़ रूपये का प्रस्तुत हुआ है. एक समय था 2003 में जब 2200 करोड़ रूपये का पजट प्रस्तुत हुआ था. यह इस बात को दर्शाता है कि मध्यप्रदेश तीव्र गति से प्रगतिशील राज्यों की ओर बढ़ रहा है. अगर हम आज मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वह 54300 रूपये प्रति व्यक्ति हो गई है. इन सब बातों को देखकर लगता है कि हमारा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी नई ऊंचाइयों को छू रहाहै. वर्ष 2003 में पर्यटन विभाग का बजट 27 करोड़ हुआ करता था लेकिन आज मध्यप्रदेश में पर्यटन का जो बजट है वह 162 करोड़ का प्रस्तुत हुआहै. इसी प्रकार से संस्कृति विभाग का बजट 2003 में मात्र 22 करोड़ रूपये हुआ करता था वह इस वर्ष 137 करोड़ रूपये का बजट आया है.

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मध्यप्रदेश का पर्यटन आज न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है आज हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि केवल पर्यटकों के लिए मध्यप्रेदश पहली पसंद बन चुका है. पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में किये गये विकास कार्यों प्रचार प्रसार तथा पर्यटक सुविधाओं में निरंतर सुधार के प्रयासों को न केवल भारत सरकार

बल्कि पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं ने भी सराहा है. पर्यटन विश्व के एक महत्वपूर्ण सेवा उद्योग है. विश्व की जीडीपी का 10 प्रतिशत एवं 11 वां रोजगार पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा है. वर्तमान में निगम के द्वारा 66 होटल, 9 वे साइड एमीनिटिज, 12 बोट क्लब, 6 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 12 मार्केटिंग कार्यालय का संचालन किया जा रहा है. मध्यप्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज सांची खजुराहों एवं भीम बैठकाहै. धार्मिक पर्यटन स्थल में उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, महेश्वर, मैहर, ओरछा, दतिया, मंदसौर आदि हैं.

जहां तक अगर मैं वन्य प्राणी पर्यटन की बात करूं तो हमारे यहां पर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा नेश्नल पार्क आदि यहां पर उपलब्ध हैं. जल पर्यटन के अंतर्गत इंदिरा सागर तथा डेम, तवा डेम बरघी डेम एवं चोरल डेम इत्यादि के लिए जाना जाता है.

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मध्यप्रेदश में पर्यटकों के आने की संख्या की बात है मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2012 में जहां पर 5 करोड़ 34 लाख पर्यटक हमारे यहां पर आये थे 2013 में यह सख्या बढ़कर 6 करोड़ 33 लाख हो गई है इस तरह से 18.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हमने पर्यटन के लिए एयर कनेक्टिविटी , मध्यप्रदेश में पर्यटन का विज्ञापन और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और प्रदेश में पर्यटक आवागमन को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह की पहल की कि निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार कर प्रदेश के प्रमुख नगरों ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, खजुराहों एवं सतना के लिए हवाई सेवाएं प्रारम्भ की गई. आगामी समय में अन्य पर्यटन स्थलों पर इन सेवाओं का विस्तार किया जायेगा.

मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2013-14 में पर्यटन संबंधी कार्यों के लिए माह फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश को तीन राष्ट्रीय अवाड्र्स से सम्मानित किया गया - (1) बेस्ट स्टेट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, (2) बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया-पचमढ़ी और (3) बेस्ट टूरिज्म फिल्म. इसके साथ-साथ प्रदेश को "अतुल्य भारत का हृदय" (Heart of Incredible India) के रूप में स्थापित किया जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी प्रमुख चेनलों तथा रेडियो पर मध्यप्रदेश पर्यटन का विज्ञापन "सौ तरह के रंग है, मलंग है." आज सर्वाधिक लोकप्रिय विज्ञापन है. इस विज्ञापन को राष्ट्रीय पुरस्कार "Award of Excellence- Best Tourism Film. " से सम्मानित

किया गया है. जहां तक कौशल संवर्धन की दृष्टि से इंटरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की बात हो. हमारे यहां निगम द्वारा जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता अभिवृद्धि एवं कौशल संवर्धन की दृष्टि से इंटरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के लिए शासकीय भूमि आवंटन नीति बनाई गई है. वर्ष 2010 की नीति को संशोधिक कर वर्ष 2012 की नीति लागू की गई है. वर्तमान में विभाग द्वारा ग्राम ढ़कना-चपना एवं ग्राम निनोद, जिला रायसेन, ग्राम मेहन्दीखेड़ी, जिला धार, रेसीडेंसी एरिया जिला इंदौर एवं ग्राम फेफरिया खुर्द एवं हनुवंतिया (इंदिरासागर), जिला खंडवा की भूमियों को जन निजी भागीदारी के तहत निजी निवेशकों को दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है.

प्रदेश के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिनमें पर्यटन की संभावनाएं हैं. शासन द्वारा प्रदेश में 16 विशेष पर्यटन क्षेत्र भी घोषित किये गये हैं, जो कि निम्नानुसार हैं - इंदिरा सागर, बाण सागर, गांधी सागर, खजुराहो, दतिया, ओरछा, सांची, माण्डू, तवा नगर-मड़ई, तामिया-पातालकोट, सलकनपुर, चित्रकूट, पन्ना, चौरल, खरगौन, अमरकंटक.

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जलाशयों का सवाल है. हमारे मध्यप्रदेश में पर्टयन के मामले में जलाशयों में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया है. प्रदेश में स्थित विशाल जलाशयों का पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर उपयोग किया जाकर पर्यटकों को नये पर्यटन स्थलों का आकर्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इंदिरासागर डेम पर निजी क्षेत्र के माध्यम से अधोसंरचना विकसित करने की कार्यवाही प्रचलित है.

उपाध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम, प्रदेश में बहुत सारे हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ताकि वहां की संस्कृति के बारे में हम पूरे प्रदेश में जान सकें. जिला स्तर पर साहसिक एवं अन्य पर्यटन की गतिविधियां प्रोत्साहित किये जाने के प्रयास के अंतर्गत जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में 40 डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन कौंसिल का गठन किया जा चुका है एवं प्रदेश के शेष जिलों में कौंसिल के गठन की कार्यवाही की जा रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन विकास निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्सव एवं मेलों का आयोजन किया जा रहा है. आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन

को बढ़ावा देने हेतु भगोरिया उत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया है. पर्यटन विकास निगम एवं अन्य विभागों की सहभागिता से मालवा उत्सव इंदौर, दुर्गा उत्सव दतिया, क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा उज्जैन, भुआणा उत्सव हरदा, लोकरंग उत्सव भोपाल, महाकौशल व्यापार उत्सव जबलपुर, भोपाल की बड़ी झील उत्सव एवं पचमढ़ी उत्सव आदि उत्सवों का आयोजन किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टेट और नेशनल हाईवे की बात है. वहां पर हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि 'WAY SIDE AMENITIES' पर्यटकों को दी जाय. करीब-करीब 63 'WAY SIDE AMENITIES' के लिए 37 करोड़ 95 लाख 90 हजार रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से मिली है. इसमें 15 'WAY SIDE AMENITIES' का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और बाकी का बचा हुआ भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा.

प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना एवं पर्यटक सुविधाएं,प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में **2013-14** में रूपये **83** करोड़ **...**

उपाध्यक्ष महोदय—मंत्री जी अभी और कितना समय लेंगे**?**

श्री सुरेन्द्र पटवा—अभी तो पर्यटन चल रहा है**,** संस्कृति और पुरातत्व बाकी है**.**

उपाध्यक्ष महोदय—उसको कम करिए**.**

डॉ**.**गोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष जी**,** वे तो पढ़ रहे हैं**,** भाषण तो दे नहीं रहे हैं **,** पटल पर रखवा दें**,** हम लोग घर पर जाकर पढ़ लेंगे**.**

उपाध्यक्ष महोदय—मंत्री जी संक्षिप्त कर दें**.**

श्री सुरेन्द्र पटवा**----** गोविंद सिंह जी**,** मैं संस्कृति पर आ रहा हूं**.** मध्यप्रदेश शासन की संस्कृति के अनुरूप संस्कृति विभाग द्वारा संस्कृति और साहित्य का संवर्धन**,** संरक्षण**,**विस्तार और विकास एवं राजभाषा हिन्दी के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं**.** साँची बौद्ध –भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय –म.प्र**.** सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन हेतु सांची बौद्ध**-**भरतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई**.** विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही विभिन्न दार्शनिक अनुशासनों में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जा रहे हैं**.**

कलाकारों/साहित्यकारों को वित्तीय सहायता- प्रतिवर्ष प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों/साहित्यकारों को मासिक पेंशन, बीमारी के ईलाज हेतु एवं विकलांग साहित्यकारों/ कलाकारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष **2014 -15** हेतु रूपये **54** लाख से लगभग **270** कलाकारों को सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष **26** जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में एक-साथ लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत वर्व मनाया जाता है. जिसके अंतर्गत स्वाधीनता पर्व पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश की कला मण्डलियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है.

टन्ट्या भील स्मारक के बारे में मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि खण्डवा जिले के ग्राम बड़ोदा अहीर में जननायक टंट्या बील की स्मृति में विशाल स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है. जिसका लोकार्पण इसी वर्ष किया जायेगा. भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र –माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में बड़वानी जिले के ग्राम धावाबावड़ी में आदिवासी जननायक भीमानायक की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है. इस प्रेरणा केन्द्र का लोकार्पण इस वर्ष किया जायेगा.

जहां तक हमारे सदस्यों द्वारा जो मांग रखी गई है ,उनके जो सुझाव आए हैं , सभी सुझावों को देखने के बाद जिस तरह से माननीय सदस्य पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी ने सुझाव दिया है ,हमारे यहां शैलेन्द्र जैन जी ने सुझाव दिया है. इसके अलावा और भी सदस्य हैं, रामेश्वर शर्मा जी हैं, देवेन्द्र वर्मा जी हैं, हमारे कुलस्ते जी हैं , सभी के जितने भी सुझाव हैं उनको विभागीय समीक्षा के बाद जितनी भी जरूरत होगी, जिस तरह की आवश्यकता होगी , निश्चित रूप से हम उन सभी सुझावों पर विचार करेंगे, माननीय विधायकों के द्वारा हमें काफी अच्छे विचार प्राप्त हए हैं. आने वाले समय में उस पर विचार करके सभी विधायकों को सूचित कर दिया जायेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि हमारे विभाग की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पास करने का कष्ट करें.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-**1,2,26,37,48** एवं **65** पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगो पर मत लूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को—

मांग संख्या-1 सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन के लिए छः सौ छः करोड़, पांच लाख, उनचालीस हजार रूपए,

मांग संख्या-2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तीस करोड़, छियासी लाख, चौहत्तर हजार रूपए,

मांग संख्या-26 संस्कृति के लिए एक सौ सेंतीस करोड़, चार लाख, उन्नयासी हजार रूपए,

मांग संख्या-37 पर्यटन के लिए एक सौ बासठ करोड़, पांच लाख, नब्बे हजार रूपए,

मांग संख्या-48 नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार दो सौ उन्नयासी करोड़, चौरासी लाख, अढ़सठ हजार रूपए, तथा

मांग संख्या-65 विमानन के लिए इक्कीस करोड़, इक्यावन लाख, तैंतीस हजार रूपए , तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय - विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 08 जुलाई, 2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 5.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 08 जुलाई , 2014 (17 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 07 जुलाई, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा